

हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

1 मार्च, 1993

खण्ड-1, अंक-5

अधिकृत विवरण

विशय सूची

सोमवार, 1 मार्च, 1993

पृष्ठ संख्या

ताराकित प्रान एवम उत्तर	(5)1
नियम 45 के अधीन सदस्यो की मेज पर रखे गए ताराकित प्रानो के लिखित उत्तर विभिन्न विशयो का उठाया जाना	(5)20
अताराकित प्रान एवम उत्तर	(5)21
ध्याना कर्षण प्रस्ताव	
किसानो पर पैनलटी माफ करने तथा गन्ने के नये बीज उपलब्ध कराने सम्बन्धी	(5)25
वक्तव्य	
कृशि मंत्री द्वारा उपर्युक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सम्बन्धी	(5)25
ध्याना कर्षण प्रस्ताव करने के सबंधी	
मूल्य: सहकारी चीनी मिल पलवल मे गन्ने की पिराई की गति धीमी होने सम्बन्धी	(5)29
वक्तव्य	

सहकारिता मंत्री द्वारा उपयुक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सम्बन्धी	(5)29
स्थगन प्रस्ताव	
एस0वाई0एल0 तथा यमुना कैनल सम्बन्धी	(5)35
वैयक्तिक स्पष्टीकरण	
श्री बंसीलाल द्वारा	(5)36
राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)	(5)37
वैयक्तिक स्पष्टीकरण	
श्री बंसीलाल द्वारा	(5)44
सदस्यों का नाम लेना	(5)47
राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)	(5)53
राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान	(5)68
वर्ष 1992-93 के अनुपूरक अनुमानों पर चर्चा तथा मतदान	(5)71

हरियाणा विधान सभा

सोमवार , 1 मार्च, 1993

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में प्रातः 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री चौधरी ई वर सिंह) ने अध्यक्षता की।

ताराकित प्र ान एवम उत्तर

श्री अध्यक्ष: आनरेबल मैम्बर्ज, अब सवाल होंगे। श्री अमर सिंह।

(Strength of the employees is class I, II, III and IV in P.W.D (B&R))

***397 Shri Amar Singh:** Will the Minister for P.W.D (B&R) be pleased to state-

(a) the class wise number of employees working in P.W.D (B&R) as at present alongwith the number of employees belonging to Scheduled Castes and Backward Classess amongst them; and

(b) whether there is any shortfall in the quota of reservation; if so, the time by which it is likley to be wiped off?

लोक निर्माण मंत्री (चौधरी आनन्द सिंह डांगी):

(क) हरियाणा लोक निर्माण विभाग भवन तथा सडके में कार्यरत कर्मचारियों की श्रेणीवार संख्या तथा उनमें से अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्ग से संबंधित ब्यौरा निम्नलिखित है:-

	कर्मचारियों की संख्या	अनुसूचित जाति	पिछड़े वर्ग
श्रेणी I	143	3	3
श्रेणी II	316	12	8
श्रेणी III	3083	357	259
श्रेणी IV	1399	567	160

(ख) सरकार की प्रचलित नीति के अनुसार इस समय श्रेणी I व II में कोई कमी (Shortfall) नहीं है। जहाँ तक श्रेणी III तथा IV का संबंध है, कमी को पूरा करना तभी संभव होगा जब अधीनस्थ सेवाये प्रवरण मण्डल हरियाणा द्वारा सिफारिश किये गये प्रार्थी संख्या में उपलब्ध होंगे जिसके लिए मांग पत्र भेजे हुए हैं।

श्री अमर सिंह: अध्यक्ष महोदय, क्लास-3 और क्लास-4 की पोस्टों की संख्या अभी माननीय मंत्री महोदय ने बताई है। क्लास-3 में टोटल पोस्टें 3083 भरी हुई बताई गई हैं। मेरे हिसाब से ए0सी0 का कोटा 617 का बनना चाहिए, लेकिन आपके रिटन रिप्लाइ के मुताबिक 357 एस0सी0 है। स्पीकर साहब, मैं आपके

माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इस बैकलोग को फिलअप करने के लिए क्या अगल से इन पोस्टो की भर्ती की जाएगी यदि हां तो कब तक इन पदो को भर दिया जाएगा?

चौधरी आनन्द सिंह डांगी: खाली पदो को भरने का केस हमने एस0एस0एस0 बोर्ड को भेजा हुआ है। मैं माननीय साथी को बताना चाहता हू कि जैसे एस0एस0एस0 बोर्ड से सिलैक 1न लिस्ट हमें प्राप्त होगी, इन पदो को भरे दिया जाएगा।

श्री अमर सिंह: स्पीकर साहब, पोस्टो को भरने के लिए एस0एस0एस0 बोर्ड से सिलैक 1न की इत्तजार नहीं की जाती और पोस्टो को एक हाक बेसिज पर ही भर लिया जाता है जिसकी वजह से एस0सी0 का कोटा भरा नहीं जाता। स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या यह हकीकत नहीं है कि पोस्टो को एड हाक पर भर लिया जाता है जिसकी वजह से एस0सी0 का कोटा भरा नहीं जाता है।

चौधरी आनन्द सिंह डांगी: स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से अपने माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि आजकल हरियाणा सरकार के किसी भी विभाग में एड हाक भर्ती नहीं की जाती है।

श्री अमर सिंह: अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या रोस्टर सिस्टम मेंटेन

किया हुआ है यदि हां, तो कैटगरीवाईज भाार्टफाल कितना है और क्या भाार्टफल के मुताबिक पोस्टो को भरा जा रहा है?

चौधरी आनन्द सिंह डांगी: स्पीकर साहब, मै माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि एस0सी0 की 26 पोस्टो का भाार्टफल है और बी0सी0 की एक पोस्ट का भाार्टफाल है और सारा सिस्टम मेनटेन किया जा रहा है।

श्री अमर सिंह: स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने रोस्टर रजिस्टर के बारे में नहीं बताया कि रोस्टर रजिस्टर मेनटेन किया जा रहा है या नहीं?

चौधरी आनन्द सिंह डांगी: स्पीकर साहब, मैने बताया है कि सारा सिस्टम मेनटेन किया जा रहा है। रोस्टर रजिस्टर भी उस में आ जाता है। (विधन)

श्री अमर सिंह: अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री जी से जानना चाहता हू कि रोस्टर सिस्टम कब से लागू किया हुआ है और क्या कैटेगरीवाईज रोस्टर रजिस्टर मेनटेन किया हुआ है ?

चौधरी आनन्द सिंह डांगी: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य रोस्टर के बारे में जो पूछ रहे हैं, वह कैटेगरी वाईज बता देता हू कि कितना भाार्टफाल किस कैटेगरी में कितना है। हमने यह फिगर रजिस्टर के हिसाब से ही दी हुई है। इसमें 3 जुनियर स्टैनोग्राफर्ज एक ट्रैसर, एक सहायक, एक असिसटैन्ट, ड्राफ्टसमैन

आठ स्टेनो टाईपिस्टस, एक सर्कल सुप्रिन्टेन्डेंट और हैड आफिस मे भी एक स्टेनो की कमी है, ये टोटल 26 बनते है और एक बी०सी० की पोस्ट भी खाली है इसको मिलकार टोटल 27 पोस्टे बनती है ?

चौधरी फूल चन्द मुलाना: अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय मंत्री जी ने माना है कि क्लास तीन और क्लास चार मे भाोर्टफाल है और जब एस०एस०एस० बोर्ड से सिलैव इन होकर आ जाएगी तो ये पोस्टे भर लेगे। ऐसे तो काफी समय लग जाएगा। क्या जल्दी भरने के लिए सरकार कुछ ठोस कदम उठायेगी, यदि हां तो कितनी जल्दी भर कर पूरा कर लेगी?

चौधरी आन्नद सिंह डांगी: अध्यक्ष महोदय, सरकार की प्रक्रिया है कि एस०एस०एस० बोर्ड से ही भरती करते है। हम बोर्ड को कह देगे कि वे जल्दी से जल्दी सिलैव इन करके कैंडीडेटस भेजे।

श्री पीर चन्द: अध्यक्ष महोदय, क्लास तीन के कर्मचारियो का जो बैकलाग पडा है इस मे किस किस कैटेगरी के लोगो को भामिल करते है? जैसे क्लर्क है, औवरसीयर्ज है और कौन कौन सी पोस्ट ऐसी है जिनमे भाोर्टफल है?

चौधरी आन्नद सिंह डांगी: क्लर्क से लेकर डी०सी० तक इस डिपार्टमेंट मे आते है इन सबकी टोटल 26 पोस्टे बनती है।

डा० राम प्रकाश I: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी ने जानना चाहूंगा कि बी०सी० और एस०सी० की पोस्टों के लिए अलग से ही एडवर्टाइजमेंट देने के बारे में सरकार क्या सोच रही है?

चौधरी आन्नद सिंह डांगी: अध्यक्ष महोदय, पहले यह था कि हम इनके लिए तीन बार पोस्ट्स एडवर्टाइज करते थे और तीनों बार उपर्युक्त व्यक्ति न मिलने पर जनरल कैटेगरी से पोस्टों को भर लेते थे परन्तु अब वे पोस्टे तब तक खाली रहेगी जब तक एस.सी. के कैंडिडेट्स नहीं मिलते ।

श्री सतबीर सिंह कादयान: अध्यक्ष महोदय, रोहतक सर्कल में जिला वार्ड्स क्लास 4 के कैंडिडेट टैम्परेरी लगाए गए हैं। कृपया मंत्री महोदय यह बताएंगे कि वहां पर कितनी पोस्टे खाली पड़ी हैं?

चौधरी आन्नद सिंह डांगी: वहां कोई पोस्ट खाली नहीं है और न ही कोई टैम्परेरी भर्ती हुई है ।

डा० राम प्रकाश I: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अभी कहा था कि अगर उपर्युक्त व्यक्ति न मिले तो पोस्टे खाली रखी जाएगी लेकिन सवाल तो पोस्टों को भरने का है। अगर एक्सकल्यूसिवली बी.सी./एस.सी. के लिए एडवर्टाइज करे तो यह भी भरी जा सकेगी ।

चौधरी आनन्द सिंह डागी: अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मेरे माननीय सदस्य ने भाार्टफाल के बारे में कहा है कि मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि पूरे डिपार्टमेंट के अन्दर बैकवर्ड क्लासिज की कोई भी पोस्ट खाली नहीं है, सारी की सारी पोस्टे फिलअप हो चुकी है।

श्री अमर सिंह: अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री जी बतायेंगे कि क्लास थ्री और क्लास फोर में कितना भाार्टफाल है? इन्होंने अपने जवाब में क्लास फोर में भाार्टफाल बताया है। क्लास फोर में तो मोस्टली स्वीपर ही होते हैं इसलिए इसमें तो ओवर इम्प्लायमेंट होनी चाहिए, भाार्टफाल क्या है, यह ये बतायें?

चौधरी आनन्द सिंह राठी: अध्यक्ष महोदय, क्लास फोर में कोई भी भाार्टफाल नहीं है।

श्री अमर सिंह: अध्यक्ष महोदय, क्लास फोर में भाार्टफाल है।

चौधरी आनन्द सिंह राठी: अध्यक्ष महोदय, हमें बता दें कि कौन सी जगह पर भाार्टफाल है? मेरे डिपार्टमेंट के अन्दर केवल 26 पोस्टे डिप्लोमा कास्टस की और 1 पोस्ट बैकवर्ड क्लास की है, यानी कुल 27 पोस्ट खाली है। इसके अलावा कोई और पोस्टे खाली नहीं है।

श्री अमर सिंह: अध्यक्ष महोदय, इन्होंने अपने जवाब में दिया है—

“As regards Class III & IV it will be possible to wipe off shortfall when requisite number of candidates are recommended by S.S.S Board, Haryana to when requisitions stand submitted.”

आपने लिखा है कि हमने क्लास फोर में रिक्रूटमेंट के लिए एस.एस.एस. बोर्ड को लिखा हुआ है। लेकिन क्लास फोर की रिक्रूटमेंट तो चीफ इंजीनियर या एस.ई० ही कर सकता है?

चौधरी आनन्द सिंह डागी: अध्यक्ष महोदय, अगर मेरी बात इनकी समझ में न आये तो क्या कर सकता हूँ? क्लास थ्री की रिक्रूटमेंट एस.एस.एस. बोर्ड करता है और क्लास फोर की रिक्रूटमेंट एम्प्लायमेंट एक्सचेंज द्वारा की जाती है। क्लास फोर में इस डिपार्टमेंट के अन्दर कोई भार्टफाल नहीं है।

श्री अमर सिंह: अध्यक्ष महोदय, ये अपना अंग्रेजी का जवाब पढ़कर देख लें इसमें क्लास थ्री और क्लास फोर में कोई भार्टफाल है या नहीं है? इन्होंने अपने जवाब में कुछ और लिखा है लेकिन अब हाउस में कुछ और कर रहे हैं?

Mr. Speaker: It stands modified orally.

Shri Amar Singh: Speaker Sir, what do you mean by modification?

ये तो मौखिक तौर पर इनके बारे में कुछ भी नहीं कर रहे हैं (विधन)

श्री सतबीर सिंह कादयान: अध्यक्ष महोदय, मौडिफिके ान की तो बात आपने कही है।(विघ्न)

श्री पीर चन्द: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि जबतक यह भार्त्फाल पूरा नहीं हो जाता, तब तक ये 50 परसेंट पोस्टे ि ाडल्यूड कास्टस से भर ले और 50 परसेट जनरल कटैगरी से भर ले। मंत्री महोदय क्या इस बात पर विचार करेंगे?

चौधरी आनन्द सिंह डांगी: अध्यक्ष महोदय, यह तो एस. एस.एस. बोर्ड का काम है। मेरे डिपार्टमेंट के अन्दर रिजर्वे ान की जो रे ाो है, वह पूरी है।(विघ्न)

मुख्यमंत्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्यो ने अपना खदसा जाहिर किया है कि ि ाड्यूल्ड कास्ट्स का, बैकवर्ड क्लासिज का और ऐक्स सर्विसमैन का कोटा पूरा होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार को बने हुए अभी सिर्फ 20 ही महीने हुए है। इस बीज हमने पुलिस मे भी 1200 आदमी भर्ती किये है। जिसमे से 200 बैकवर्ड, 400 ि ाड्यूल्ड कास्ट और बाकी दूसरी जाति के है। हमारी पूरी कोि ा ा है कि जो पिछला बैकलांग है उसे पूरा किया जाए। पिछडे वर्ग के अलग से इंटरव्यू लिए गए है एक्ससर्विसमैन और ि ाड्यूल्ड कास्ट के इन्टरव्यू भी अलग से लिए गए है ताकि सबका बैकलाग पूरा किया जाए। इनके भासनकाल मे राज्य मे बैकलाग 20 से घटाकर 13

प्रति त पर आ गया था, यह रिकार्ड की बात है जिसे अब हम साढे सोलह प्रति त पर ले आए है और हमारी यही कोि त त है कि अगले एक साल के अन्दर, जो साढे तीन प्रति त बैकलाग बाकी रहता है वह पूरा कर देगे। जहा तक रोस्टर का मतलब है उसमे सीनियरिटी का मामला आ जाता है। रोस्टर के लिए बाकायदा हमने हिदायते जारी कर दी है कि सलैव तन रोस्टर के मुताबिक करे। चार जनरल कैटेगरी के लोगो के बाद एक हरिजन और बैकवर्ड का नंबर आना चाहिए।

तारकित प्र तन संख्या 407

यह प्र तन पूछा नही गया क्योकि माननीय सदस्य प्रो० छतर सिंह चौहान सदन मे उपस्थित नही थे।

तारकित प्र तन संख्या 416

यह प्र तन पूछा नही गया क्योकि माननीय सदस्य प्रो० छतर सिंह चौहान सदन मे उपस्थित नही थे।

Cases Registered under Tada

***437 Shri Jai Parkash:** Will the Chief Minister be pleased to state the district wise number of cases, if any registered under the Terrorist and distruption activities (Prvention) Act, 1987 during the year 1992-93 in the State together with details of persons arrested under the aforesaid Act?

मुख्यमंत्री (चौधरी भजन लाल): विवरण तालिका सदन
के पटल पर रखी जाती है।

विवरण तालिका

	टाडा के अन्तर्गत 1992-93 के दौरान दर्ज अभियोगो की सख्या		टाडा के अन्तर्गत 1992-93 के दौरान गिरफ्तार व्यक्तियो की सख्या अभियोगो की सख्या	
	1992	1993	1992	1993
1. अम्बाला	20	1	12	1
2. यमुनानगर	7	—	8	—
3. कुरुक्षेत्र	10	1	14	7
4. कैथल	3	—	5	—
5. हिसार	48	4	66	4

6. सिंरसा	35	3	47	3
7. जीन्द	17	—	19	—
8. भिवानी	11	—	11	—
9. करनाल	6	—	22	—
10. पानीपत	1	—	3	—
11. रोहतक	10	—	27	—
12. सोनीपत	—	—	—	—
13. गुडगावं	—	—	—	—
14. फरीदाबाद	2	—	3	—
15. रिवाडी	2	—	2	—
16. नारनौल	—	—	—	—
	172	9	239	15

श्री जय प्रका T: अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि जो 1992-93 मे टाडा के तहत केसिज रजिस्टर किए गए, उन की मौजूदा हालत क्या है?

सरकार ने आतकवादियों की गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि टाडा की अधिसूचना 1987 में ई पू कर दी थी। देा में उग्रवाद बढ़ा, इसलिए टाडा की इस्तेमाल भुरू हुआ और उसके तहत केसिज दर्ज हुए जैसाकि मैंने अभी आकड़े सदन के पटल पर रखे और व आपके सामने है। उसमें यह आदेा हुआ और नोटिफिकेान हुई कि जो व्यक्ति पकड़ा जाए और जिसके पास असला या कारतूस हो तो उसके ऊपर धारा-5 के तहत टाडा लगाना पड़ता है। अगर सरकार न भी लगाए तो कोर्ट लगाती है और टाडा लागना चाहिए ताकि देा में उग्रवाद का बढ़ावा न हो। लोग हथियार लेकर आम जनता के साथ ज्यादाती, जुल्म या हत्याएं न कर सके, इसी बात को लेकर टाडा का प्रावधान किया गया। जहा तक उग्रवाद की रोकथाम का सवाल है, हरियाणा प्रदेश में उग्रवाद को रोकने के लिए पूरे प्रयत्न किए गए हैं जिसका नतीजा यह है कि हरियाणा प्रदेश में इक्का दुक्का वारदात को छोड़कर बहुत भाति और अमन रहा है, पिछले छह महीने से एम भी वारदात आपके नोटिस में नहीं आई होगी। हमारी पूरी कोिा है कि प्रदेश में उग्रवाद न पनपे और प्रदेश का वातावरण ठीक रहे। भाति और अमन बना रहे। हमने पूरी तरह से नाकाबन्दी कर रखी है। नाको द्वारा सारे प्रदेश को सील किया हुआ है ताकि कहीं से भी कोई गलत आदमी प्रदेश में न घूस

आये और बाहर से आकर कोई भी आदमी वारादात न कर सके। ऐसे लोगो को हमने पकडा भी है, सिवाये एक केस के जो करनाल सिनेमा मे बम रखा गया था बाकी सारे ऐसे केसिज मे या तो हमने मुलजिमो को पकड लिया है या फिर पुलिस के साथ मुकाबले मे मारे गये है।

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, अभी मुख्यमंत्री जी ने अपने जवाब मे बताया है कि किसी के पास अगर कोई हथियार मिल जाये या कारतूस मिल जाये तो उस पर टाडा लगाया जाता है। मै मुख्यमंत्री महोदय, से कहना चाहता हू कि जब किसी आदमी के पास कोई देसी कट्टा या कारतूस मिल जाये तो उस पर आर्म्ज एक्ट लगना चाहिये क्योकि आर्म्ज एक्ट अभी भी स्टैड करता है। लेकिन अब सरकार क्या करती है? पिछले दिनो मुख्यमंत्री जी के अपने जिले हिसार मे ही एक केस डाबडा चौक पर हुआ है वहा पर एक औरत और एक आदमी आवारागर्दी कर रहे थे। मुख्यमंत्री महोदय के नोटिस मे क्या बात है कि आदमी के जिम्मे तो कट्टा लगा दिया गया और औरत के जिस्मे कारतूस लगा दिये गये। इस तरह इन दोनो पर टाडा लगा दिया गया। अगर इस तरह से किया जायेगा। then there will be no end to it. अगर दे ि कट्टा या कारतूस किसी के पास मिलते है और टाडा के तहत पकडा जायेगा तो आम आदमी की क्या हालत होगी? उसके अलावा आपने ऐसे मामले मे डी०एस०पी० को यह पावर्ज दे रखी है कि वह इन्वैस्टीगे ान करेगा। उसकी मर्सी पर आपने छोडा हुआ है कि

अगर वह कहेगा कि केस बनता है तो उस व्यक्ति को अन्दर कर देगे, अगर वह नहीं कहेगा तो आप छोड देगे । आपने द्वारा यह सारा कुछ डी0एस0पी0 की मर्सी पर छोडा हुआ है ऐसा नहीं होना चाहिये ।

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, अगर किसी माननीय सदस्य के नोटिस मे यह बात आये कि कही पर कोई केस गलत बनाया गया है या झूठा बनाया गया है तो उसकी इन्कवायरी की जा सकती है । यह आप कह सकते कि पिस्तौल उस आदमी के पास था, मगर उस लेडी के पास कारतूस नहीं था। यह बात भी हो सकती है कि उसके पास कारतूस न हो। और यह बात भी हो सकती कि उसके पास कारतूस हो। मैं यह नहीं कहता कि आप बात गलत है। अगर कोई गलत केस बनाया गया है तो आप उसकी इन्कवायरी करा सकते है। अगर वह बेनुैगाह है तो उसको छोडा जा सकता है, इस बारे मे धारा 5 स्पष्ट है। यह कानून तो आपके जमाने का, 1987 का बनाया हुआ कानून है। 1988 मे आपने भी टाडा के तहत 194 लोगो को पकडा था। आपके जमाने मे काफी लोग टाडा के तहत पकडे गये थे।(व्यवधान एवम भाोर) हमने भारत सरकार को इस बारे मे लिखा है और कहा भी कि जिस आदमी के पास से पिस्तौल पकडी जाती है या कारतूस पकडा जाता है, उस पर टाडा नहीं लगाना चाहिये। भारत सरकार से पिछले दिनो होम सैक्रैटरी और डायरैक्टर जनरल आफ पुलिस की मीटिंग मे भी बात हुई है उस मीटिंग मे सारे

दे 1 के आफिसर्ज आये हुए थे। हमने भारत सरकार से बकायदा मीटिंग में कहा कि ऐसे केसिज में आर्म्ज एक्ट के तहत चालाना होना चाहिये। अगर कोई व्यक्ति टैरोरिस्ट एक्टिविटीज में इन्वाल्वड है उस पर तो टाडा लगाया जा सकता है लेकिन ऐसे साधारण केसिज में नहीं लगाना चाहिए। सारे मामले पर भारत सरकार के साथ विचार हो रहा है और हमारी को 1 1 यही है कि ऐसे आदमी पर टाडा नहीं लगाना चाहिये।

श्री मनी राम केहरवाला: स्पीकर साहब, क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि पिछले चार सालों में कितने केसिज टाडा के हुए हैं और किन किन केसिज का फैसला हो चुका है?

चौधरी भजन लाल: चार साल कब से कब तक?

श्री मनी राम केहरवाला: इन भलमनामों के राज के दौरान।

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, 1988 में 196 लोगों को अरैस्ट किया गया। 1989 में 76 लोगों का अरैस्ट किया गया। 1990 में 51 लोगों को अरैस्ट किया गया। जंहा तक हमारी इस सरकार का ताल्लुक है, हमने 1992-93 के दौरान केवल 15 लोगों को टाडा के तहत अरैस्ट किया है।

श्री मनीराम केहरवाला: क्या मंख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि टाडा के तहत जिन व्यक्तियों को बन्द

किया गया है, उन में से केवल चार साल में कितने केसों का फैसला हो गया है?

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, टाडा के तहत 239 लोग पकड़े गए। इनमें 38 उग्रवादी पंजाब के थे और 12 उत्तर प्रदेश के थे। कितने केसों का फैसला हुआ। यह इफॉर्मेशन मैं भिजनवा दूंगा।

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, टाडा के तहत कुछ निर्दोश लोगों को भी बन्द किया गया है और निर्दोश समझ कर कोर्ट ने छोड़ दिया है। क्या मुख्यमंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि उन अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने निर्दोश लोगों को गिरफ्तार किया, कोई कार्यवाही करने पर सरकार विचार करेगी?

चौधरी भजन लाल: स्पीकर साहब, इक्वायरी करने के बाद ही इस बात का निर्णय किया जाता है कि कौन झूठा है, कौन सच्चा है और इस बात का फैसला तो कोर्ट ही करती है। भाहादत के आधार पर किसी केस की नौहयत क्या है, गवाह क्या कहते हैं, उसके मुताबिक सरकार कार्यवाही करती है।

श्री अमीर चन्द मक्कड: क्या मुख्यमंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि अम्बाला, हिसार और सिरसा में तो लोग गिरफ्तार हुए और जिनके खिलाफ केस दर्ज हुए, उनमें उग्रवादी कितने हैं, उनको पनाह देने वाले कितने हैं और नाजायज हथियार रखने वाले कितने लोग हैं?

चौधरी भजन लाल: स्पीकर साहब, तीन बाते है। पजाब के 38 उग्रवादी हमने पकडे है जो बार्डर के जिले के है जैसे कुरुक्षेत्र, कैथल, सिरसा और हिसार इन जिलो मे 82 ऐसे लोग है जिनको उग्रवादियो को पनाह के आरोप मे गिरफतार किया है। बारह उग्रवादी उत्तर प्रदे 1 के पकडे है।

सरदार जसविन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, पेहवा मे ट्रक यूनियन मे झगडा हुआ था और दोनो और से फायरिंग हुई थी। वहां पर मलिकपुर गांव मे एक कपूर सिंह वाडी लुहार रहता है। उसने बहुत साल पहले नायायज हथियार बनाने का काम छोड दिया था। डी0एम0पी0 ने उसको एस0एच0ओ0 के थू बुलवाया लेकिन वह नही आया। उसके बाद डी0एस0पी0 खुद उसको बुलाकर लाया और उसे बाकायदा थाने मे बिठाकर, डी0एस0पी0 की हाजरी मे 15-16 कट्टे बनवाए गए और उसके बाद उसे टाडा के तहत गिरफतार कर लिया गया। ट्रक यूनियन का जो झगडा हुआ था, उसमे बीस बाईस लोगो के नाम एफ0आई0आर0 मे लिखे गए है। क्या मुख्यमंत्री महोदय इस सारे कांड की इंक्वायरी करवाएगे।

चौधरी भजन लाल: अगर माननीय सदस्य इस केस की डिटेल जानना चाहते है तो मै बता सकता हू। जहा तक इंक्वायरी की सवाल है, अगर माननीय सदस्य चाहे तो दुबारा से इंक्वायरी करवा देगे और बिल्कुल निशपक्ष इंक्वायरी करवा देगे किसी के साथ कोई बेइसाफी नही होगी।

Transformer of Power House, Gohana

***429. Shri Kitab Singh:** Will the Chief Minister be pleased to state whether it is a fact that the transformer of Power House, Gohanan, in Gohana division is overloaded; if so, whether there is any proposal under consideration of the Govt. to replace the said transformer together with the time by which it is likely to be replaced?

चौधरी भजन लाल: हा श्रीमान जी, वर्ष 1993-94 के दौरान गोहाना में एक अतिरिक्त 16 एमवीए 132/11 केवी ट्रांसफार्मर स्थापित करने के प्रस्ताव है।

श्री किताब सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्यमंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि गोहाना के अन्दर जो वर्तमान ट्रांसफार्मर है, वह कितने दिनों से ओवर लोडिड है? जैसा कि इन्होंने अपने उत्तर में बतलाया है कि वर्ष 1993-94 के दौरान गोहाना में एक अतिरिक्त 16 एमवीए 132/11 केवी ट्रांसफार्मर स्थापित करने का विचार रखती है, क्या सरकार खरीफ फसल के पहले पहले इस ट्रांसफार्मर को बदलने का विचार रखती है ताकि लोगों को किसी प्रकार की बिजली न मिलने से उत्पन्न होने वाली दिक्कतों का सामना न करना पड़े।

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने लिखित उत्तर में भी यही कहा है कि वहाँ पर 16 एमवीए का नया ट्रांसफार्मर लगाने का प्रस्ताव सरकार के विचारधीन है। इसके लिए आदेश दिये गये हैं, कार्यवाही शुरू कर दी गई और लगभग 1

करोड रूपया इस पर खर्च आएगा। यह ट्रांसफार्मर एक साल से पहले पहले बनकर तैयार हो जाएगा। हमने यह फैसला किया है कि रबी फसल से पहले जसिया और कथूरा के जो 32-33 के 0वी0 के दो सब स्टे अनज है, का लोड गोहाना की तरफ कवर्ट कर देगे। सात आठ महीनो के अन्दर अन्दर जब नेय ट्रांसफार्मर चालू होने का कार्य पूरा हो जाएगा तो उस इलाके मे जो बिजली की दिक्कत है, वह दर हो जाएगी।

Case of Rape/Murder/Aduction/Kidnapping occurred in the State.

***456 Prof Sampat Singh:** Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) the number of cases of murders/dowry deaths/rapes/murder after rapes/kidnapping and abuction registered in the State during the years 1991-92 and 1992-93, and

(b) the number of cases out of those referred to in part (a) above relating to minor girls/boys and the person belonging to Scheduled Castes and Backward Classess?

मुख्यमंत्री चौधरी भजन लाल एक विवरण तालिका सदन के पटल पर रखी जाती है।

विवरण तालिका

भाग (क) दर्ज किये गये मुकदमे:

अपराधा का भीर्षक	वर्ष	वर्ष	वर्ष	31.1.1993 तक
	1991	1992	1993	
हत्या	590	611	41	
दहेज हत्या	113	169	13	
बलात्कार	161	238	15	
बलात्कार के बाद हत्या	7	5	1	
अपहरण	287	331	27	

भाग (ख) नाबालिग लडके / लडकिया अनुसूचित जातियो पिछडी जातिया

	199	199	199	199	199	199	199	199	199
	1	2	3	1	2	3	1	2	3
हत्या	18	21	28	41	22	23
दहेज हत्या	7	14	10	4	7

बलात्कार	38	55	3	26	36	5	45	56	5
बलात्कार के बाद हत्या	2	2	1
अपहरण	62	42	6	23	22	5	17	18	1

प्रो० सन्तप सिंह: अध्यक्ष महोदय, अभी मुख्यमंत्री महोदय ने अपने लिखित जवाब में अलग अलग केसिज का जिकर किया है। इनमें माईनर लडके लडकियों के मर्डर केसिज, माईनर लडकियों के साथ रेप केसिज, जिनमें अनसूचित जाति व पिछड़ी जाति के लोग भी शामिल हैं। माईनर लडकियों के साथ रेप के बाद मर्डर करने के केसिज हैं और इन अपराधों की संख्या दिन प्रति दिन बढ़ रही है। मैं उनसे यह जानना चाहता हूँ कि जिन केसिज का उन्होंने अपने लिखित उत्तर में जवाब दिया है उनमें से कितने केसिज ऐसे हैं जो अनट्रेसेबल हैं, कितने केसिज में चालान हुए हैं कितने केसिज का फैसला हो चुका है, कितने केसिज में सजा हो चुकी है और कितने केसिज में लोग बरी हो चुके हैं।

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय 1991 में 590 मर्डर के केसिज दर्ज हुए, इनमें से 495 के केसिज में चालान हुआ, 28

को सजा हुई, 91 बरी हुए, 11 कैसल हुए, 60 केसिज अन ट्रेसबल रहे, 15 मे तफती 1 जारी है और 316 केसिज अदालत मे है। इस तरह से अगर सभी केसिज के बारे मे आप डिटेल मे पूछना चाहे तो मै बता सकता हूँ जैसे अनुसूचित जाति एवम पिछडी जाति की लडके लडकियो के साथ जितने केसिज हुए उसका हवाला मैने अपने ही लिखित उत्तर मे दे दिया है इसी तरह से 1992 मे 611 मर्डर केसिज दर्ज हुए उनमे से 390 के चालान हुए, 9 को सजा हुई, 35 बरी हुए, 26 कैसल हुए, 182 केसिज मे तफती 1 जारी है और 346 केसिज कोर्ट मे है।

श्री अमर सिंह: अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री महोदय से सभी केसिज के बारे मे अपने लिखित उत्तर मे सूचना तो दे दी है लेकिन मै उनसे यह जानना चाहता हूँ कि माईनर गर्ल्ज के साथ रेप करने के बाद कितने केसिज मे मर्डर हुआ, कितने ऐसे केसिज अन ट्रेसबल है और कितने केसिज मे सजा हुई है?

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, 1991 मे नाबालिग लडके लडकियो के 18 केस दर्ज हुए इनमे से 12 की हत्या हुई। अनुसूचित जातियो के 28 केस दर्ज हुए और इनमे से 15 की हत्याए हुई। इन दोनो को मिला कर 25 केसिज के चालान हो गए है, 4 बरी हो गए है दो अदम पता है और 21 केस अदालत के अन्दर है। (विधन) अनुसूचित जातियो तथा पिछडी जातियो के बलात्कार के केस 1991 मे 26, 1992 मे 36 और 1993 मे 5 हुए।

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, ये जो फिगर्ज मैबर्ज की सप्लार्ड की गई है, इसमें मुख्यमंत्री जी ने नोट किया होगा कि रैप केसिज 1991 में 161 थे और 1992 में 238 हो गए। इसी तरह से माईनर गलर्ज और बु आयज के रैप केसिज में भी काफी इनक्रीज आई है। क्या मुख्यमंत्री जी इस बारे में विचार करेंगे कि ये गवर्नमेंट आफ इंडिया को मूव करे कि रैप केस में जो अदालत सजा देती है, वह बहुत सख्त नहीं होती उसे लाईफ इम्परिजनमेंट कर दिया जाए ताकि ये अपराधा कम हो?

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महादेय, इसके लिए कानून में चेंज करनी पड़ेगी और उसे तो भारत सरकार ही कर सकती है।

श्री वीरेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, मुझे श्री अमर सिंह जी ने करैक्ट किया है कि ऐसा हो गया है।

चौधरी भजन लाल: अगर हो गया है तो ठीक है।

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, दो माईनर मर्डर में स्पैसिफिक केस है जिनके बारे में मैं पूछना चाहता हूँ। एक साढ़े पांच साल का अ पी 1 नाम का लडका 12.11.1992 को स्कूल से उठाया गया। यह रेन बो स्कूल, नारनौल से उठाया गया था और उसके बाद उसकी ला 1 8-10 दिन बाद वहा से 4 किलोमीटर पर मिली। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या अब तक उस केस में कोई कार्यवाही हुई है या किसी को गिरफ्तार किया गया है दूसरे केस

के बार मे खुद मुख्यमंत्री जी को मालूम है। इनके खुद के हल्के मे एक असरांवा गाव है। वहा पर 6 साल का राजेन्द्र नाम का बच्चा गायब हुआ और अगले दिन सुबह उसके घर के पडौस मे उसकी ला 1 मिली। उस गांव के लोग मुख्यमंत्री जी को मिले और उन्होंने एक दो जनो पर ऊगलियां भी उठाई, यह भी हो सकता है किसी बांझ औरत ने ऐसा किया हो। उस कातिल को पुलिस ने पूछा लेकिन पकडा नहीं। उस उस कातिल का संबध इनके हल्के के गांव से है इसलिए उन्होंने कहा है कि इस पर जरूर कार्यवाही की जाएगी। वहा के एस0पी0 का भी ब्यान आया था किसी को पोलिटिकल माइलेज नहीं निकालने दी जाएगी। हम चाहते है कि बच्चे के कातिल को जल्दी पकडा जाए और मै इससे यह पूछना चाहता हू कि कब तक वह पकडा जाएगा? इसके इलावा, श्री जोगिन्द्र सिंह के अपने गांव से एक लडकी को उठा लिया गया लेकिन अभी तक उसके बारे मे कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मै मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हू कि उस केस के बारे मे कब तक कार्यवाही भुरु हो जाएगी?

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, सम्तप सिंह जी ने नारनौल के केस के बारे मे पूछा है। उस केस के बारे मे मै इनको बताना चाहूंगा कि उसमे पांच आदमी गिरफतार हो चुके है। जहा तक इनका सवाल आदमपूर हल्के के असंरावा गांव के बारे मे है, वह केस मेरे नोटिस मे है। वह केस मेरे नोटिस मे लाया गया और उस गांव के लोग मेरे से मिले थे। मैने वहा के एस0पी0 को

आदे । दिये थे कि आप बाकायदा पूरी छानबीन करके मुझे रिपोर्ट दे। उस गांव के तकरीबन सभी लोग लगातार पिछले चालीस सालो से मुझे वोट देते आ रहे है। किसी के साथ कोई ज्यादाती हो यह भी ठीक बात नहीं और यदि कोई गुनाहगार छुट जाए तो यह भी ठीक बात नहीं है। एस0पी0 ने गावं के लोगो को बुला कर पूछ ताछ की और महिलाओ को अलग बुला कर पूछ ताछ की। महिलाओ से इसलिए पूछताछ की क्योकि कई बार किसी महिला के बच्चा पैदा न होने की वजह से टोना टाकी के हिसाब से बच्चे की बलि चढा दे ताकि उसको बच्चा हो जाएगा। लेकिन अभी तक उस केसे के बारे मे कोई पता नहीं चल सका। कि वह कैसे मरडर हुआ है। फिर भी मै इनको बताना चाहता हू कि मै जितने बार भी वहा जाता हू तो उस केस के बारे मे एस0पी09 से पूछता हू। जब उस बच्चे के परिवार वालो से पूछा गया कि क्या आपको किसी भी भाक है तो उन्होने कहा कि उन्हे किसी पर भाक नहीं है। वे किसी का नाम भी नहीं लेते लेकिन फिर भी उस केस के बारे मे पूरी जांच कर रहे है कि वह बच्चा कैसे मरा है और किसने मारा है। इन्होने एक सवाल यह भी किया है कि जोगिन्द्र सिंह जी के गावं से किसी लडकी को उठा लिया गया। इस बारे मे मुझे अभी तक पूरी जानकारी नहीं है। इसके बारे मे पूरी जानकारी ले करके मै कल या परसो तक इनको बता दूगा।

Upgradation of the Schools

***425 Chaudhri Zile Singh Jakhar:** Will the Minister for Education be pleased to state whether there is

any proposal under consideration of the Govt. to upgrade the Govt. High School, Birohar and Salhwas to 10+2 system school; if so, the time by which the said schools are likely to be upgraded?

शिक्षा मंत्री (श्रीमती भान्ति देवी राठी): जी नहीं।

चौधरी जिले सिंह जाखड: स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हू कि स्कूलों को अपग्रेड करने के क्या नामर्ज है? पिछले बजट सै इन में मंत्री महोदया ने कहा था कि ऐसे स्कूल जिनकी बिल्डिंग खुद वहा के लोग बनवा कर देगे तो हम उन स्कूलों को अपग्रेड कर देगे। मेरे हल्के मे बिरोहड गांव के स्कूल की बिल्डिंग गांव के लोगो ने 30 लाख रूपए इकटठे करके बहुत अच्छी बिल्डिंग बनाई हुई है, उस बिल्डिंग जैसे सारे हरियाणा मे किसी भी स्कूल की बिल्डिंग नहीं बनी हुई है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भविश्य मे उस स्कूल को अपग्रेड करेगी?

श्रीमती भान्ति देवी राठी: स्पीकर साहब, माननीय सदस्य ने बिरोहड और साल्हावास स्कूलों का दर्जा बढ़ाने के बारे मे सवाल पूछा है। मैं इनको बताना चाहूगी कि बिरोहड गांव के स्कूल के लिए हमे 14 कमरे चाहिए वहा पर 7 कमरे उपलब्ध है और सातो कमरे असुरक्षित है। इसके इलावा एक आफिस चाहिए और एक स्टोर चाहिए लेकिन स्टोर नहीं है। प्रयोग गलाए तीन चाहिए लेकिन एक भी नहीं है। स्टाफ रूम एक है। एक हाल

चाहिए लेकिन नहीं है। चारदीवारी चाहिए लेकिन वह नहीं है। इसके इलावा 6 एकड़ जमीन चाहिए लेकिन जमीन केवल दो एकड़ है। 150 बच्चे चाहिए लेकिन बच्चे केवल 66 है। समीप के स्कूल से 8 किलोमीटर की दूरी चाहिए लेकिन यह नार्म भी पूरा नहीं होता। इसलिए भविष्य में भी यह स्कूल अपग्रेड होने की सम्भावना नहीं है।

चौधरी जिले सिंह जाखड: स्पीकर साहब, बिरोहड स्कूल में 24 कमरे पिछले चार साल से बने हुए हैं।

श्रीमती भान्ति देवी राठी: दूसरा स्कूल साल्हावास का है। साल्हावास इनका अपना हल्का है। इसमें कोई दो रायर नहीं कि कुछ बाते छोड़ कर साल्हावास का स्कूल सभी नार्मर्ज पूरा करता है। स्कूल अपग्रेड करने के लिए जितने नार्मर्ज होने चाहिए उससे भी ज्यादा नार्मर्ज पूरे करता है। लेकिन अभी ऐसी कोई नीति निर्धारण नहीं की गई है कि भविष्य में स्कूल अपग्रेड करने हैं या नहीं करने हैं। अगर सरकार ने स्कूल अपग्रेड करने के बारे में कोई निर्णय लिया तो स्कूल को अपग्रेड करने के बारे में विचार किया जा सकता है।

चौधरी बलवंत सिंह मैना: अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री महोदय ने किसी स्कूल को 10+2 के लैवल तक अप ग्रेड करने के बारे में नार्मर्ज बताए हैं। मैं मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूँ कि मेरे हल्के में सांपला के अन्दर लडकियों का और एक लडको

का हाई स्कूल है। इसके अलावा प्राइवेट स्कूल भी है। सरकार ने उस प्राइवेट हाई स्कूल को तो 10+2 में बदल दिया है लेकिन जो सरकारी स्कूल है उनको 10+2 में नहीं बदला। पिछले दिनों सांपला के अन्दर एक स्कूल का बच्चा बस से गिर कर मारा गया था। मैं मंत्री महोदय के नोटिस में यह भी लाना चाहूंगा कि जो सरकारी हाई स्कूल है, वह सारे नार्मर्ज पूरा करता है। जब एक प्राइवेट स्कूल को अपग्रेड किया जा सकता है तो सरकारी स्कूल को अपग्रेड करने में इन्हें क्या कठिनाई है?

श्रीमती भान्ति देवी राठी: अध्यक्ष महोदय, एक बात तो मैं अपने भाई को यह बतलाना चाहती हू कि जितना अधिकारी सरकारी स्कूलों का है, उतना ही अधिकार किसी प्राइवेट स्कूल को भी है। इन दो स्कूलों के बारे में जो सवाल पूछा है इसके लिए ये अलग से नोटिस दे दे, तो मैं इनको बात पाऊंगी।

चौधरी औमप्रकाश बेरी: अध्यक्ष महोदय, भाई जिले जी ने बिरौहड गांव के स्कूल को अपग्रेड किए जाने के बारे में पूछा था और शिक्षा मंत्री महोदय ने जो विवरण दिया है, उससे लगता है कि अधिकारियों की तरफ से इनको गलत जानकारी दी गई है। मैं बताना चाहूंगा कि जो विवरण इन्होंने दिया है वह पुरानी बिल्डिंग का दिया है। जो नई बिल्डिंग बनी है उसके 24 कमरे हैं। उस नई बिल्डिंग का हाल इतना बड़ा है कि मैंने हरियाणा के अन्दर किसी भी स्कूल में इतना बड़ा हाल नहीं देखा। इसी प्रकार स्कूल का गेट भी बहुत बढ़िया है और चारदिवारी भी बनी हुई है।

गावो वालो ने बडी मेहनत से स्कूल की बिल्डिंग को तैयार किया है ऐसी बिल्डिंग तो भायद किसी कालेज की भी न हो। हालाकि यह स्कूल मेरे हल्के मे नही पडता लेकिन मैने उस बिल्डिंग को देखा है। इसलिए मे चाहूंगा कि सरकार उसको जल्दी से 10+2 मे अपग्रेड करने की कृपा करे।

श्रीमती भान्ति देवी राठी: अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से अपने भाई बेरी साहब को बताना चाहती हू कि विभाग ने जो सूचना मुझे दी थी, वही मैने दी है। फिर भी जैसा इन्होने बताया है मै इसे दिखवा लूगी कि इसमे क्या गडबड है? यदि वह स्कूल सारी मान्यताए पूरी करता है और वास्तव मे अपग्रेड करने लायक है तो मै आपके जरिये इनको बताना चाहती हू कि भविश्य मे इस स्कूल को अपग्रेड किए जाने पर विचार कर लिया जायेगा।

श्री पीर चन्द: अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से बताना चाहता हू कि मेरे हल्के मे एक जाखल मे हाई स्कूल है और मण्डी भी है। इसके अलावा वहा म्युनिसिप्ल कमेटी भी है। मैने इस बारे मे पहले भी एक क्वै चन मे पूछा था कि जाखल का हाई स्कूल जो 10+2 की सारी मान्यताए पूरी करता है को क्यो अपग्रेड नही किया जाता? वहा पर 25 कमरे है। पहले यह स्कूल एक बार 10+2 का अपग्रेड भी कर दिया गया था लेकिन चालू नही किया गया था। बाद मे इसको फिर तोड दिया। मै यह भी बताना चाहूंगा कि उस भाहर की आबादी भी तकरीबन 15 हजार के आसपास है। इसके अलावा यह वैसे भी पजाब के बार्डर पर

पडता है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि इस स्कूल को कब तक 10+2 में अपग्रेड कर दिया जाएगा? (विध्वन)

श्रीमती भान्ति देवी राठी: अध्यक्ष महोदय, मेरे वरिष्ठ भाई पीर चन्द जी काफी बुजुर्ग हैं और हमारे वरिष्ठ साथी हैं। मेरे मन में उनके लिए बड़ा सम्मान है। स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से इनको बताना चाहती हूँ कि इस बारे में सरकार विचार करेगी कि इस स्कूल को अपग्रेड कर दिया जाए या नहीं।

Potable Water

***472 Chaudhri Om Parkash Beri:** Will the Minister for Public Health be pleased to state-

(a) whether the Government is aware of the fact that potable water is not available to the residents of unauthorised colonies in the State;

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to supply drinking water to the said colonies; and

(c) whether there is any proposal under consideration of the Government to provide domestic connections of drinking water in all villages of the State; if not the reasons there of?

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री निर्मल सिंह):

(क) हाँ।

(ख) गैर मजूर कालोनियो की जो नगरपालिका क्षेत्र मे आती है पीने का पानी दिया जाता है जब नगरपालिका उसे नियमित करती है। फिर भी कई मामलो मे नगरपालिका द्वारा नलो मे कालोनियो को माननीय आधार पर नियमित होने से पहले पानी दिया जा चुका है। गैर मजूर कालोनिया जो नगरपालिका क्षेत्र मे नही आती राज्य सरकार के समक्ष इनमे नलो से पानी देने बारे तकनीकी आधार पर प्रस्ताव रखा है। फिर भी इस बारे मे उन गैर मजूर कालोनियो मे जो कि नगरपालिका क्षेत्र से बारह है को पानी देने बारे कोई पालिसी प्रैक्टिकल दिक्कतो के कारण नही बनी है।

(ग) नही, फिर भी घरों मे पीने के पानी के निजी कनेक्ट इन छोटे पैमाने पर उन गावों मे दिये जा रहे है जहा पर पानी का पर्याप्त दबाव है।

श्री औम प्रकाश बेरी: अध्यक्ष महोदय, जो भी रेगुलर कालोनीज या अनएथोराइज्ड कालोनीज भाहरो मे होती है उनकी गिनती मतगणना के समय होती है और उनको पीने का पानी उपलब्ध करवाना सरकार का कर्तव्य है। पीने का पानी इन्सान की मौलिक अवयक्तताओ मे आता है। इसलिए देा के हर नागरिक को पीने का पानी देना सरकार की बडी भारी जिम्मेदारी है। जब सैसिज होती है उस वक्त उन एथोराइज्ड कालोनीज की आबादी को भी जनसख्या मे गिना जाता है अगर हम उसको पीने का पानी उपलब्ध नही करवा सकते, तो हम अपने उत्तरदायित्व से गुरेज करते है। ऐसी हालत मे क्या मंत्री महोदय हाउस मे यह

आ वासन देगे कि अन ऐथोराईज्ड कालोनीज को पीने का पानी उपलब्ध करवाया जाएगा? म्यूनिसिपल कमेटी की आमदनी बहुत थोड़ी होती है, इसलिए ये ज्यादा पैसा नहीं दे सकती। दूसरे, स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने बताया है कि डोमैस्टिक कनेक्शन देने की हमारी कोई परपोजल नहीं है। स्पीकर सर, पहले सरकार की तरफ से यह आ वासन दिया गया था कि जिन गावों की आबादी 10 हजार से ज्यादा होगी, उनमें डोमैस्टिक कनेक्शन दिये जायेंगे। स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जिन गावों की आबादी 10 हजार से अधिक है, क्या उनमें, डोमैस्टिक कनेक्शन देने के बारे में कोई मामला सरकार के विचारधीन है?

श्री निर्मल सिंह: स्पीकर सर, माननीय सदस्य ने जो पहला सवाल किया है उसके बारे में पहले ही मैंने अपने जवाब में बताया है कि अनलिमिटेड जो अनऐथोराईज्ड कालोनीज है, उनमें हम मानवीय आधार पर कहीं कहीं पानी देते हैं। जो कालोनीज लिमिट के बाहर हैं और एग्रुड कालोनीज नहीं हैं, उनको पानी देने की कोई नीति नहीं है। गवर्नमेंट की यह नीति के तहत इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचारधीन नहीं है। अगर ऐसा किया जाए तो इस पर बहुत भारी खर्च करना पड़ेगा। म्यूनिसिपल ऐक्ट, 1973 की धारा 203 (ग) के तहत कुछ भातें हैं और यदि कोई कालोनी उन भातों को पूरा करती है तो वह ऐथोराईज्ड कालोनी में बदल जाती है, जिसमें पीने का पानी उपलब्ध करवाने का

प्रावधान है। जहा तक निजी कनैव न देने के बारे मे पूछे गये प्र न का ताल्लुक है, मै अपने माननीय साथी को यह बताना चाहूंगा कि गावो मे निजी कनैव न देने के बारे मे कोई प्रस्ताव सरकार के विचारधीन नही है। फिर भी कुछ कण्डी न्ज है, जिनमे निजी कनैव न दिया जा सकता है जैसे कोई हैण्डिकैप्ड है, कोई बीमार है या कोई विकलांग फौजी है, उसको कही कही पर निजी कनैव न दे देते है।

श्री अमीर चन्द मक्कड: अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से मंत्री से जानना चाहूंगा कि यह जो नगरपालिका मे कालोनीज बनी हुई उनमे पानी देने की जिम्मेवारी म्यूनीसिपल कमेटी की है या पब्लिक हैल्थ विभाग की है? दूसरे अनअथोराईजड कालोनीज को पानी देने के बारे मे क्या नार्मज है?

श्री निर्मल सिंह: अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से मैम्बर साहब को बताना चाहता हू कि अनअथोराईजड तो अनअथोराईजड है और पानी का प्रबन्ध तो म्यूनिसिपल कमेटी ही करती है।

श्री रामपाल सिंह कंवर: मंत्री जी ने बताया कि प्राईवेट कालोनीज मे भी कनैव न अलाऊ करते है। तो क्या यह कनैव न मिनिस्टर लैबल से दिए जाते है या किसी और लैबल से दिए जाते है?

श्री निर्मल सिंह: यह मिनिस्टर लैबल से दिए जाते है।

श्री राजेन्द्र सिंह बिसला: अध्यक्ष महोदय, हमारे फरीदाबाद जिले में जो पहले से वाटर सप्लाई की स्कीम लगी हुई है, उसका पानी बहुत ही खारा हो गया है सरकार की लैबोरेटरी ने भी कह दिया है कि यह पानी आदमियों के पीने लायक नहीं है। तो क्या मंत्री जी आवासन देगे कि वहां पर युद्ध स्तर पर दूसरे ट्यूबवैल्ज लगाकर लोगों को पीने का पानी उपलब्ध करवाएंगे?

श्री निर्मल सिंह: अध्यक्ष महोदय, अगर ऐसा है तो मैम्बर साहब यह हमारे नोटिस में लिखकर लाए, इस बारे में कार्यवाही की जाएगी। इस बारे में लीडर आफ दी हाउस ने भी आवाहन दिया है।

श्री हरी सिंह नलवा: अध्यक्ष महोदय, क्या इनकी नोलेज में गांवों में पीने का पानी पैसे लेकर देने की कोई स्कीम है? जैसे कि मेरे हल्के के गांवों में 3 हजार रुपये लेकर पानी के कनेक्शन दिए जाते हैं, अगर ऐसा है तो जो भी व्यक्ति पानी का कनेक्शन मांगे उससे 3 हजार रुपये लेकर देने की कृपा करेंगे?

श्री निर्मल सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैंने ऐसा नहीं कहा है कि सभी को कनेक्शन देते हैं। जहां पर बहुत जरूरी होता है वहां कनेक्शन दे देते हैं। करनाल और कुरुक्षेत्र में जो अप्लाई करता है, उसको कनेक्शन दे देते हैं। इन्होंने 3 हजार की कोस्ट देने के बारे में जो कहा है उस बारे में मैं यह कहता हूँ कि एक हजार तो फीस है, वह तो लगती ही है, लेकिन घरों में जो

मैटिरीयल प्रयोग करते हैं, वह दो हजार का भी हो सकता है, तीन हजार का भी हो सकता है और पांच हजार का भी हो सकता है।

Construction of Studs on Jamuna River

***478 Shri Ram Pal Singh Kanwar:** Will the Minister for irrigation be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Govt. to construct studs on U.P pattern at Jamuna in district Karnal; if not, the reasons thereof?

Irrigation Minister (Chaudhri Jagdish Nehra): As per latest guidelines approved by Yamuna Committee, there is now no difference between U.P & Haryana pattern for design & construction of studs.

श्री राम पाल सिंह कंवर: स्पीकर साहब, मंत्री जी ने अपने जवाब में बताया है कि यू०पी० और हमारे हरियाणा में जो स्टडज बनाये जाने हैं तो वह यू०पी० के पैटर्न पर ही बनाए जाने हैं और उनके लिए अब गवर्नमेंट ने फैसला भी ले लिया है। मैं मंत्री जीने जानना चाहूंगा कि यह फैसला कब लिया गया है तथा इस फैसले के तहत यमुना में कब स्टडज बनाए गए हैं या बनाये जाने की प्रयोजल है?

चौधरी जगदी 1 नेहरा: स्पीकर साहब, यह फैसला चार साल पहले लिया गया था और आज जो हरियाणा में स्टडज बनाये हैं, वह यू०पी० के पैटर्न के मुताबिक ही हैं या बनाये जा रहे हैं। यह बात दुरुस्त है कि यू०पी० के पैटर्न पर जो स्टडज बने हुए हैं,

वे अभी 17 ही है। यू०पी० के जो स्टडज बने हुए हैं वह काफी लम्बे साईज के बने हुए हैं। हम लोगो के इसके लिए ऐतराज भी किया है कि यू०पी० ने जो ज्यादा स्टडज बना दिये हैं उनके कारण हमारी तरफ यानी हरियाणा की तरफ पानी आ जाती है। लेकिन अब तो लैटेस्ट स्टड बन रहे हैं चाहे वे यू०पी० के हो, चाहे वे हरियाणा के हो, तो वे यू०पी० के मुताबिक बन रहे हैं।

Mr. Speaker: Question Hour is over.

नियम 45 के अधीन सदस्यों की मेज पर रखे गए ताराकित प्रश्नों के लिखित उत्तर विभिन्न विषयों का उठाया जाना

Bridge on Yamuna River

* **484 Shri Ram Rattan:** Will the Minister of P.W.D (B&R) be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Govt. to construct a bridge of drums on Yamuna River near Hassanpur; and

(b) if so, time by which the aforesaid bridge is likely to be constructed?

लोक निर्माण मंत्री (चौधरी आनन्द सिंह डांगी):

(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

Construction of Link Raods

*** 468 Shri Satbir Singh Kadian:** Will the Minister for P.W.D (B&R) be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Govt. to construct the following links roads in District Panipat:

i) Puther to Chamrada;

ii) Dimana approach road to Vet. Hospital Siwan;

iii) Buana Lakhu to Shamri;

iv) Kutani to Bhaswal;

v) Urlana Khurd to Gurdwara Safidon Raod; and

लोक निर्माण मंत्री (चौधरी आनन्द सिंह डांगी):

(क) पानपत जिला मे क्रमांक 1 से 5 तक सडको के निर्माण का कोई प्रस्ताव नही है ।

(ख) यह कहना सम्भव नही है कि इन सडको के निर्माण पर कितना समय लगेगा ।

Industrial Units/Mild Plants in Palwal

***490 Shri Karan Singh Dalal:** Will the Minister for Environment be pleased to state-

(a) the total Number of Industrial Units/Milk Plants started functioning around Palwal City during the year 1992, and

(b) the names of Unit/Plants out of those refferred to in Part (a) above which have not installed effuent treatment plants for controlling pollution together with the action taken against them.

वन मंत्री (राव इन्द्रजीत सिंह):

(क) दो ।

(ख) भून्य ।

अताराकित प्र न एवम उत्तर

* **74 Prof. Sampat Singh:** Will the Minister for P.W.D (B&R) be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Govt. to widen the road form village Sarsod to Jakhal in District Hisar; if so, the time by which the said road is likely to be widerned?

लोक निर्माण मंत्री (चौधरी आनन्द सिंह डांगी): हा जी । कार्य विभिन्न चरणे मे चल रहा है और धनराशि की उपलब्धि के अनुसार पूण कर दिया जायेगा ।

Grants Given to Sports Associations

75. Prof Sampat Singh: Will the Miniter for Sports be pleased to state whether any grants have beeb given to various sports associations/organisatins by the State Government during the period 1991-92 and 1992-93, if so, the details thereof?

खेल मंत्री (श्री राजे ा भार्मा): हा विवरण साथ लगे
अनुलग्नक 'अ' पर है ।

अनुलग्नक 'अ'

खेल विभाग द्वारा खेल संघो को दी गई अनुदान की राि ा

वर्ष 1991-92

क्र० सख्या	खेल संघ का नाम व स्थान	राि ा रूपये मे
1	2	3
1.	हरियाणा कु ती संघ, कुरुक्षेत्र	62000.00
2.	हरियाणा पर्वतारोहण संघ, चण्डीगढ	10000.00
3.	हरियाणा बाक्सिग संघ, हिसार	12000.00
4.	हरियाणा नौकायान संघ, चण्डीगढ	10000.00
5.	हरियाणा टेबल टनिस संघ, अम्बाला	20000.00
6.	हरियाणा हैण्डबाल संघ, जीन्द	51000.00
7.	हरियाणा बास्केटबाल संघ, जीन्द	25000.00
8.	भारतीय जिम्नारि्टक महासंघ, चण्डीगढ	500000.00

9.	हरियाणा मुक एवम बधीर कल्याण, समिति चण्डीगढ	5000.00
10.	युवा सचिवालय कल्ब, चण्डीगढ	5000.00
11.	जिला एथलेटिक संघ, सोनीपत	25000.00
12.	हरियाणा तीरकमान संघ, सिरसा	19000.00
13.	हरियाणा राईफल संघ, हिसार	4000.00
14.	जिला ओलम्पिक संघ, यमुनानगर	13000.00
15.	हरियाणा सस्कृत महाविधालय संघ, रामराय जीन्द	100000.00
16.	हरियाणा खो खो संघ, रोहतक	15000.00
17.	हरियाणा एथलेटिक संघ, रोहतक	200000.00
18.	हरियाणा एडवैन्चर कल्ब, चण्डीगढ	20000.00
19.	हरियाणा फुटबाल संघ, करनाल	35000.00
20.	हरियाणा योगा संघ, चण्डीगढ	95000.00
21.	हरियाणा फ़ैसिंग संघ, सोनीपत	85000.00
22.	हरियाणा बेसबाल संघ, रोहतक	5000.00

23.	हरियाणा बैडमिन्टन संघ, रोहतक	5000.00
24.	जनसत्ता जरनलिस्ट संघ, चण्डीगढ	5000.00
25.	हरियाणा कैरम संघ, फरीदाबाद	25000.00
26.	जिला औलम्पिक संघ, रिवाडी	35000.00
27.	जिला औलम्पिक संघ, करनाल	20000.00
28.	जिला औलम्पिक संघ, कुरुक्षेत्र	20000.00
29.	हरियाणा टाई क्वान्डी संघ, रोहतक	10000.00
30.	हरियाणा सर्कल कब्डडी संघ, जीन्द	8000.00
31.	हरियाणा सोफटबाल संघ, रोहतक	5000.00
32.	हरियाणा सिविल सचिवालय क्रिकेट क्लब, चण्डीगढ	5000.00
	वर्ष 1992-93	
33.	हरियाणा फुटबाल संघ, करनाल	75000.00
34.	हरियाणा जिम्नास्टिक संघ, रोहतक	35000.00
35.	हरियाणा एथलेटिक संघ, रोहतक	35000.00
36.	हरियाणाप टेबल टेनिस संघ, सिरसा	30000.00

37.	हरियाणा राज्य वैटरन एथलेटिक संघ हिसार	25000.00
38.	भारतीय कोरफबाल महासंघ, रोहतक	50000.00
39.	हरियाणा फैंसिंग संघ, सोनीपत	25000.00
40.	हरियाणा साईकल पोलो संघ, जीन्द	5000.00
41.	हरियाणा बिलियरड एण्ड सनुकर संघ, पचकुला अम्बाला	15000.00
42.	हरियाणा सर्कल कब्डडी, जीन्द	20000.00
43.	हरियाणा बाक्सिंग संघ, हिसार	50000.00
44.	हरियाणा सॉफ्टबाल संघ, रोहतक	5000.00
45.	हरियाणा कु ती संघ, कुरुक्षेत्र	32000.00
46.	हरियाणा खो खो संघ, रोहतक	25000.00
47.	हरियाणा सिविल सचिवालय पर्वतारोहण संघ, चण्डीगढ	20000.00
48.	हरियाणा बाक्सिंग संघ, हिसार	7500.00
49.	जिला औलम्पिक संघ, फरीदाबाद	50000.00

50.	हरियाणा नौकायान संघ, चण्डीगढ़	21000.00
-----	-------------------------------	----------

Provision of School Uniform

76. Prof Sampat Singh: Will the Minister for Education be pleased to state whether school uniforms are being provided free of cost to the Boys/Girls belonging to scheduled castes and the weaker sections of the society; if so, the amount sanctioned/spent during the year 1991-92 and 1992-93 therefor separately?

शिक्षा मंत्री (श्रीमती भान्ति देवी राठी): जी हां, प्राईमरी/माध्यमिक कक्षाओ मे पढ रही अनुसूचित जातियो तथा कमजोर वर्गा की लडकियो को स्कूल वर्दी के लिये मुफत कपडा दिया जाता है। इन जातियो तथा वर्गा के लडको को स्कूल वर्दी के लिए मुफत कपडा देने का इस स्कीम प्रावधान नही है।

वर्ष 1991-92 तथा 1992-93 मे इसके लिये जो राशि स्वीकृत/खर्च की गई उसका विवरण निम्न प्रकार है:-

(i) प्राथमिक स्तर

वर्ष	स्वीकृत राशि (रूपये लाखो मे)	खर्च की गई राशि (रूपये लाखो मे)
1991-92	102.50	102.50
1992-93	102.50	102.50 (प्रत्याशित)

		कपडे के क्रय आदे ा पहले ही दिये जा चुके है ।
--	--	--

(i) माध्यमिक स्तर

वर्ष	स्वीकृत राशि (रूपये लाखो मे)	खर्च की गई राशि (रूपये लाखो मे)
1991-92	35.25	35.25
1992-93	75.30	75.30 (प्रत्याशित) कपडे के क्रय आदे ा पहले ही दिये जा चुके है ।

Pay Scales

77. Prof Sampat Singh: Will the Minister for Finance be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to grant pay scales to its employees equivalent to their counter parts in the Punjab State. if so, the time by which the decision in the matter is likely to be taken?

वित्त मंत्री (श्री मांगे राम गुप्ता): इस प्रकार का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है किन्तु राज्य सरकार ने एक कमेटी का गठन किया है जो हरियाणा सरकार के कर्मचारियों ने

वेतनमानो मे पजाब पद्धति पर स ाोधन करने सम्बन्धी वित्तीय प्र ासनिक तथा अन्य जटिलताओ का निरीक्षण कर रही है। उपरोक्त कमेटी द्वारा 31.3.1993 तक रिपोर्ट दिये जाने की सम्भावना है।

ध्याना कर्षण प्रस्ताव

(i) किसानो पर पैनल्टी माफ करने तथा गन्ने के नये बीज उपलबध कराने सम्बन्धी

Mr. Speaker: Hon'ble Members, I have received a notice of calling attention motion No. 2 given notice of by Shri Lehri Singh regardings waiving off of penalty on farmers and providing new seeds of sugarcane. I admit is. He may please read his motion.

साथी लहरी सिंह: अध्यक्ष महोदय, मै इस महान सदन का ध्यान इस अत्याव यक लोक महत्व के विशय की और दिलाना चाहता हू कि पिछले साल के मुकाबले इस साल प्रति एकड गन्ने की फसल की पैदावार आधी हुई है जिसके परिणामस्वरूप किसानो को गन्ने की फसल उगाने पर हुए खर्चे के बराबर भी आमदनी नही हुई है। इस से मजदूरो को भी बेकारी का सामना करना पड रहा है। यमुनानगर भुगर मिल ने पिछले साल पूरा गन्ना व पीड कर किसानो के लिए समस्याए खडी कर दी है। इस क्षेत्र के किसानो की लगभग 20 प्रति ात गन्ना खेतो मे ही खडा रहा। इसके कारण किसानो को तीन गुना नुकसान हुआ तथा मजदूरो

की मजदूरी मारी गई। एक तो फसल खेतों में खड़ी रही दूसरा अगले साल के लिए उस गन्ने का वजन नहीं रहा तथा तीसरा उस गन्ने को मिल ने इस साल कम कीमत पर खरीदा। इस नुकसान के लिए सरकार किसान और मजदूर की तुरन्त मदद करे। यमुनानगर भागलपुर मिल बोर्डिंग गन्ने से कम गन्ना मिलने पर किसानों पर पैनल्टी डालती है। जैसा कि इस वर्ष गन्ने की फसल पिछले वर्ष के मुकाबले 50 प्रतिशत से भी कम हुई है। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि वह किसानों पर पडने वाली पैनल्टी को माफ करने की तुरन्त घोषणा करे तथा किसानों को गन्ने के नये बीज उपलब्ध करवाये जाये, ताकि प्रति एकड़ गन्ने की पैदावार बढ़ाई जा सके, क्योंकि पुराने बीजों की उपज बहुत कम रह गई है। अतः मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि वह इस सम्बन्ध में सदन में एक वक्तव्य दे।

वक्तव्य

कृषि मंत्री द्वारा उपयुक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सम्बन्धी

Mr. Speaker: Now I would request the concerned Minister to make his statement.

Agriculture Minister (Shri Harpal Singh): Speaker Sir, as a result of the remunerative price of sugarcane announced by the State Government for the crushing season 1991-92, which was the highest price in the entire country, the farmer of Haryana increased acreage under sugarcane

crop and the State achieved the record highest production of sugarcane last year.

Considering the capacity of various sugar mills in the State, the Sugarcane Control Board allocates quantity of the sugarcane to be crushed in a crushing season by each Sugar Mill separately. For the crushing year 1991-92 Sugarcane Control Board allocated 165 lakh quintals of sugarcane for crushing to the Yamunanagar Sugar Mill. But since the area under sugarcane crop and its total production was high in this Mill Zone, the State Government took timely action and directed the Yamunanagar Sugar Mill to continue crushing operation till 30th June] 1992. The recovery percentage in the extended period came down to 7.03 percent as against 10.04 percent during the normal crushing season. The mill continued its crushing operation for 253 days which is the longest duration for this Mill as well as for any other Mills in the State. The Yamunanagar Sugar Mills thus was able to crush 180.05 lakh quintal as against the allocation of 165 lakh quintals. This is the record highest quantity of sugarcane crushed by this Mill or any other Mill in the State ever.

Out of about 55200 hectare area under sugarcane crop in the Yamunanagar Sugar Mill area during 1991-92, sugarcane remained standing in the fields under 813 hectare area according to a field to field survey conducted for this purpose. This is less than even 1-5 per cent field area under sugarcane last year. It is, therefore, incorrect to say that 20 percent sugarcane remained standing in the field during last year.

Since the crushing operation continued for longer duration last year and the ratoon crop did not get sufficient growth period, the sugarcane yield is marginally less this year as compared to last year, It is estimated that average yield of sugarcane in this sugarmill area during the current year is 465 quintals per hectare as compared to 525 quintals per hectare last year. Thus the shortfall in the net returns from the crop is only marginal and it is not correct to say that yield of sugarcane has gone down by one half this year.

Moreover, the farmer gets the bonding of sugarcane crop done according to his estimate of the yield of his crop and an agreement is executed between the sugarmill and the farmer in October every year. The farmer is expected to deliver 85 per cent of the bonded quantity only.

The production of sugarcane for the year 1991-92 was 525 quintals per hectare. As against that the yield of old sugarcane crop which remained in the fields has gone up to 723 quintals per hectare due to longer growth period. Thus the assumption that the weight of old sugarcane has decreased is not correct.

As far as the question of wages of labourers is concerned, the labour charges of harvesting of sugarcane have increased from Rs. 4-50 in 1991-92 to Rs. 5-50 per quintal in 1992-93 and Rs. 6.00 per quintal is being paid for harvesting old sugarcane. It is clear that the labourers have not suffered any loss and no incentive on this account is required.

Realizing the importance of new varieties, Scientists of Haryana Agricultural University have been asked to evolve

high year yield varieties of sugarcane for the farmer of the State. Good work in this respect is being undertaken by the Haryana Agricultural University scientists. A new variety CoH 35 has been recently released and some more varieties are in the pipeline.

साथी लहरी सिंह: स्पीकर सर, जैसा अभी मंत्री जी ने बताया कि अबकी बार गन्ने की फसल 50 परसेंट कम नहीं हुई है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि अबकी बार प्रति एकड़ गन्ने की फसल क्यों कम हुई, क्या आप ने इसकी तहकीकात करवाई? जिन जमींदारों का पिछली बार 300 क्विंटल गन्ना प्रति एकड़ निकल रहा था, उसका अब केवल 100 क्विंटल क्यों निकल रहा है, यह हाउस को गुमराह करने वाला बात है। मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे हल्के में कोई भी ऐसा किसान नहीं है जिसको 50 परसेंट से ज्यादा गन्ना हुआ हो। दूसरे, इन्होंने यह कहा कि पिछले साल किसी भी किसान के खेत में गन्ना खड़ा नहीं रहा। लेकिन मैं कहता हूँ कि 20 परसेंट जमींदारों और किसानों का गन्ना उनके खेत में खड़ा रहा। इसके अलावा अबकी बार रेट भी पिछली बार के रेट्स से काफी कम मिले। तीसरी बात यह है कि पहले यमुनानगर भुगर मिल चलती थी, उसकी जो गन्ना पीड़ने की कैपसिटी थी उसके इस कैपेसिटी से 80 प्रति 100 कम यानी केवल 20 प्रति 100 गन्ना लिया। इसका क्या कारण है?

श्री हरपाल सिंह: स्पीकर साहब, यह जो बात चौधरी लहरी सिंह जी ने कही है कि इस साल गन्ने की फसल अच्छी नहीं

थी इसमें कोई भाक नहीं है। पिछले साल फसल बहुत अच्छी थी। उतनी अच्छी फसल इस साल में नहीं हुई है जितनी पिछले साल थी। इसका एक कारण यह है कि पिछले साल फसल ज्यादा होने के कारण भूगर मिलज बहुत देर तक चलानी पडी। 30 जून तक यमुनानगर भूगर मिल चली है जैसे मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है कि इतने लम्बे अर्से तक गन्ना भूगर मिले कमी नहीं चलती थी और इतना गन्ना कभी क्रिग नहीं किया गया था। जब भूगर मिलज लेट चलती रही तो किसान के खेत में गन्ना काफी देर तक खडा रहा है। इससे दूसरे साल की अगली क्राप पर असर पडा है क्याकि किसान को अगली क्राप भी बोनी होती है। गन्ने की लेट कटिंग की वजह से वह फसल अच्छी नहीं हो पायी है इसका एक कारण तो यह है कि जितनी फसल अच्छी साल हुई थी, इस साल उतनी अच्छी नहीं हुई है। लेट क्रािग की वजह से ऐसा हुआ है। दूसरा बडा कारण यह भी हो सकता है कि क्लाइमैटीकली किसी क्राप को कंडी गन्ज सूट न करी हो। मैं एक बात से सहमत हू कि हमारे किसानों ने इस वक्त जो सबसे ज्यादा वैरायटी बोयी है, वह सी0ओ0जे0 64 है। इसकी ईल्ड कुछ कम होती है। जनरली इसकी ईल्ड कम होती है। दूसरी वैराईटीज के मुकाबले में इस सीड की ईल्ड कम है जबकि दूसरी वैराईटीज की ईल्ड ज्यादा है, परन्तु इसकी रिकवरी ज्यादा है। यह अरली वैराइटी है और इसकी अरली क्रािग भूरु हो जाती है। जितनी चिन्ता हमारे साथी लहरी सिंह जी का है, उतनी चिन्ता हमें भी है। हमारी कोिग यह है कि इस साल ऐसी नई बैराईटीज रिलोज की जाये जिससे किसान को

लाभ हो सके। हमारी कोशिश यह है कि जल्दी से जल्दी इस बारे में काम किया जाये। कुछ वैराइटीज अन्डर ट्रायल है। यूनिवर्सिटी बहुत जल्दी ही कुछ नई वैराइटीज किसानों को देने जा रही है। जिससे किसानों को लाभ हो सकता है।

साथी लहरी सिंह: स्पीकर साहब, मेरा एक तो पैनल्टी वाला बात का जवाब नहीं आया है। किसानों का जो गन्ना बाड होता है, वह अगर पूरा सप्लाई नहीं कर पाता तो मिल वाले उस पर पैनल्टी डालते हैं इस बारे में वह माफ़ होनी चाहिये। इस साल गन्ने की फसल काफी कम हुई है। दूसरे लेबर की बात भी मैंने कही थी कि इस जब गन्ना पूरा पैदा ही नहीं हुआ तो लेबर को भी बहुत नुकसान हुआ है उनको कम लेबर मिली है। मेरा कहना यह है कि लेबर को कम्पनसेशन मिलना चाहिए। तीसरी बात मैं यह जानना चाहता हूँ कि सीओएच 35 जो नई वैराइटी इन्होंने बतायी है कि यूनिवर्सिटी ट्राई कर रही है, उसको कब तक इंट्रोड्यूस करा देंगे ताकि किसानों को लाभ हो सके? क्या यह वैराइटी इस साल किसानों तक पहुँच जाएगी?

श्री हरपाल सिंह: चौधरी लहरी सिंह जी ने तीन चार क्वेश्चन्स इकट्ठे ही पुट कर दिए। एक बात जो इन्होंने सबसे लास्ट में कही है मैं उसका जवाब सबसे पहले देना चाहूँगा। इन्होंने पूछा है कि क्या इस साल नई वैराइटी रिलीज कर रहे हैं या नहीं। मैं यह बताना चाहता हूँ कि हमने नयी वैराइटी 400-500 हैक्टियर रकबों के लिए रिलीज कर दी है और किसानों को

प्रोवाईड कर रहे हैं। इसकी ईल्ड भी ज्यादा है और रिकवरी भी ज्यादा है। (व्यवधान व भाोर) दूसरी बात इन्होंने मजदूरों की कही।लेबर तो आजकल किसानों को मिलती ही नहीं है। लेबरर्ज तो बडी मुि कल से मिलते हैं। पता नहीं चौधरी लहरी सिंह जी के पास कहा से लेंबर बेकार पडी है लोगो को तो मिलता ही नहीं है। (व्यवधान व भाोर)

साथी लहरी सिंह: इस बार गन्ना कम होने की वजह से लेबर कम मिली है, इस लिए उनको भी कम्पनसे ान देना चाहिए।

श्री हरपाल सिंह: पिछले साल गन्ना ज्यादा होने पर उन्होंने पीछे कम भी तो ज्यादा लिया होगा। इस साल कम गन्ना हुआ तो कम कमा लिया। अब बराबर तो हो गया।

साथी लहरी सिंह: किसान को गन्ना बौड करवाने के बाद न देने पर जो पैनल्टी देनी पडती है उस बारे मे सरकार का क्या विचार है?

श्री हरपाल सिंह: स्पीकर साहब, जहा तक पैनल्टी की बात है मै सदन को बताना चाहता हू कि पैनल्टी की अभी स्टेज नहीं आई है। जब पैनल्टी की स्टेज आ जाएगी तो जनबिन बात सामने आ जाएगी और हम पैनल्टी माफ कर देगे। स्पीकर साहब, किसान के हित की जो भी बात होगी, वह सरकार करने के लिए तैयार है।

खेल राज्य मंत्री (श्री राजे । कुमार भार्मा): स्पीकर साहब, मैं समझता हूँ श्री लहरी सिंह यह कहना चाहते हैं कि अगर किसान पूरा गन्ना मिल को नहीं देता तो उस पर पैनल्टी लगाई जाती है। अगर मिल किसान का पूरा गन्ना न उठाए तो क्या मिल पर भी पैनल्टी लगाई जाएगी?

साथी लहरी सिंह: स्पीकर साहब, मेरी रिक्वेस्ट है कि पैनल्टी को माफ कर दिया जाए।

श्री हरपाल सिंह: स्पीकर साहब, लहरी सिंह तो वैसे ही परे गान हो रहे हैं। अभी तक किसी पर भी पैनल्टी नहीं लगाई गई है। अगर किसी पर पैनल्टी लगेगी तो हम कंसीडर करेंगे।

ध्याना कर्षण प्रस्ताव

सहकारी चीनी मिल पलवल में गन्ने की पिराई की गति धीमी होने
सम्बन्धी

Mr. Speaker: Hon;ble Members, I have received a calling attention notice No. 3 from Shri Karan Singh Dalal, M.L.A regarding crushing of sugarcane at a low pace in the Cooperative Sugar Mills, Palwal. I admit it. Shri Karan Singh Dalal may read his motion.

श्री कर्ण सिंह दलाल: मैं इस महान सदन का ध्यान एक अत्यावश्यक लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ सहकारी चीनी मिल पलवल गन्ने की पिराई कम हो रही है।

किसानों की अधिकतर फसल खेतों में खड़ी है तथा सहकारी चीनी मिल द्वारा किसानों को परिचिया नहीं दी जा रही है। सारे क्षेत्र में इस बात को लेकर भय व्याप्त है कि कहीं पिछले साल की तरह गन्ने की फसल खेतों में न जलानी पड़े। इसके इलावा, किसानों को गन्ने की अदायगी भी देरी से की जा रही है। अतः मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि वह इस सम्बन्ध में सदन में एक वक्तव्य दे।

वक्तव्य

सहकारिता मंत्री द्वारा उपर्युक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सम्बन्धी

Mr. Speaker: Now I will request the Cooperation Minister to make a statement.

सहकारिता मंत्री (श्रीमती भाकुतला भगवाडिया): अध्यक्ष महोदय, सहकारी चीनी मिल पलवल की स्थापना वर्ष 1985 में हुई थी इस मिल की प्रतिदिन गन्ना पीड़ने की क्षमता 1250 टन गन्ना है।

जहाँ तक वर्तमान वर्ष में गन्ना पीड़ने का प्रश्न है, यह कहना गलत है कि मिल द्वारा इस समय गन्ने की पिराई कम हो रही है। वर्तमान वर्ष 1992-93 में मिल से गन्ने की पिराई 10.11.1992 को आरम्भ की थी तथा दिनांक 22.2.1993 तक 105 दिनों में 16.40 लाख क्विंटल गन्ना पीड़ा है। मिल की क्षमता के दृष्टिगत 105 दिनों में कुल गन्ने की पिराई 13.13 लाख क्विंटल

होनी चाहिए थी जबकि मिल ने 16.40 लाख क्विंटल गन्ना पीडा है, जो कि वर्तमान क्षमता का 125 प्रतिशत उपयोग है। यह बात भी विशेष उल्लेखनीय है कि आजकल मिल प्रतिदिन लगभग 1800 टन से ऊपर गन्ने की पिराई कर रही है जो कि अपनी क्षमता से लगभग डेढ़ गुना है।

पलवल चीनी मिल का निर्धारित क्षेत्र 32 किलोमीटर है और वर्ष 1992-93 में 12167 हैक्टेयर भूमि पर गन्ना बीजा गया है। मिल क्षेत्र में लगभग 54 लाख क्विंटल गन्ने की पैदावार होने का अनुमान है जिसमें से 43 लाख क्विंटल गन्ने की बोडिंग की गई है तथा बोडिड किए गए गन्ने में से अब तक मिल ने 16.40 लाख क्विंटल गन्ने की पिराई कर ली है। इस समय मिल क्षेत्र में लगभग 25 लाख क्विंटल गन्ने की फसल खेतों में खड़ी है, जिसमें से 22 लाख क्विंटल गन्ना बोडिड है।

यह कहना गलत है कि गत वर्ष मिल क्षेत्र में खड़े गन्ने को किसानों ने जलाया था बल्कि मिल ने जितना भी बोडिड गन्ना था सारे के सारे गन्ने की पिराई की थी जिसके लिए मिल को 13 जून तक अपनी पिराई जारी रखनी पड़ी। यह बात भी उल्लेखनीय है कि जब से इस मिल की स्थापना हुई है, मिल क्षेत्र में गन्ने की खड़ी फसल को कभी नहीं जलाया गया।

जहात कि किसानों को गन्ने की परची जारी रखने का प्रयत्न है परचियां गन्ने की बोडिंग के अनुसार बांटी जाती है और

आरम्भ मे अगेती किस्म के गन्ने की पचिया दी जाती है तत्प चात मध्यम किस्म के गन्ने की पचियां बाटी जाती है और अन्त से पछेती किस्म के गन्ने की पचियां बांटी जाती है। अत इस समय गन्ने की किस्म तथा मिल की क्षमता को दृष्टिगत रखते हुए ही किसानो की पचिया बाटी जा रही है। पचियां का वितरण कमप्युटर द्वारा किया जा रहा है।

गन्ने की कीमत के भुगतान बारे ऐसे प्रबन्ध किए गए है कि 15 दिन के अन्दर अन्दर किसान को उसके गन्ने की कीमत मिल जाए। अब तक पीडे गए गन्ने की कीमत 784.50 लाख रूपये बनती है जिसमे से 601.00 लाख रूपए की अदायगी किसानो को की जा चुकी है। बकाया राशि का भुगतान किया जा रहा है। गत वर्ष की कीमत का कोई भी भुगतान इस समय बकारय नही है।

उपरोक्त के दृष्टिगत सरकार की और से यह आवासन दिया जाता है कि पलवल सहाकारी चीनी मिल के क्षेत्र मे जितना भी बोडिड गन्ना है उसकी पिराई के पचात ही मिल बन्द होगी।

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, अभी बहन जी ने अपने लिखित उत्तर मे बताया कि 25 लाख क्विटल गन्ने की फसल खेतो मे खडी है जिसमे से 22 लाख क्विटल गन्ना बोडिड है। इसका कहना गलत है। मेरी सूचना के अनुसार 35 लाख क्विटल गन्ना फसलो मे खडा है और 22 लाख क्विटल गन्ना बोडिड है।

इनकी सूचना के अनुसार पिछले वर्ष डेढ करोड रूपया इस पलवल भागर मिल पर खर्च किया गया ताकि इसकी कैपेसिटी बढ सके। मै इनसे जानना चाहता हू कि इस डेढ करोड खर्च करने से पहले इस मिल की कैपसिटी कितनी थी और डेढ करोड रूपया खर्च करने के बाद प्रतिदन गन्ना पेलने की कैपेसिटी कितनी बढ गई?

श्रीमती भाकून्तला भगवाडिया: अध्यक्ष महोदय, मै अपने भाई दलाल साहब को बताना चाहती हू कि सहकारी चीनी मिल पलवल की प्रतिदिन गन्ना पीडने की क्षमता 1250 टन गन्ना है और डेढ करोड रूपया खर्च करने के बाद गन्ना पीडने की कैपेसिटी मे बहुत सुधार हुआ है। और मिल 1800 टन प्रति त गन्ना पीड रही है।

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, उस मिल के अन्दर जो एम0डी0 लगा हुआ था, उसने कायदे कानून को बिल्कुल ही ताक पर रख दिया था। जो मीनरी व दूसरी परचेजिंग उस द्वारा की गई थी, उसमे काफी कमी उन उस एम0डी0 ने खाया था जिसकी वजह से सरकार ने उसे तबदील कर दिया लेकिन उसके खिलाफ कोई उचित कार्यवाही नहीं की गई इसके क्या कारण है?

श्रीमती भाकून्तला भगवाडिया: अध्यक्ष महोदय, जहां तक कमी उन खाने की बात है, उसको तो ये लोग ही जाने। हमने तो कमी उन का नाम जिन्दगी मे कभी सुना ही नहीं है। यह सारा

काम तो इन्हे लोगो का है। मैं वाद विवाद में तो पडना ही नहीं चाहती लेकिन इनके अपने जो बड़े भाई ही हैं, जिन्होंने वहाँ पर चूनिशन बना रखी है वही सब कुछ करवा रहे हैं। मैं तो केवल इतना ही कह सकती हूँ कि वहाँ के जो अधिकारीगण हैं वे सब अच्छे हैं। जहाँ तक एम0डी0 को बदलने की बात थी इस बारे में तो मैं इतना ही कहूँगी कि इन्हीं लोगो ने वहाँ का वातावरण दूषित कर रखा था, अन्यथा समय से पहले उन्हें बदलना नहीं चाहिये था। इससे पहले विधानसभा में भी यह मांग थी हमारे जो विधायक हैं उनकी बात मानना हमारा कर्तव्य है, चाहे, कोई विधायक पक्ष का है, चाहे कोई विपक्ष का है,। भूगर्भ मिल पलवल पर डेढ़ करोड़ रूपया खर्च करने के बारे में मैं बता चुकी हूँ कि उस मिल पर इतना पैसा खर्च करने के बाद मिल की क्षमता में काफी वृद्धि हुई है। इससे पहले 1250 टन गन्ना प्रतिदिन पीडने की कैपेसिटी थी और डेढ़ करोड़ रूपया खर्च करने के बाद कैपेसिटी 1800 टन प्रतिदिन हो गई।

प्रो० सन्तप सिंह: अध्यक्ष महोदय, हरियाणा में आजकल गन्ने की पैमेंट न होने के कारण किसानों की बहुत दुर्दशा है। किसानों को गन्ने की इस वर्ष की पैमेंट नहीं हो रही है और पिछले वर्ष की पैमेंट भी बकाया है। किसानों की बकाया राशि की पैमेंट न होने के कारण गन्ने की खेती आधी कर दी थी, परिणामस्वरूप लगभग आधी चीनी मिलें बन्द हो गई हैं और आधी बन्द होने के कारण पर है। गन्ने का पैमेंट न होने के कारण

किसान बहुत परे ान है। इसके अतिरिक्त गन्ने का मूल्य खुले बाजार में 65 रू0 प्रति क्विंटल है जबकि सरकार किसान को उसके गन्ने के अधिकतम दाम 50 रू0 प्रति क्विंटल दे रही है। गन्ने की कमी के कारण जो चीनी मिले गन्ना दूसरे प्रदेशों से मंगवाती है, वह 70 रू0 प्रति क्विंटल पडता है। मौजूदा सरकार ने क्रेन क्रै 10 पर पाबन्दी लगाई हुई है और खुले बाजार में क्रेन क्रै 10 पर किसानों को गन्ना डालने नहीं देती है। जहाँ गन्ने के दाम 65 रू0 प्रति क्विंटल है। मिले दूसरे प्रदेशों से गन्ना मंगवा कर भांगर कंट्रोल बोर्ड के नियमों को भी ताक कर रख रही है। अतः यदि गन्ने की पैमेंट नहीं होती तो किसान गन्ने की खेती बिल्कुल बन्द कर देंगे, जिससे राज्य की सभी चीनी मिले बन्द हो जाएगी और लगभग 300 करोड़ रूपए की मीनरी बेकार हो जाएगी। बहुत से लोग बेरोजगार हो जाएंगे, इससे किसानों का भविष्य भी खतरे में पड जाएगा। इस बात को लेकर लोगों में बहुत रोश है। यह एक बहुत ही लोक हित का विषय है। इस बात को लेकर लोगों में बहुत रोश है। यह एक बहुत ही लोक हित का विषय है। सरकार अपना ध्यान देकर अपनी स्थिति स्पष्ट करे।

श्रीमती भाकुन्तला भगवाडिया: स्पीकर साहब, भाई सम्पत सिंह ने कहा है कि गन्ने की पैमेंट नहीं हो रही। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि किसानों को पैमेंट समय पर होती है। यह बात भी गलत है कि पिछले वक्त की कोई पैमेंट बकाया है। पिछले वक्त की कोई पैमेंट बकाया नहीं है। इस वर्ष की भी हमने

बहुत सी पेमेंट कर दी है और भोश राशि का भुगतान हम साथ कर रहे हैं। लगभग 87 करोड़ रुपये की अदायगी में से 63 करोड़ रुपये से भी ऊपर दिया जा चुका है, भोश 24 करोड़ रुपये अदायगी साथ साथ की जा रही है। इसके अलावा मैं आपको यह भी कहना चाहती हूँ कि 150 करोड़ रुपये की चीनी हमारे पास बकाया है यानी 15 लाख बोरी हमारे गोदामों में पड़ी है। सरकार ने 24 करोड़ रुपये की अदायगी करनी है। उन्होंने कहा है कि दूसरे प्रान्तों में गन्ना मंगवा कर कानून को ताक पर रख दिया गया है हमने कानून को ताक पर नहीं रखा।

प्रो० सम्पत सिंह: आपने बाउडिड एरिया से बाहर का गन्ना कैसे मंगवा लिया?

श्रीमती भाकुन्ताल भगवाडिया: मैं सब कुछ बता रही हूँ आप भ्रान्ति रखें। आपने कहा कि नियमों को ताक पर रख दिया हमने नियमों को ताक पर नहीं रखा। हरियाणा सरकार के केन कमिशनर ने परमिशन दे रखी है। जो यू०पी० से हमने गन्ना लिया, यू०पी० प्रान्त ने हमें उसकी परमिशन दे रखी है। जो पंजाब से गन्ना लिया उसकी पंजाब ने परमिशन दे रखी है। भाई सम्पत सिंह जी पंजाब और यू०पी० ये दोनों भारतवर्ष के ही प्रदेश हैं। हम सब मिल कर, जहाँ भी किसी किसान को फायदा होता हो, फायदा देते हैं और यह हमारा कर्तव्य बनता है, आपका भी बनता है कि सब मिल जुल कर किसान को सहयोग दें। जहाँ तक आपका यह कहना है कि पंजाब में, यू०पी० से और दूसरे

प्रदे 10 से गन्ना लिया है, इससे कोई दो राय नहीं है लिया है, क्योंकि गन्ने की पैदावार इस वर्ष हमारे यहाँ कम रही है। इसलिए सभी मिलों को सुचारू रूप से चलाने के लिए यू0पी0 तथा पंजाब से गन्ना लिया है। यू0पी0 से लगभग 10 लाख क्विंटल और पंजाब से लगभग 4 लाख क्विंटल गन्ना हमारे चार मिलों ने लिया है। वे मिलें हैं जीन्द, कैथल, करनाल और भूना। अन्य किसी मिल ने बाहर से गन्ना नहीं लिया। यू0पी0 के गन्ने की कीमत 57 ₹0 से 6 ₹0 प्रति क्विंटल के हिसाब से दी गई है। केवल भूना मिल ने यू0पी0 से 66 रुपये के रेट पर गन्ना खरीदा है क्योंकि इस मिल के क्षेत्र में गन्ना कम था और मिल चलाने के लिए लकड़ी का भी खर्चा ज्यादा आता था।

श्री सतबीर सिंह कादयान: अध्यक्ष महोदय, भूगर मिल जो होते हैं, उनका जुरिसडिक्शन तय होता है और भूगर केन कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग में ही किसी मिल को अधिकार दिया जाता है कि वह अपने एरिया से बाहर का गन्ना ले सकती है। अकेले केन कमिशनर को कोई पावर नहीं है कि किसी मिल की जुरिसडिक्शन क्रॉस करके दूसरे प्रदेश से गन्ना लाने को इजाजत दे सके। क्या यह बात कानून के खिलाफ नहीं है? इसके अलावा दूसरी बात यह भी है कि जो गन्ना भूगर मिल भूना, पानीपत और कैथल को पार करके लाया जा रहा है, वह दूसरे मिल की डायवर्सिफिकेशन करके, कम ट्रांसपोर्टेशन भी हो सकती है और किसानों को ज्यादा भाव भी दिया जा सकता

है ऐसा सरकार ने क्यों नहीं किया? इसके अलावा, पानीपत भूगर मिल की तरफ किसानों की पिछली साल की पेमेंट बाकी पड़ी है और इस साल की भी लगभग 5 करोड़ रूपए की पेमेंट बकाया पड़ी है। क्या सरकार किसानों को बकाया पेमेंट एक सप्ताह के अन्दर देने का कष्ट करेगी?

श्रीमती भाकुन्तला भगवाडिया: अध्यक्ष महोदय, सारे भारतवर्ष में सबसे अच्छा भाव हरियाणा प्रान्त की सरकार ने किसानों को दिया है। भाई सम्पत सिंह ने एक बात यह कही कि यदि किसी दूसरे प्रान्त से गन्ना लाना होता है, तो केस कमिशन की परमिशन लेना अनिवार्य होता है। इस बारे में मैंने पहले ही बताया है कि तीनों प्रान्तों के केस कमिशन ने परमिशन दी होगी, तभी गन्ना आया होगा सभी विधायक यहाँ पर बैठे हैं। हम कभी कोई गलत परमिशन नहीं देते। सारे भारतवर्ष में चाहे कहीं पर किसान बसता हो, उनका ध्यान रखना हम सभी का कर्तव्य बनता है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए तीनों प्रान्तों के केस कमिशन ने परमिशन दी है ताकि हमारे भूगर मिल घाटे में न जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं कादयान साहब को एक बात बताना चाहूंगी कि जिस समय आपकी पार्टी की सरकार थी, उस समय उसको भूगर मिल लगाते समय बहुत सी बातों का ध्यान रखना चाहिए था, लेकिन उस सरकार ने कोई ध्यान नहीं रखा। किसानों को बहकाने के लिए कैथल भूगर मिल का उदघाटन केवल मात्र एक दिखावा ही था कि हमने कैथल भूगर

मिल लगा दिया। भूना भूगर मिल का ट्रबाइन उठा कर कैथल भूगर मिल में लगा दिया और किसानों को वह भूगर मिल चला कर दिखाने के लिए उनके गन्ने का सारा रस मिट्टी में बहने दिया। कैथल भूगर मिल के उदघाटन पर लाखों रूपए खर्च किए गए और गिफ्ट तथा खाने पर बहुत ज्यादा खर्चा किया गया लेकिन वह भूगर मिल नहीं चली। उस समय की सरकार ने बगैर एरिया देखे, वहां पर भूगर मिल लगा दी। क्षेत्र के हिसाब से इनको यह देखना चाहिए था कि आया वहां भूगर मिल लगानी अनिवार्य है या नहीं।

चौधरी बलवंत सिंह मैना: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि रोहतक भूगर मिल की तरफ किसानों का टोटल कितना पैसा बकाया है और जितना पैसा बकाया है, सरकार उसका भुगतान कब तक करने का वायदा करेगी? इसके अलावा, रोहतक भूगर मिल और मेहम भूगर मिल में जो गन्ना लिया जा रहा है उसके भाव में अन्तर है। रोहतक भूगर मिल में 50 रूपए प्रति क्विंटल के हिसाब से गन्ना लिया जा रहा है और मेहम भूगर मिल में 53 रूपए प्रति क्विंटल के हिसाब से लिया जा रहा है। भाव में इतना अन्तर क्यों है जबकि दोनों भूगर मिल एक ही जिले में हैं? इसके अलावा, मैं यह भी जानना चाहूंगा कि रोहतक भूगर मिल में पिछले दो सालों में कितना मुनाफा रहा और इस साल कितना घाटा है?

श्रीमती भाकुन्तला भगवाडिया: अध्यक्ष महोदय, रोहतक भूगर मिल ने किसानो का 8 करोड 88 लाख 22 हजार रूपया देना था जिसमे से 6 करोड 9 लाख 66 हजार रूपए का भुगतान किया जा चुका है और 2 करोड 78 लाख 56 हजार रूपया बाकी है। रोहतक भूगर मिल मे इस साल लगभग 50 लाख रूपए का मुनाफा होगा।

श्री कृष्ण लाल: स्पीकर साहब, मै आपके माध्यम से मंत्री महोदया से पूछना चाहता हू कि सरकार यू0पी0 से भूना मिल के लिए जो गन्ना लायी थी, वह किस रेट पर पडा?

श्रीमती भाकुंतला भगवाडिया: 66 रूपये प्रति क्विटल।

स्थगन प्रस्ताव

एस0वाई0एल तथा यमुना कैनल सम्बधी

Mr. Speaker: I have received two different Notices of Adjournment Motions-one given by Shri Sampat Singh alongwith 9 other M.L.As. and the othere given by Shri Bansi Lal alongwith 6 other M.L.As regarding S.Y.L and Yamuna Canals. Hon'ble Members, I have disallowed bothe these Adjournment Motions.

प्रो० सप्तप सिंह: स्पीकर साहब, हम बार बार यही कर रहे है कि यह बहुत ही अहम मुद्दा है। गवर्नमैट की तरफ से जो स्टेटमैट आ रही है, वह कन्ट्राडिक्टरी आ रही है। हम यही कर रहे है कि इस नहर को बी0आर0ओ0 से यह किसी सैन्ट्रल एजेसी

से बनवाया जाये। कभी ये कहते हैं कि इनकी पजाब के मुख्य मंत्री बेअत सिंह से बात हो रही है। पजाब की सरकार रोज नए नए इ यू खोलती है। हमारे पूर्ण विश्वास है कि पजाब इस नहर को नहीं बनाएगा, हमें अपनी तरफ से पूरा एफर्ट्स करने चाहिए और हम भी इस मामले में इनके साथ हैं। गवर्नमेंट आफ इण्डिया को कहे कि बी०आर०ओ० इस नहर को बना कर दे। उन्होंने अब यमुना के पानी का एक और इ यू इसके साथ जोड़ दिया है। एस०वाई०एल० के बारे में कहते हैं कि रावी के पानी में हरियाणा का कोई हिस्सा नहीं है। इस तरह की बातें जब पजाब सरकार कर रही है तो कैसे वे नहर बना कर आपको देंगे?

चौधरी जगदी ा नेहरा: अध्यक्ष महोदय, जब आपने इनको मो ान डिसअलाऊ कर दिया और सारी बहस में उन्होंने और इनके साथियों ने यही बात कही है, यानी सारी बहस में एस०एल० का इ यू उठाया है। अभी सी०एम० साहब ने इस अभिभाषण पर जवाब देना है उसमें सारी बातें स्पष्ट हो जाएगी। ये बार बार खड़े होकर समय क्यों नष्ट कर रहे हैं, यह समझ नहीं आता। आप इन्हें बैठने के लिए कहिए।

श्री बंसी लाल: अध्यक्ष महोदय, यह एडजमेंट मो ान हमने इसलिए दी है कि यह स्टेट की लाईफ लाईन है। यह स्टेट की रीढ़ की हड्डी है। आज अगर पजाब के मुख्यमंत्री दिल्ली की सरकार को लिखते हैं कि यमुना के पानी में हमारा हिस्सा है और रावी के पानी में हरियाणा का हिस्सा नहीं है। लेकिन हरियाणा

सरकार इसका कोई जवाब नहीं दे रही है। ऐसे अहम मसले पर भी यह सरकार कुछ न करे, इसलिए यह बहुत ही सीरियस बात है, अहम मसला है आज दिल्ली में कांग्रेस की सरकार है, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार है और पंजाब में भी कांग्रेस की सरकार है, मेरी समझ में नहीं आता कि इस मामले में हरियाणा के मुख्यमंत्री इस हाउस को या हरियाणा की जनता को मिसलीड क्यों करते हैं ? ये हमें । यही कहते हैं कि यह नहर एक साल में बना देंगे, कभी कहते हैं बी०आर०ओ० बना रही है लेकिन आज तक तो बी०आर०ओ० पंजाब में नहर बनाने के लिए पहुँची नहीं है। इस सीरियस इ यू को पंजाब के मुख्यमंत्री बार बार उठा रहे हैं और दिल्ली की सरकार को कुछ न कुछ लिख रहे हैं लेकिन उस पर हरियाणा सरकार की तरफ से अगर कोई रिएकशन न हो तो अच्छी बात नहीं है।

मुख्यमंत्री चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, चौधरी बंसी लाल जी सारी बातें अच्छी तरह से जानते हैं। मैं जवाब देते समय सारी बातें कह दूंगा। इनका यह कहना कि नीचे भी कांग्रेस की सरकार है और ऊपर भी कांग्रेस की सरकार है, तो मैं इनको याद दिलाना चाहता हूँ कि ये दोनों जगह खुद रहे हैं, उस समय इन्होंने यह नहर क्यों नहीं बनवा दी? मैं तो यह कहूँगा कि इन्होंने ही इसका सत्याना । किया है, अब ये किसी मुह से इस बारे में बात कर रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, उस वक्त नहर बन सकती थी, अगर ये मामले को ठीक तरह से डील करते, ठीक तरीके से लेते,

लेकिन इन्होंने सारे मामले को उलझा कर सत्याना 1 कर दिया। अध्यक्ष महोदय, इस मामले को ये और उलझाने चाहते हैं ताकि किसी वजह से यह नहर न बन जाए। जब भी यह मामला नजदीक लगता है, ये इस को और उलझा देते हैं ताकि कहीं नहर बनने का सेहरा भजन लाल के सिर पर न बंध जाए। हम आपके बताएंगे कि नहर कैसे बनती है और नहर का पानी ला कर देगे, इस में कोई भाक की बात नहीं है। (विघ्न)

वैयक्तिक स्पष्टीकरण

श्री बंसी लाल द्वारा

श्री बंसी लाल: आन ए पर्सनल एक्सप्लेने इन सर। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि मैं यहा पर भी रहा हू और वहा पर भी रहा हू और सत्याना 1 भी मैंने किया है। स्पीकर साहब, जहा तक मैं समझता हू सत्याना 1 की जड तो सारे हरियाणा में एक चौधरी भजन लाल ही है और कोई नहीं है। मेरे वक्त में एस0वाई0एल0 का पानी हरियाणा का देने का फैसला श्रीमती इन्दिरा गांधी ने किया था। इन्होंने बार बार कहा कि इस नहर के निर्माण का 95 प्रति 100 काम मेरे वक्त में हुआ था, इनके वक्त में तो केवल 5 प्रति 100 काम ही हुआ होगा। आप यह बात कम्पट्रोलर एण्ड आडिटर जनरल की रिपोर्ट में भी देख सकते हैं। स्पीकर सर, मैं समझता हू कि किसी व्यक्ति द्वारा जोर से बोलने से कोई कार्य नहीं हो सकता और न ही इनके जोर से बोलने से

हरियाणा में नहर का पानी आ जाएगा। नहर का पानी तो हरियाणा में तभी आ सकेगा जब ये पानी लाने के लिए, तरीके इस्तेमाल करेंगे जिससे नहर का पानी आ सकता है केवल बातों से पानी नहीं आ सकता।

श्री अध्यक्ष: चौधरी बंसी लाल जी, आपने सरपंचों और पंचों को कौन सी नहर दिखाई थी?

श्री बंसी लाल: स्पीकर सर, मैंने जो नहर बनवाई थी, वही पंचों और सरपंचों को दिखाई थी।

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)

Mr. Speaker: Hon'ble Members now the discussion on Governor's Address will resume and thereafter the Chief Minister may reply.

प्रो सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, इससे पहले कि मुख्यमंत्री महोदय राज्यपाल के अभिभाषण का रिप्लाय दे, मैं कुछ कहना चाहता हूँ ताकि उसका जवाब भी मुख्यमंत्री जी के जवाब में आ जाए। मुख्यमंत्री जी का भाषण लम्बा होगा और हम आराम से उसको सुनेंगे। 24 तारीख को गवर्नर ऐड्रेस पर बोलते हुए मैंने एक बात कही थी और 25.2.1993 को चौधरी बंसी लाल जी ने भी गवर्नर ऐड्रेस पर बोलते हुए गुरनाम सिंह वर्सिज स्टेट के केस का हवाला दिया था। (विधन) इन्होंने मैलाफाईड और बायस, दोनों चीजों को पढा था। सी0एम0 के अग्रेस्ट कैंट ने फैसला दिया,

मैलाफाईड और बायस अगैस्ट गुरनाम सिंह। चीफ मिनिस्टर की गुरनाम सिंह के खिलाफ मैलाफाईड व बायस साबित हो गये। उसके बाद आर्डर कैंसिल कर दिये। मुख्यमंत्री जी जब चौधरी बंसी लाल जी की बात का जवाब दे रहे थे तो इन्होंने साफ कहा था कि आज कोर्ट का फैसला आ गया है। यह फैसला 24 तारीख को आया होगा। उस फैसले में 4 गवर्नमेंट ने जो एस0एल0पी0 डाली थी उसके बारे में मुख्यमंत्री जी ने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने उसे मान लिया है और उसके ट्रांसफर आर्डर हो चुके हैं और उसकी जगह पर फंला आदमी को लगा दिया गया है। लेनिक स्पीकर सर, उस आर्डर की कापी मेरे पास है मैं उसको पढा देता हूँ—

“ After hearing Mr. Soli Sorabjee, learned Senior counsel for the petitioner and Mr. P.P Rao, learned senior counsel for the Cavator respondent no. 1, we find that in the peculiar facts and circumstances of the case there is no cause made out for interference with the order of the Central Administrative Tribunal, Chandigarh. Special Leave Petition is therefore, dismissed.”

स्पीकर साहब, इससे फालतू हाउस की मिसलीड करने की बात कोई नहीं हो सकती है। एस0एल0पी0 डिसमिस हुई है। स्पीकर सर, जून महीने में इन्होंने औथर ली थी, उस औथर में इन्होंने यह कहा था:—

“I Bhajan Lal do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India

as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Chief Minister for the State of Haryana and that I will right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law without fear or favour, affection or ill will.”

अध्यक्ष महोदय, वायस और मैलाफाईड ये दोनो चीजे चीफ मिनिस्टर साहब, के अगैन्स्ट प्रूव हो चुकी है। अध्यक्ष महोदय, जो विधान सभा की हालत इन्होने बना रखी है और जो ये जवाब देते है। वह असत्य है। मुख्यमंत्री जी ने अपनी ली हुई भाषण को तोडा है। (गोर एवम व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यह बात तो आप से पहले ही कह दी है, अब दोबारा कहने से क्या फायदा है? Moreover, you had accured that you will not discuss this point bu again you are saying the same things which you had already said.

Irrigation Minister(Chaudhri Jagdish Nehra) On a point of order, Sir, I would say that he has said all these things earlier. Now I want to know how is he saying the same things again. (Noise & Interruptions)

Mr. Speaker: Sampat Singh Ji, you please take your seat. (Noise & Interruptions)

Chaudhri Jagdish Nehra: On a point of order, Sir, I want to make the position clear on the point which Mr. Sampat Singh is taking up time and again. In this connection I would like to make a submission that Shri Sampat Singh has

said evgerything on the governor's address, which he is repeating today. Now what is the use of repeating those thing. moreover so far as the Case of Shri Gurnam Singh, Vs State of Haryana in concerned, I would also like to read some papers, which I have got and to put the record straight and to counter the allegaitons levelled by Shri Sampat Singh and others about this case, the reason being that he has not read the operative part of the judgement as such. I want to being to the Knowledge of Shri Sampat Singh the first part of the Judgement, which is as under:-

“After hearing Mr. Soli J Sorabjee, learned counsel for the pettition near and Mr. P.P Rao learned counsel for the Caveator Respondent No. I we find that in the pecliar facts and circumstaces of the case, there is no cause made out for interference with the order of the Central Administrative Tribunal, Chandigarh”

Mr. Speaker, Sir, this is the first part of the judgment. But the operative part of this judjemnet has not been read by Mr. Sampat Singh, which I would like to read:-

“We however do not express any final opinion the wider question as to whether the post of M.D of the Corporation can be declared as equivalent or not accont of the sacnty material available on the record of this case.”

“Moreover, Sir, our counsel Mrs. Indu Malhotra, has also written a letter to the Secretary to Govt. Haryana, Forest Department. In her letter she has elaboarted all these things. This I want to bring to your notice, Sir, In her letter she has

raised all the things, I would like to read that letter, which is as under:-

“Above mentioned S.L.P was listed for hearing before Hon’ble Justice A.S Anand and Shri M.P Singh, today. Mr. Soli Ji Sorabjee, of the Senior Counsel, erstwhile attorney General of India appeared on behalf of the State and Shri P.P Rao Senior Advocate appeared on behalf of Shri Gurnam Singh. The Supreme Court heard Mr. Soli Ji, Sorabjee and the Hon’ble Court had held that they are not inclined to interfere with the Judgment and order dated 29th January, 1993 passed by the Central Administrative Tribunal, Chandigarh O A No. 1643-Ch-91 During the Course of argument, it was argued by Mr. Soli J Sorabjee that mala fide of the Chief Minister were not made out. The Supreme Court observed that since the Tribunal had given finding that malice in fact was not made out. It was not necessary to record any observation in this regard.”

सुप्रीम कोर्ट ने मैलाफाईड के बारे में जो फैसला दिया है, उसमें चीफ मिनिस्टर जी के बारे में कोई बात नहीं आई है। She has further stated that the Supreme Court did not express any final opinion on the wider questions as to whether the post of M.D of the Corporation can be declared as equivalent or not the post of Principal Chief Conservator of forest and we are forwarding a copy of the order of Supreme Court. It means the Tribunal (I.e the CAT) has also not decided about the malafide nature of the Chief Minister, they have not touched it at all. The operative part of the judgement, which I have read, does not indicate the malafide intention of the Chief Minister.

सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में और कैट की जजमेंट में, सी०एम० साहब की मैलाफाईड इन्टैन्-ान के बारे में कहीं भी इन्डीकेट नहीं किया है। इनका मकसद तो सी०एम० साहब को इसमें इन्वाल्ड करना था, ऐसा करके ये ऐक्सटरा माईलेज लेना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया और श्रीमती इन्दू मल्होत्रा ने भी अपने लेटर में लिख दिया है कि सी०एम० साहब को मैलाफाईड के बारे में इन्डीकेट नहीं किया है। ये तो ऐसे ही ही भाँवर मचा रहे हैं और ये वाकआऊट करना चाहते हैं। There fore we request that they should be contained. If the highest apexcourt has given any decision, it is binding not only on us, but also is is binding on everybody. But there is no question of any such thing. (विघ्न)

प्रो० सम्पतं सिंह: स्पीकर साहब, मैं कुछ कहना चाहता हूँ (विघ्न)

श्री अध्यक्ष: सम्पत जी, आपने आपने अपनी बात कह ली है अब उनको भी कह लेने दें। आप सब बैठिये।

प्रो० सम्पतं सिंह: स्पीकर सर, मैं यह कह रहा था कि नेहरा साहब ने अभी इस केस का जिकर किया और यहाँ पर इन्दू मल्होत्रा का लेटर पढ़कर सुनाया है। स्पीकर साहब, यह इनके काँसिल का ब्यान है, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, वह नहीं है। काँसिल तो अपने अपने आदमी की है वकालत करेगा। सौली सौराबीज जो इनका काँसिल था, ने आनरेबल जज के सामने यह

कहा कि आपने जो मैलाफाईडी और वायम के स्ट्रीक्चर पास किये हैं, वे अगर इससे हटा दे तो हम इस आदमी को टच नहीं करेंगे। तक कोर्ट ने कहा कि यह जुडीसियरी का फैसला है, इसमें से इस बात को हटाने का मतलब ही नहीं है। (विघ्न)

चौधरी भजन लाल: उन्होंने कहा कि इसमें कोई मेला फाईडी नहीं है।

प्रो० सम्पत सिंह: जब एस०पी० ही डिसमिस हो गयी है फिर क्या कोई क्वेश्चन ओपन रह गया है? पोस्ट इक्वल है या नहीं, यही एक सवाल ओपन है, और कोई सवाल कोर्ट ने ओपन नहीं छोड़ा है। इसके अलावा जहा तक उनके ट्रांसफर आर्डर की बात है रेस्पॉन्डेंट नम्बर तीन के खिलाफ जो डार्डरैक्ट इल्जाम लगाए गये हैं, वे स्टैन्ड करते हैं। स्पीकर सर, जो इन्होंने जुन के महीने में औथ ली थी, वही मैंने इनको पढकर सुनाई है। सर, इन्होंने औथ को वायलेट किया है, इसलिए इनको फौरन, मोरल और लीगल ग्राउंडस पर, रिजाईन कर देना चाहिए क्योंकि इससे फालतू बात और कोई नहीं हो सकती। (विघ्न)

Chaudhari Jagdish Nehra: This is nothing, Sir. You have also heard these things. आप खुद इस बात को मान रहे हैं वहा पर(विघ्न)

Mr. Speaker: Nehra Sahib, please take your seat. No more discussion on this matter now.

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, मुझे ऐसा लगता है कि यह आज फिर वाक आउट करके जाएंगे। मुझे इनकी भागने की सलाह दिखती है।

श्री अध्यक्ष: ऐसा लगता है कि आप वाक आउट करना चाहते हैं।(विघ्न)

श्री सतबीर सिंह कादयान:(विघ्न)

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, आप इनको बैठाईये। इसमें कुछ भी स्ट्रीक्चर पास नहीं किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मैलाफाईडी नहीं है, कोई करप्शन की बात नहीं है। ट्रांसफर के मामले में हम ठीक हैं, हमने स्टेट चलानी है, आप क्या बात करते हो(विघ्न) ट्रांसफर के मामले में हम डरेगे नहीं आपसे। आप अपने स्वार्थ के लिए बात कह रहे हैं।

श्री सतबीर सिंह कादयान:(विघ्न)

श्री अध्यक्ष: जो उन्होंने कहा है कि वह रिकार्ड न किया जाए (विघ्न) कादयान साहब, आप बैठिये।

श्री बंसी लाल: अध्यक्ष महोदय, सदन के सामने जब इनता अहम मसला आ जाता है तो उस पर सदन में पूरी तौर से डिस्कशन होनी चाहिए। अभी लीडर आफ दि अपोजीशन ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ा और फैसले में जो उन्होंने पढ़ कर सुनाया, उसकी 4-5 लाइनें हैं। उन्होंने यह कहा है—

After hearing Mr. Soli J Sorabjee, learned counsel for the petitioner and Mr. P.P Rao learned counsel for the Caveator Respondent No. 1 we find that in the peculiar facts and circumstances of the case, there is no cause made out for interference with the order of the Central Administrative Tribunal, Chandigarh Special leave Petition is therefore, dismissed”

अध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट के जजिज ने बड़े गौर से इस फैसले को पढ़ा है और यह कहा है।

“That in the peculiar facts and circumstances of the case”

Peculiar Circumstances created by whom? By the Chief Minister. So far as this case is concerned, Mr. Nehra says that this question is open. There is no question of this case being opened. The Special leave Petition was against the transfer only and that has been dismissed by the Supreme Court. The Writ Petition was allowed by the CAT and upheld by the Supreme Court. They cannot even transfer him. What the CAT says-

“To our mind the time tested adage that men may lie but the circumstance may not lie can justifiably be invoked in this case. We are also of the considered view that the foregoing facts and circumstances taken cumulatively amply justify the reasonable interferences of malafide and bias. Ground No. (1) urged by the learned counsel for the applicant is thus held to be well founded.”

Mr. Speaker Sir, in Ground No. 1 it is written that-

“Impugned order has been passed with sheer malafide intention on the part of Shri Bhajan Lal, Chief Minister, Haryana Respondent No. 3 who is prejudiced as well as biased against the applicant.”

इसलिए अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी को एक मिनट भी मुख्यमंत्री बने रहने का अधिकारी नहीं है। मुझे तो ताज्जुब है कि दिल्ली की सरकार या दिल्ली की कांग्रेस की हाईकमान कर क्या रही है? इससे लाईट स्टिक्चर और क्या हो सकता है। आध्रप्रदेा के मुख्यमंत्री के खिलाफ ऐसा केस था, उसकी छुट्टी कर दी, लेकिन इससे क्या खुाबु आती है। जिसके कारण इनको अभी तक बैठा रखा है। मैं समझता हूँ इनको बैठे रहने का कोई अधिकार नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, इसी तरह कुछ साल पहले महाराष्ट्र के एक मुख्यमंत्री के खिलाफ एक जजमेंट में आया था कि उसकी लडकी के इम्तिहान की जो अनुसार बुक है, उनकी मार्किंग हुई यह बुकिंग चीफ मिनिस्टर की कानाईवेस के बगैर नहीं हुई थी तो उनको भी इस्तीफा देना पडा था। इसमें तो कोर्ट ने एक जगह नहीं, दो तीन जगह यह होल्ड किया है चीफ मिनिस्टर ने जो मेलाफाईड एक्ान किया है, अध्यक्ष महोदय इसके बारे में मैं इसका दूसरा पैरा पढकर सुनाता हूँ। (विघ्न)

चौधरी जगदीश नेहरा: स्पीकर सर, आन ए प्वायट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष: नेहरा साहब आप बोलिए।

श्री बंसी लाल: स्पीकर सर, मुझे तो अपनी बात पूरी कर लेने दे।

चौधरी जगदी । नेहरा: स्पीकर सर, इनकी बात पूरी हो चुकी है। इसके बाद क्या प्वायट आफ आर्डर नहीं उठा सकता? उठ सकता है।

16.00 बजे

स्पीकर साहब, जो बात चौधरी बंसी लाल ने यहा पर कही है, वह सारी बातें उन्होंने अपनी पैटो इन में कही है। बात साफ थी जो भायद इनकी समझ में नहीं आयी। जो बात थी वह यह थी कि प्रिंसिपल चीफ कजंर वेटर को एम0डी0 की पोस्ट पर ट्रांसफर करने की थी। वे कौट में चले गये यानि चण्डीगढ एडमिननिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में वह चले गये जो पेटि इनर है, वह मैलाफाईड लगाता है। When someone goes to the court he pleads his case and he can level malafids. He can say so many things in his petition. मैलाफाईड का चार्ज लगाये बगैर पैटी इन बनती ही नहीं। The Central Administrative Tribunal said that the order was not good. यदि यह पैटी इन में चले गये और वहा पर जजमेंट के आपरेटिव पार्ट में चीफ मिनिस्टर के अगैस्टट कुछ मैलाफाईड प्रूव कर देते, then it would have been a different way. The judgment is itself a speaking judgement. In that transfar has not been quashed. It means the things remain as

it were there which the Government already has done. तो इस बात पर मैलाफाईडी कहना और मुख्यमंत्री पर इलजाम लगाना और यह कहना कि कैट ने यह कह दिया और सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया, ठीक नहीं है ये तो साईड ट्रैक करने के लिए इ पू को कम्प्लीकेट कर रहे हैं और हाउस का टाईम बेस्ट कर रहे हैं, Other wise there is no justification if the Supreme Court would have said anything against the Chief Minister, do you think the Chief Minister will remain? You are talking about pleadings. Anybody can plead anything. There is nothing in that operative part. Not even a single word has been said against the Chief Minister. You are blaming the Chief Minister on the basis of pleadings. (Interruptions)

श्री बंसी लाल: स्पीकर साहब, नेहरा साहब ने कहा है कि यह तो प्लीडिंग्स है जो मैंने हाउस में पढ़ी है। उसका कहना यह है कि मैंने पैटी नर की प्लीडिंग्स पढ़ कर सुनाई है और उनका यह भी कहना है कि कैट का फैसला नहीं है। मैं यहां पर कैट के फैसले के पेज 26 पैरा 18 में से कोटा करता हूँ। अदालत में यह लिखा है—

“To our mind the time tested adage that men may lie but the circumstance may not lie can justifiably be invoked in this case. We are also of the considered view that the foregoing facts and circumstances taken cumulatively amply justify the reasonable interferences of malafide and bias. Ground No. (I) urged by the learned counsel for the applicant is thus held to be well founded.” (Interruptions)

(इस समय श्री अमर सिंह बोलने के लिए खड़े हो गए)

Mr. Speaker: Amar Singh Ji, I am standign. I am on my legs, please sit down.

श्रम एवम रोजगार राज्य मंत्री (चौधरी कृष्ण मूर्ति हुड्डा): स्पीकर सर, यह सदन का टाईम वेस्ट कर रहे है। (व्यवाधान) यह जानबुझ कर हाउस का टाईम वेस्ट कर रहे है। यह मुख्यमंत्री महोदय का जवाब सुनना नही चाहते। (व्यवाधान व भाोर)

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, यह जानबुझकर लेट करना चाहते है ताकि इनके बारे मे मै जो कुछ कहना चाहता हू और इनके जो करनामे हम बताने चाहते है, वह पेपर्ज मे न छपे। अध्यक्ष महोदय, चौधरी बंसी लाल जी ने एक बात कही। (व्यवाधान व भाोर)

स्पीकर सर, यह आर्मी की किताब छपी है, यह मै पढ देता हू। इसमे लिखा है

The present day Nadir Shah

“I want Lt. Col Sukjji Singh to be dismissed form service straight away.”

और उसकी फांसी लगा दो, दिन निकलने से पहले ही। इस किताब मे फोटो देकर छापा हुआ है। (व्यवाधान व भाोर) यह किताब हम आपको नही देगे, यह ब्रिगेडियर मनमोहन भार्मा ने लिखी है। इसमे आगे लिखा है (Interruptions)

Chaudhri Jagdish Nehra: The present Day Nadir Shah' is the heading of this book. I will quote here some lines form this book as under:-

“I want Lt. Col Sukjji Singh to be dismissed form service straight away boomed Shri Basni Lal the Raksha Mantry and hunf off. The recipient of the message, Lt. Gen. A.M Vohra, the VICE Chief was aghast for a while and then called his Military Assisatant, Major Kunchuria to get a thorough briefing on this matter.”

This is was the day in 1975-76, when he was the then Defence Minister in Government of India. He has said this thing against a Lt. Colonel without hearing, without listening, without giving notice, without saying anything and without and writitng, when court marshal system is there and the military officers can take action. But marshal system is there and the miliatary officers can take action. But the Minister himself says he should do this thing. It means that they have written himself says that he should do this thing. It means that they have written agaisnt a Defence, Minister and at this time he was a Nadir Shah and that is why they have written their reminiscence when they have retired. Mr. Brigadier. He has written his reminiscence When he was in secvice and he has quoted Ch. Bansi Lal, the Defence Minister, Government of India as Nadir Shah, because he was giving wrong order which was neither legal nor with equity based and justification. They are talking regarding those neither things which are nor relecvant to the context of the Assembly Session. My submission is this. कि स्पीकर साहब, यह बार बार जिस पैराग्राफ को लेकर खेड हो जाते है, इस बातों से

मुख्यमंत्री का ट्रांसफर करने से कोई ताल्लुक नहीं है। क्या इन्होंने इससे ज्यादा और गलत ट्रांसफर नहीं किए। मैं बंसी लाल से पूछना चाहता हू कि क्या इन्होंने इससे भी ज्यादा और गलत ट्रांसफर नहीं किए। (विघ्न) अगर चीफ मिनिस्टर ने एक ट्रांसफर कर दी, तो क्या इन्होंने कोई गलत काम कर दिया और जो ट्रांसफर किया वह मैलाफाइडी था? (तोर एवम व्यवधान) We are doing hundreds of transfers every day and if was are guilty then you both are the victims and you both are culprits and your are already guilty. Obviously, you are saying y ourself that this is irrelevant to the context. My submission is this, Speaker Sir that they are creating only this type of scence so that the Chief Minister when he wants to speak against them and he is having documentary evidence regarding their allegations and counter allegations, is not allowed to speak and interrupted time and again. So my submission is this that they should not be allowed to stail the procedings of the House or the Chief Minister from speaking Actualay, things which he will say against them, they do not want to listen them. They are creating this type of scene, So I will request you----- (Interruptions)

वैयक्तिक स्पष्टीकरण

श्री बंसी लाल द्वारा

श्री बंसी लाल: आन ए पर्सनल ऐक्सप्लेने इन सर। स्पीकर साहब, श्री नेहरा ने और मुख्यमंत्री ने किताब पढकर सुनाई कि जब मैं डिफ़ैन्स मिनिस्टर था तो मैंने एक कर्नल के बारे मे

ऐसा कहा। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जहां तक मुझे याद है, एक लैफ्टिनेट कर्नल ने, मेरे आफिस में एक गजेटिड आफिसर के सामने, मेरे एक अधिकारी को, जो सरदार प्रताप सिंह कैरो के पुराने पोलिटिकल सैक्रेटरी महेन्द्र सिंह पन्नु होते थे, उसको मां बहन की गाली दी, उसकी बेइज्जती की और उसको पीटा।

मैंने अपने एक गजेटिड आफिसर, जिसके सामने यह हुआ, के ब्यान लेकर उस लैफ्टिनेट कर्नल को सस्पैन्ड कर दिया जिसका मुझे अधिकार था। इसके विरुद्ध अगर वह आफिसर अदालत में गया होगा और अदालत ने अगर कोई फैसला दिया होगा या मेरे खिलाफ कोई स्ट्रीक्चर पास किया होगा, तो ये मुझे दिखा दे। मैं मान लूंगा, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। वह अफसर मेरे से माफी मांग कर के गया, फिर मैंने उनको रि इस्टेट किया। अध्यक्ष महोदय, जहां तक फैसले का सवाल है, एक और फैसला मुख्यमंत्री महोदय जी के खिलाफ जाता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है।

“Except observing that the complainant has initiated into the motion alleging serious allegation against Ch. Bhajan Lal who was then holding a Cabinet Rank in the Central Government, may become liable for criminal and civil liabilities, in case the allegations are not proved. Whatever might have the motive for withdrawal of his complaint, he after having fought the case upto the Supreme Court level, in quashing the proceedings, have justification and requesting

the investigating officer not to probe the case further” he staged a walk out of the court (Noise & Interruptions)

On the other hand, he ought to have maintained the discipline of the Court but he staged a walk out.

श्री अध्यक्ष: चौधरी बंसी लाल जी, आप तो पर्सनल एक्सप्लेनेशन देने के लिए खड़े हुए थे। यह आप क्या छेड़ बैठे हैं? (गोर)

श्री बंसी लाल: स्पीकर साहब, मैं ठीक कर रहा हूँ कि जो धर्मपाल आज चेयरमैन खादी बोर्ड का बना बैठा है, उसे तो धारा 211 के तहत जेल में होना चाहिए था। यह मैं नहीं कर रहा, यह तो सुप्रीम कोर्ट की आबजर्वेशन है। यह किसी छोटी मोटी कोर्ट की आबजर्वेशन नहीं है, यह अपैक्स कोर्ट के आबजर्वेशन है।

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है कि मैं ग्राऊड नम्बर वन के बारे में बताना चाहता हूँ। स्पीकर साहब, जो कम्प्लेनेट है उसने जो अपना ग्राऊड नम्बर वन दिया है, उसमें कैंट ने कहा है कि ग्राऊड नम्बर वन इज वैल फाऊडिड 1 ग्राऊड नम्बर वन जो है, वह क्या था।

“Impugned order has been passed with sheer malafide intention on the part of Shri Bhajan Lal’ Chief Minister, Haryana Respondent No. 3, who is prejudiced as well as biased against the applicant.”

स्पीकर सर, वह ग्राउड नम्बर वन था जिस ग्राउड पर उसने मैलाफाइडी और बाउस की बात कोर्ट में डाली। इसका मतलब यह हुआ कि इस ग्राउड के अनुसापर मलाफाइडी और बाउस ऐंटीचुएट स्टैंड करता है। किस किस ने कितनी कितनी ट्रांसफर की, कितनी गलत की, कितनी सही की, यह तो सब करते ही है, इस बात पर हम नहीं जाते किसीने पोलिटिकल बेसिस पर की होगी, किसी न किसी और बेस पर की होगी, चाहे हजारों, ट्रांसफर्ज की हो, हम इस बात पर नहीं जाते, लेकिन यदि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ अगर स्ट्रिकचर पास कर दे तो पता चलते हैं कि कौन आदमी, किस तरीके से अपना काम कर रहा है? स्पीकर सर, यह सरकार बड़ी बुरी तरह से धीरे में धिरी हुई है। क्योंकि जिनते इन्होंने जवाब दिए थे, वे सारे असत्य पर आधारित थे। जब वे बोल रहे थे तो हम भी महसूस करते थे कि वे बड़े ही काफीडैस बोल रहे हैं। हमें यह भी फील हुआ कि भायद उनकी बातें सच्ची हैं लेकिन जब हमें आर्डर की कापी मिली तब पढ़ कर हमें हैरानी हुई कि ये चीफ मिनिस्टर अपनी चमड़ी बचाने के लिए किस तरह से हाउस को मिस लीड कर रहे हैं। स्पीकर सर, जब फैसला आया, तब इनकी मैलाफाइडी इन्टैन्शन का पता लगा कि इनकी इन्टैन्शन क्या थी। तो स्पीकर सर, जिस आदमी के खिलाफ इस तरह के चार्जिच साबित हो जाए, उसे एकदम ही रिजाइन कर देना चाहिए ताकि दूसरे राज्यों के लोग भी इनकी एग्जाम्पल को फाली करें। स्पीकर सर, जिस तरह से तामिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक में हुआ,

उसकी एग्जामपल को इनको भी फाली करना चाहिए और रिजाइन कर देना चाहिए। इसी तरह से पजाब में सरदार प्रताप सिंह कैरो ने भी किया था। यदि ये रिजाइन नहीं करते तो मौरली ये चीफ मिनिस्टर आप के लायक नहीं है। (गोर)

श्री अध्यक्ष: सम्पत सिंह जो, अब आप बैठिए। आपका प्वायट आफ आर्डर खत्म हो गया है। आप तो काफी बोल चुके हैं। (गोर)

श्री सतबीर सिंह कादयान: स्पीकर साहब,.....
.....

श्री अध्यक्ष: जो मेरी परमिशन के बिना खोला जा रहा है वह रिकार्ड न किया जाए। अब चीफ मिनिस्टर साहब बोलगे।

सदस्यों का नाम लेना

मुख्यमंत्री चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय पिछले चार दिन से राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बहस चल रही है (गोर)

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, हम चाहते हैं कि चीफ मिनिस्टर साहब को रिजाइन कर देना चाहिए और कांग्रेस लैजिस्लेचर पार्टी को नय नेता चुन लेना चाहिए। (गोर)

श्री अध्यक्ष: कांग्रेस लैजिस्लेचर पार्टी अपनी बात जानती है, आपके कहने की कोई जरूरत नहीं, आप अपनी पार्टी को

सम्भालिए। (व्यवधान) मैं आप को वार्न करता हूँ कि अगर आप दोबारा इस तरह खड़े होकर बोलेगे तो मैं आप को नम कर दूँगा।

(प्रो० सन्तप सिंह अध्यक्ष महोदय की वार्निंग के बावजूद भी बोलते रहे।)

Mr. Speaker: Sampat Singh Ji, I name you. You may leave the House.

(The non. Member did not leave the House and continued speaking)

Mr. Speaker: Marshall, take him out of the House with the aid of the watch and ward staff. (Interruptions)

(At this stage the Sergeant-at-Arms with the aid of the Watch and Ward staff, took the hon'ble member, out of the House.)

(Shri Satbir Siungh Kading also rose to speak and continued speaking without permission of the Chair.)

Mr. Speaker: I also name Shri Satbir Singh Kadian. He may leave the House. (Interruptions)

(The hon' member did not leave the House and continued speaking)

Mr. Speaker: Marshal, take him out of the House with the aid of the watch & ward staff.

(At this stage the Sergeant-at-Arms with the aid of the Watch and Ward staff, took the hon'ble member, out of the House.)

(Shri Dhirpal Singh started speaking without permission of the Chair.)

Mr. Speaker: Dhirpal Singh Ji, I name yoy. You may leave the House. (Interruptions)

(The hon' member did not leave the House and continued speaking)

Mr. Speaker: Marshal, take him out of the House with the aid of the watch & ward staff. (Interruptions)

(At this stage the Sergeant-at-Arms with the aid of the Watch and Ward staff, took the hon'ble member, out of the House.)

(Shri Ramesh Kumar started speaking without permission of the Chair.)

Mr. Speaker: I name Shri Ramesh Kumar. He may leave the House.

(At this Stage, Shri Ramesh Kumar withdrew from the House.)

(Shri Balwant Singh Maina rose to speak and contiuned speaking without permission of the Chair.)

Mr. Speaker: Balwant Singh Ji, I name yoy. You may leave the House. (Interruptions)

(The hon' member did not leave the House and continued speaking)

Mr. Speaker: Marshal, take him out of the House with the aid of the watch & ward staff. (Interruptions)

(At this stage the Sergeant-at-Arms with the aid of the Watch and Ward staff, took the hon'ble member, out of the House.)

(Shri Krishan Lal rose to speak and continued speaking without permission of the Chair.)

Mr. Speaker: I name Shri Krishan Lal, He may leave the House.

(The hon' member did not leave the House and continued speaking. (Interruptions)

Mr. Speaker: Marshal, take him out of the House with the aid of the watch & ward staff. (Interruptions)

(At this stage the Sergeant-at-Arms with the aid of the Watch and Ward staff, took the hon'ble member, out of the House.)

(Shri Amar Singh Dhanday rose to speak and continued speaking without permission of the Chair.)

Mr. Speaker: I name Shri Amar Singh Dhanday. He may leave the House.

(The hon' member did not leave the House and continued speaking. (Interruptions)

Mr. Speaker: Marshal, take him out of the House with the aid of the watch & ward staff. (Interruptions)

(At this stage the Sergeant-at-Arms with the aid of the Watch and Ward staff, took the hon'ble member, out of the House.)

(Ch Zile Singh roseto speak and contiuned speaking without permission of the Chair.)

Mr. Speaker: I name Ch Zile Singh. He may leave the House.

(The hon' member did not leave the House and continued speaking. (Interruptions)

Mr. Speaker: Marshal, take him out of the House with the aid of the watch & ward staff. (Interruptions)

(At this stage the Sergeant-at-Arms with the aid of the Watch and Ward staff, took the hon'ble member, out of the House.)

(Shir Bharath Singh rose to speak and contiuned speaking without permission of the Chair.)

Mr. Speaker: I name Shir Bharath Singh. He may leave the House.

(The hon' member did not leave the House and continued speaking. (Interruptions)

Mr. Speaker: Marshal, take him out of the House with the aid of the watch & ward staff. (Interruptions)

(At this stage the Sergeant-at-Arms with the aid of the Watch and Ward staff, took the hon'ble member, out of the House.)

(Shir Jaswinder Singh rose to speak and continued speaking without permission of the Chair.)

Mr. Speaker: I name Shir Jaswinder Singh. He may leave the House.

(The hon' member did not leave the House and continued speaking. (Interruptions)

Mr. Speaker: Marshal, take him out of the House with the aid of the watch & ward staff. (Interruptions)

(At this stage the Sergeant-at-Arms with the aid of the Watch and Ward staff, took the hon'ble member, out of the House.)

(Shir Mani Ram (Darba Kalan) rose to speak and continued speaking without permission of the Chair.)

Mr. Speaker: I name Shir Mani Ram (Darba Kalan). He may leave the House.

(The hon' member did not leave the House and continued speaking. (Interruptions)

Mr. Speaker: Marshal, take him out of the House with the aid of the watch & ward staff. (Interruptions)

(At this stage the Sergeant-at-Arms with the aid of the Watch and Ward staff, took the hon'ble member, out of the House.)

(At this stage Shri Jai Pal Singh rose to speak and continued speaking without permission of the Chair.)

Mr. Speaker: I name Shri Jai Pal Singh. He may leave the House.

(The hon' member did not leave the House and continued speaking. (Interruptions))

Mr. Speaker: Marshal, take him out of the House with the aid of the watch & ward staff. (Interruptions)

(At this stage the Sergeant-at-Arms with the aid of the Watch and Ward staff, took the hon'ble member, out of the House.)

(Shri Ram Katwal rose to speak and continued speaking without permission of the Chair.)

Mr. Speaker: I name Shri Ram Katwal. He may leave the House.

(The hon' member did not leave the House and continued speaking. (Interruptions))

Mr. Speaker: Marshal, take him out of the House with the aid of the watch & ward staff. (Interruptions)

(At this stage the Sergeant-at-Arms with the aid of the Watch and Ward staff, took the hon'ble member, out of the House.)

(Shri Daryao Singh rose to speak and continued speaking without permission of the Chair.)

Mr. Speaker: I name Shri Daryao Singh. He may leave the House.

(The hon' member did not leave the House and continued speaking. (Interruptions)

Mr. Speaker: Marshal, take him out of the House with the aid of the watch & ward staff. (Interruptions)

(At this stage the Sergeant-at-Arms with the aid of the Watch and Ward staff, took the hon'ble member, out of the House.)

श्री बंसी लाल: अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री और इनके साथी कह रहे हैं कि इनके खिलाफ कोई मैलाफाइडी होल्ड नहीं की गई। आप जजमेंट का पैरा और 18 पढ़ कर देखें पैरा 18 को मैंने पहले ही पढ़ कर सुना दिया है। पैरा 16 में लिखा है।
(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: क्या आप दोबारा पर्सनल एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं?

श्री बंसी लाल: अध्यक्ष महोदय, पर्सनल एक्सप्लेनेशन तो मैं पहले ही दे चुका हूँ। इस जजमेंट के पैरा 16 में क्या मैलाफाइडी होल्ड की है, वह मैं पढ़ देता हूँ। इसमें लिखा है:—

“ It is stating the obvious that each case of malafide has to be considered in the light of the facts and circumstances obtaining in a particular case and that there is no straight jacket formula for deciding the question of malica

and bias. The background set out herein above and relied upon by the learned counsel for the applicant cannot be lightly brushed aside”

श्री अध्यक्ष: चौधरी बंसी लाल जी, आप पहले इनका जवाब तो सुन लीजिए।

श्री बंसी लाल: अध्यक्ष महोदय, सबसे पहली बात तो यह बहुत जरूरी है कि चीफ मिनिस्टर की छुट्टी होनी चाहिए, इनको चीफ मिनिस्टर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। (विघ्न) जब इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक मैलाफाइडी होल्ड हो गई तो इनको चीफ मिनिस्टर रहने का कोई अधिकार नहीं है और इनको जाना पड़ेगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: चौधरी साहब, क्या आपने भी वाकआउट करना है?

श्री बंसी लाल: अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री को एक मिनट भी इस कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं है। (विघ्न) ये इस योग्य नहीं है कि इस कुर्सी पर बैठे रहेंगे। (विघ्न) इनका जनता के प्रति यदि कोई मौरल औबलिंगे उन है तो रिजार्डन कर देना चाहिए। अगर रिजार्डन नहीं करते तो प्रधान मंत्री जी को चाहिए कि इन्हे डिसमिस करे। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, चौधरी सम्पत सिंह जी, जिस दिन बोल रहे थे तो मुख्यमंत्री जी कह दिया था कि यह मामला सबजुडिस है इसलिए इसको डिसकस नहीं किया जा सकता। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष: आप वही बाते बार बार रिपीट क्यों कर रहे हैं? ये बाते तो आपने पहले ही कह ली हैं। (व्यवधान)

श्री बंसी लाल: अध्यक्ष महोदय, आप इनसे कहिए कि ये इस्तीफा दे दे। (व्यवधान)

आबकारी एवम कराधान मंत्री (श्री ए०सी० चौधरी): अध्यक्ष महोदय, प्वायट आफ आर्डर, मैं आपसे एक स्पैसिफिक रूलिंग चाहूंगा कि जब आपने एक पट्टिकुलर काज के लिए आनरेबल मैम्बर को बोलने के लिए इन्वाइट किया कि अगर वे पर्सनल एक्सप्लेने इन देना चाहते हैं तो दे सकते हैं otherwise the chapter is closed. पर्सनल एक्सप्लेने इन तो ये दे नहीं रहे और जो कुछ बोल रहे हैं, उसकी दोबार रैपीटी इन कर रहे हैं। इस बारत मे मैं आपकी रूलिंग चाहता हू कि क्या वे ऐसा कर सकते हैं?

श्री अध्यक्ष: दोबार रैपीटी इन करने की इजाजत नहीं है। With my permission, he can speak and every body can speak also. वैसे इन्होंने सब बाते कह ली हैं और अब चीफ मिनिस्टर साहब अपनी बाते कहेंगे। चौधरी बंसी लाल जी अब आपके बोलने की इजाजत नहीं है, आप बैठिए।

श्री बंसी लाल: अध्यक्ष महोदय, हकीकत यह है कि.....
(व्यवधान)

Mr. Speaker: Nothing to be recorded without my permission. (Interruptions)

Shri Bansi Lal:

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, इन सभी ने वाक आउट करना है क्योंकि ये अपने खिलाफ कुछ सुन नहीं सकते। (व्यवधान) इनके बारे में मैं पूरा पुलिन्दा बांध कर लाया हूँ मैं इनकी थोड़ी सी हिस्ट्री सदन में बताना चाहता हूँ लेकिन ये कुछ सुनना ही नहीं चाहते। (व्यवधान) इन्होंने अपने जीवन में क्या क्या का रना में किये हैं, लोगों ने इनके बारे में क्या क्या कहा है, क्या क्या जनरलो ने कहा है, क्या क्या भाह कमी उन ने कहा है और क्या क्या किताब कहती है। (व्यवधान)

(इस समय चौधरी बंसी लाल बिना चेयर की इजाजत से बोलने ही रहे।)

Mr. Speaker: Chaudhary Bansi Lal I name you. (Interruptions)

(इस वक्त श्री कर्ण सिंह दलाल स्पीकर साहब के बैल के पास आ गए और बोलना शुरू कर दिया)

श्री अध्यक्ष: दलाल साहब, आपने जो कुछ कहना है अपनी सीट पर जा कर कहिए।

(At this stage the Sergeant-at-Arms with the aid of the Watch and Ward staff, took the hon'ble member, out of the House.)

Mr. Speaker: Dalal Sahib, I name you also. You may leave the House.

(The hon' member did not leave the House and continued speaking. (Interruptions))

Mr. Speaker: Marshal, take him out of the House with the aid of the watch & ward staff. (Interruptions)

(At this stage the Sergeant-at-Arms with the aid of the Watch and Ward staff, took the hon'ble member, out of the House.)

(At this stage Shri Bansi Lal started speaking without permission of the Chair.)

Mr. Speaker: Chaudhari Bansi Lal Ji, You have also been named earlier. You may please leave the House.

(At this stage Shri Bansi Lal withdrew form the House.)

(Shathi Lehri Singh started speaking without permission of the Chair.)

Mr. Speaker: Chaudhari Bansi Lal Ji, You have also been named earlier. You may please leave the House.

(At this stage Shri Bansi Lal withdrew form the House.)

(Shri Amar Singh also started speaking without permission of the Chair.)

Mr. Speaker: Amar Singh Ji, since you are also speaking without permission you are also named. You may leave the House)

(At this stage Shri Amar Singh Ji, withdrew from the House.)

Mr. Speaker: Now the Chief Minister may please Continue his speech.

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, पिछले 4 दिन से महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बहस चल रही है। आपको याद होगा, मैंने उस दिन कहा था कि इनकी सारी बातों को हम सदन में भ्रान्ति से सुनेंगे लेकिन मुझे बहुत दुख से कहना पड़ता है कि इन्होंने बेबुनियाद और बिना किसी आधार के हर किस्म के आरोप लाने की कोशिश की। मैंने एक रिक्वेस्ट की थी कि हम इनकी सारी बातों को भ्रान्ति से सुनेंगे, लेकिन मेहरबानी करके जिस दिन मैं जवाब दूँ उस दिन से हाउस के अन्दर बैठ कर मेरी बातों को भी भ्रान्ति से सुने। स्पीकर सर, जानबूझ कर एक प्लानिंग के तहत ये वाकआउट करना चाहते थे और इन्होंने इस प्रकार का व्यवहार किया जिसके कारण मजबूर होकर आपको उन्हें नेम करना पड़ा। इस बहस को पूरा सुनने के लिए वे सामने बैठते और मैं इनकी सारी बातों का जवाब इनके सामने देता लेकिन ये लोग पहले ही प्लानिंग करके आए थे कि इन्होंने वाक आउट करना है। इन्की सारी हिस्ट्री मेरे पास है और

ये उसको सुनने की हिम्मत नहीं रखते हैं। प्रदेशों के अन्दर इन लोगों ने क्या हालात पैदा कर दिए हैं, यह आप जानते हैं। जो आरोप इन्होंने लगाए हैं, मैं इनको पूरा जवाब देता और इनकी सारी बातों का डिटेल् में जवाब देता, लेकिन अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत दुख है कि वे हाउस में नहीं बैठे हैं। अध्यक्ष महोदय, इन लोगों ने कहा उसका कोई अर्थ नहीं है, कोई मतलब नहीं है। इन बातों का कोई आधार नहीं है। इस प्रकार से इन लोगों ने प्रदेशों के साथ धोखा किया, इसका मतलब यह है कि इनकी बातों में कोई वजन नहीं है। अगर हम चाहते तो इनको बोलने नहीं देते, जो भी बोलता, बीच में खड़े हो जाते लेकिन यह अच्छी बात नहीं होती। हमने इनकी सारी बातें भ्रान्ति से सुनीं। इनके जमाने में क्या होता था, वह भी सबको मालूम है। सरकार के काम से कोई त्रुटि हो तो वे उसको हमारे सामने लाते ताकि हम उसको ठीक कर सकते। स्पीकर साहब, बहुत से महानुभावों ने अच्छी बातें भी कही, चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी ने बहुत अच्छे सुझाव दिए। मैं उनका आदर करता हूँ, उन्होंने बहुत अच्छी बातें कहीं। चौधरी सम्पत सिंह और चौधरी बसी लाल जी ने भी कुछ बातें अच्छी कहीं। हमारी तरफ से लोगों ने भी कुछ बहुत अच्छी बातें कहीं और बहुत से साथियों ने सरकार की तारीफ की, मैं इन सब का धन्यवाद करता हूँ।

स्पीकर साहब, छाज तो बोल ही बोल, लेकिन छलनी भी बोल, जिसमें सैकड़ों सुराख हैं? जो इल्जाम इन्होंने लगाए हैं,

उसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ। सबसे पहले कहा गया कि गुडगाव में गलत रजिस्ट्री हो गई, इसमें इनके बेटों का हाथ है। अगर ये सामने बैठे होते तो मैं उनके सामने जवाब देता तो पता चलता है कि कौन सही है और कौन गलत है। अध्यक्ष महोदय, इस केस की कहानी में बताना चाहता हूँ (विधन) जो प्रदे 1 के हित की बात है, वह भी आएगी। जो बातें उन्होंने कही, उनका तो जवाब देना ही पड़ेगा क्योंकि प्रेस से छप गई है और अगर हम जवाब नहीं दे तो हमारी बात नहीं आएगी। अच्छी बात तो यही होती है कि मैं सारी डिटेल्स उनके सामने बताता। उन्होंने मेरे बेटों का जिक्र किया, या तो मैं मन्दिर में बडते या भजन लाल मन्दिर में बडता तो बात जमती और लोगों को पता लगता कि कौन सही है और कौन गलत है। अध्यक्ष महोदय, अब हम अपनी बात किससे कहे?

श्री अध्यक्ष: वे अखबार में पढ़ लेंगे।

चौधरी भजन लाल: उनकी बातें अखबारों में छपी हैं, अगर हमारा वॉरिन्ट न आए तो अच्छी बात नहीं है। मैं बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा, कुछ प्वायट ही कहूंगा। अगर वे सामने बैठे होते तो मैं उनसे बात करता। अध्यक्ष महोदय, इस केस के बारे में मेरे पास रिपोर्ट आई थी कि 3 एकड़ के करीब जमीन की गुडगांव में गलत रजिस्टर हो रही है तथा गलत मुखतारनामा दिया गया है। मैंने उसी वक्त डिप्टी कमिशनर को बुलाया और कमिशनर ने बाकायादा इस केस के बारे में यह इन्कवायरी करके चिट्ठी लिखी

है। कमिशनर ने यह कहा कि उसे इस केस की प्रारम्भिक जांच करने के आदेश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं यह बताना चाहूंगा कि एक जमीन में 645 लोगों की हिस्सेदारी है। इन 645 लोगों के हिस्सेदारों ने 4 आदमियों को मुखतारनामा दे दिया। उसमें पूरे आदमी पे नहीं हुए थे, यह बात रिपोर्ट में आई है। हमें जब यह पता लगा तो उसकी रजिस्टरी बाकायदा कैंसिल की गई और उस तहसीलदार को सस्पेंड किया गया। इस केस के बारे में जांच जारी है, उन लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया और बाकायदा इन्कवायरी चल रही है। अगर किसी का जरा भी हाथ होता तो क्या ऐसा होता? मेरे बेटे का तो क्या अगर हमारे किसी सपोर्टर का भी होता तो क्या हम फौरी तौर पर जांच करते, क्या रजिस्टर कैंसिल करते, और क्या मुखतारनामा कैंसिल करते? एक ही दिन में क्या उनके खिलाफ केस दर्ज करते, क्या तहसीलदार को सस्पेंड करते, क्या सारी कार्यवाही एक ही दिन में पूरी करते? उन लोगों के साथ इन लोगों 4-5 साल पहले एग्रीमेंट कर रखा था।

श्री अध्यक्ष: अगर आदमी आपके भी होते, तो आप इन्साफ ही तो करते।

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, इसी तरह की बातें ये लोग करते हैं। किस तरह से इन्होंने बेबुनियाद और गलत बातें कह कर हाउस को गुमराह करने की कोशिश की है ताकि भजन लाल की प्रतिष्ठा कम हो जाए। अध्यक्ष महोदय, उन्होंने यह भूमि

1979 मे, जो 79 एकड 4 कनाल 3 मरले है, को डूण्डाहेडा की पचायत ने बाकायदा 15.5.1989 को रेज्योलू इन पस करके दे दी थी और उस को हम ने टूरिज्म के नाम करवा कर इसका इन्तकाल करा दिया। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार को आए एक साल हुआ था तब हमने 25.3.1992 को उस जमीन का इन्तकाल टूरिज्म के नाम करवाया। ये उस जमीन को हडपना चाहते थे किन्तु हमने हडप नहीं करने दी। गावो वाले ने इस केस के अगेस्ट अपील की हुई है। हमने यह केस कमी इनर के जिम्मे लगाया है कि वह इस केस को सुन कर जल्दी से निपटारा करे। अध्यक्ष महोदय, अगर ये भले आदमी थे तो इन्होंने टूरिज्म के नाम इन्तकाल क्यों नहीं करवाया? कितनी बेसलैस और बेबुनियादी बात ये करते है, जिसका कोई आधार ही नहीं है।

इसी तरह से इन्होंने पलवल के अड्डे की बात कही कि पलवल बस स्टेड की जमीन मे भजन लाल के लडको का हिस्सा है। इस केस की पृष्ठभूमि मैं आपको बताना चाहता हू इस समय के रिकार्ड के अनुसार बताया जाता है कि पिछले प्लाट पर श्री सुरे ा वर्मा, कर्नल विक्रम सिंह, इन्द्रजीत सिंह, भूतपूर्व सरपच बझेरा और वह लाला जो श्री देवी लाल सरकार मे रहा, मंत्री श्री धर्मवीर का भाई है, का विशेष तौर पर हिस्सा है। अध्यक्ष महोदय यह भी कहा जा रहा है कि एक दुकान उन्होंने श्री कर्ण सिंह दलाल एम0एल0ए0 के भाई को दे दी है और नायब तसहीलदार बताने के अनुसार भी कर्णसिंह दलाल का भाई खुद वहा पर

पंजीकरण कराने के समय आया था। इस जमीन में श्री रती एडवोकेट और सुरे । भार्मा पार्टी डीलरी की मिली भगत की बात भी कही थी। सुनने में यह भी आया है कि तत्कालीन उप मण्डल अधिकारी, जो उस समय एस0डी0एम0 थे, जिनका नाम श्री सांगवान है, का नाम भी सामने आया है। अध्यक्ष महोदय, यह सब डी0सी0 ने रिपोर्ट में लिखा हुआ है। दूसरे प्लॉट में मुख्यतः एक ही परिवार का बिज है और उसका मुख्यकर्ता श्री औमप्रका । भार्मा जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी फतेहबाद है। वह भी इनका आदमी है। इस विषय में इस पार्टी को कचहरी से भी काफी मदद किसी के सहारे से मिली। अध्यक्ष महोदय, उस अफसर का नाम लेना ठीक नहीं रहेगा क्योंकि यह जुडिियल अफसर है। श्री राम स्वरूप तहसीलदार उप मण्डल अधिकारी को भी इस मामले में सस्पेंड कर दिया गया है। इसके अलावा जमीन की खरीद फरोख्त का मामला 1974 में किया प्रतीत होता है। इस जमीन से सम्बन्धित काफी इन्तकाल इनके अपने आदमियों के नाम पर 1988 में इनके वक्त में हुए हैं उन लोगों ने यहाँ पर दुकानें बना लीं। अध्यक्ष महोदय, अब लाला के भाई हमारी पार्टी में आ गए हैं लेकिन मुझे सच्ची बातें कहने में कोई एतराज नहीं है चाहे वह मेरे बेटे के खिलाफ हो तो भी सच्ची बात कहने में कोई एतराज नहीं है, चाहे वह मेरे बेटे के खिलाफ हो तो भी सच्ची बात कहने में कोई एतराज नहीं है, चाहे वह मेरे बेटे के खिलाफ हो तो भी सच्ची बात कहूँगा। अब लाला ने हिस्सा देने से इन्कार कर दिया, उससे कहा कि मैंने कब्जा किया था। जब चौटाला और सम्पत के लोगो

को हिस्सा देने से इन्कार कर दिया तो वह भाोर मचाते है कि भजन लाल के बेटो ने कब्जा करा दिया। 1988 मे इन्तकाल हो गया, कब्जा इनका है। लाला ने कर्णसिंह दलाल के भाई को एक दुकान दी लेकिन ये हमारे पर इल्जाम लगाते हैं। अगर इन मे जरा भी गैरत हो तो इनको चुलु पर पानी मे डूब कर मर जाना चाहिए। यह सारी बात मै रिपोर्ट की कह रहा हू, अपने मुह से कुछ नही कर रहा हू। इस तरह से होडल बस स्टैड के बारे मे कह दिया। होडल बस स्टैड के बारे मे जो सरकारी रिपोर्ट है, वह बता रहा हू यह सियासी रिपोर्ट नही है। कि मै अपने मुह मे कुछ भी कह दू। जो डियूटी कमी रनर की रिपोर्ट आई है वह बात रहा हू। अध्यक्ष महोदय, होडल बस स्टैड के पास एक भामलात पट्टी अन्धवा है जिसका 695 कैनाल 16 मरले रकबा के काफी भाग मे एक जोहड है जिसको लोकल भाशा मे ढाडी जोहड के नाम से पुकारा जाता है। अब भी होडल भाहर की नालियो का पानी, बरसात का पानी, इस जोहड मे जाता है इस भामलात पट्टी अधवा का एक नम्बर 484 है, जिसका आठ कैनाल 14 मरले रकावा था, जिसका कुछ भाग पांच पजीकरणो के माध्यम से बेचा गया जो श्री मोहन चन्द पुत्र श्री बत्तुराम, निवासी होडल व राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री ज्योति कुमार, निवासी पलवल से कराया था। इन सभी पजीकरण का कुल रकबा 5 कैनाल 8 मरले है। दिनांक 2.12.1992 के उक्त सभी पजीकरण दाखिल खारिज कर दिये गये। दिनांक 18.12.1992 के उपायुक्त के आर्डर के अनुसार, यह सारी जमीन नगरपालिका के नाम कर दी गयी है फिर भी भामलात पट्टी को

कुछ जमीन की रकबा, लगभग 12 एकड, भामलात पट्टी अन्धवा के हिस्सेदार से खरीदने की कुछ बातें कुछ लोग करा रहे हैं। यह भी सुना गया है कि मुख्यतः श्री खिल्लन सिंह, भूतपूर्व एम0एल0ए0 जो अब सजपा में शामिल हुए हैं, और चौधरी नारायण सिंह, जो भारतीय किसान यूनियन के प्रधान हैं, इसको लगभग 21 लाख रुपये में खरीद रहे हैं इस विषय में दोनों व्यक्तियों ने यह ऐतराज किया है कि इस जमीन का इतकाल नगरपालिका के नाम नहीं कराना चाहिए। इस विषय में दोनों महानुभावों ने विभिन्न अधिकारियों से भी मुलाकात की है। बस स्टैंड के पास कोई रकबा 1500 कैनल नहीं है। ऐसा लगता है कि विधायक ने कुल रकबा जो नगरपालिका के नाम हुआ है की बात की है जो की सारी जमीन खिल्लन सिंह बगैरहा हडप करना चाहते हैं। ये लोग पहले से ही अपनी पे अबन्दी करने की कोशिश कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय यह ऐसा क्यों करा रहे हैं, क्योंकि ये लोग स्वयं सारी जमीनों पर कब्जे कराया करते थे। इन्होंने तो जमीनों के अलावा मकानों पर भी कब्जे किये और किसी की बहु बेटों की इज्जत पर भी हाथ डालने से गुरेज नहीं किया था। इसलिए ये और लोगों पर भी वैसा ही इल्जाम लगाना चाहते हैं। क्योंकि जैसा इन्सान खुद होता है, वह वैसा ही दूसरों को भी समझता है। जो अच्छा इंसान होगा वह घटिया और कमीनी बातें कभी नहीं करेगा। अगर कोई व्यक्ति किसी आधार और बगैर मतलब की बातें करे तो ठीक नहीं है। मेरे पास तो रिकार्ड की बातें हैं और सरकारी रिकार्ड पडा हुआ है ताकि अगर ये कुछ कहे तो मैं इसको बताऊ

। अगर ये लोग इस समय हाउस मे होते, तो मै इनको कुछ बताता लेकिन मेरे सामने इस समय सारी कुर्सिया खाली पडी हुई है।

अध्यक्ष महोदय, सम्पत सिंह के खिलाफ रेडज हुए। 172 एफिडेवेट, हलफिया ब्यान भी मिले, जिसमे से 22 कोरे, बाकायदा तसदीक किये हुए मिले है। ये चाहते है कि जो रेडज के अन्दर एफेडेविट मिले है उन पर कानूनी कार्यवाही ना की जाए, इसीलिए से दूसरो को भी यही समझते है कि इन्होने भी कब्जे करा रखे है या बेनामी करा रखे है। अध्यक्ष महोदय, इन्होने उनसे बाकायदा मुख्यतारनामा ले रखा है इसी तरह से ये सोचते है कि दूसरो ने भी ऐसे ही ले रखे होंगे। कोई भी ऐसा गलत काम नहीं जो इनहोने न कर रखा हो। आज उनकी इक्वायरी भी चल रही है इसलिए अगर मै ज्यादा कहूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, इक्वायरी से साबित हो जाएगा। इसीलिए ये पहले से ही अपने पें अबन्दी करने मे लगे हुए है ताकि इनके खिलाफ कुछ कार्यवाही न हो। लेकिन कानून अपने रास्ते से चलेगा। सिकी पर झूठे और गलत इल्जाम लगाकर ये लोग इस तरह की बातें नहीं कर सकते।

इसी तरह से बंसी लाल जी ने खानो के बारे मे कह दिया। मै आपको खानो मे बारे मे बताना चाहता हू। फरीदाबाद जिले मे दो तीन खानो पर नाजायज काम चल रहा है। इन्होने यह भी कहा कि इससे सरकार को राजस्व मे लाखो रूपये का नुकसान हो रहा है। वर्ष 1986 मे इन खानो का राष्ट्रीयकरण किया गया

था। इन्होंने यह भी टिप्पणी की है कि अब इनका फिर राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। फरीदाबाद की सभी खाने कायदे और कानून के मुताबिक ठेके और लीज पर दी गयी है तथा किसी भी खान में नाजायज खुदाई नहीं हो रही है। अध्यक्ष महोदय, हम सरकार को राजस्व की हानि नहीं होनी देगे। वर्ष 1986 में खानों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया, केवल फरीदाबाद जिले में प्राइवेट पट्टेदारों की, सिलका सैड की सब लीजे समाप्त करके, हरियाणा मिनरल्स को दी गयी थी। इसके अलावा बारकी सारे राज्य में सब खनिजों के ठेके पट्टे बाकायदा प्राइवेट ठेकेदारों को, ओपन और इन में दिये जाते हैं या उससे रायल्टी ली जाती है लेकिन फरीदाबाद जिले में जिन पट्टेदारों की लीजे समाप्त हो गई थी, उन्होंने इन आदेशों को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी और न्यायालय ने उनकी लीज समाप्त करने का आदेश रद्द कर दिया। राज्य सरकार ने इसके अगैन्सट उच्चतम न्यायालय में अपील की परन्तु वह भी खारिज हो गयी। परिणाम स्वरूप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार प्राइवेट पट्टेदारों को फिर से कब्जे मिल गये। जिला फरीदाबाद में पाली प्लॉट न० एक, मागे प्लॉट न० 4,9,10 की लीज अवधि, जून अगस्त, 1991 में समाप्त हो गयी थी, परन्तु इन पट्टेदारों ने, भारत सरकार की पास, प्रोवीजनल ऐप्लीकेशन दायर करके स्टे ले लिया। इन्हीं आदेशों के अधीन इन खानों में अभी भी कार्य कर रहा है। इन केशों की सुनवाई 12-13 जनवरी 1993 को हो चुकी है और आदेश किसी भी समय पारित हो सकते हैं अध्यक्ष महोदय, जिला फरीदाबाद के

आप को बडा भारी मोहतबर समझते है, अपने आप को बडा ईमानदार समझते है। चौधरी बंसी लाल के कौन से मिल चलते है, कितनी जमीन नहरी थी, क्या इनकी हैसियत थी, ब्रीफलैस लायर इनको कहते है कि लोग, जिसकी फीस 10 रूपये थी आज ये चौधरी धर्मपाल के बारे मे कहते है कि उसको अंदर होना चाहिए। धर्मपाल एक खानदानी आदमी है भानदार और बढिया आदमी है, चुनाव लडने वाले आदमी से इन्होने सुनी सुनाई बात के बारे मे कहा है। इनसे कुछ लिखवा लिया और एक ही दिन मे चीफ मिनिस्टर भी लिख दे, एक ही दिन मे डी0जी0 पुलिस भी लिख दे, एस0पी0 लिख दे और एक ही दिन मे केस दर्ज हो जाए, इससे ज्यादा घटिया और कमीनी हरकत से और क्या कर सकते है? इन्होने यह कहा है कि बिजली बोर्ड की जो बिजली लगाई गई और कुछ कार्यों मे हुई अनियमिताओ के बारे मे जांच करने के लिए मामला जगमोहन रेडडी कमी न को सौपा गया था। रेडडी कमी न की यह फाईडिंग है, जो मै आपको पढकर सुना रहा हू। रेडडी कमी न ने एक इन्वैस्टिगेटिंग टीम नियुक्त की थी, उनकी अपनी फाईडिंगज मै लिखा है कि समस्त अधिकारियो एवम अन्य व्यक्तियो से ब्यान लिए थे, इन ब्यानो मे कुछ हलफिया ब्यान भी थे इनमे बताए गए आरोप निम्नप्रकार है, बहुत ध्यानपूर्वक सने

श्री रामधारी गोड (भूतपूर्व सिंचाई मंत्री हरियाणा): श्री रामधारी गोड ने बताया कि जब उसने श्री बंसी लाल के ध्यान मे यह बात लाई थी कि हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड श्री अटवाल, श्री

डाबरी वाली और श्री सुरेन्द्र सिंह कैरो द्वारा बनाई गई कपनियो को अनड्यू फेवर दे रहे है श्री बंसी लाल ने उन्हे नजर अदाज कर दिया। श्री साहनी को सर्विस मे ऐक्सटै इन दी गई। श्री गोड मंत्री होते हुए भी उनकी मार्फत फाईले नही भेजी गयी थी।

श्री एम0एल0 खन्ना, सेवानिवृत टैक्नीकल मैम्बर, हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड, उन्होने अपने हलफिया ब्यान के यह बताया कि मैसर्ज हरियाणा कडक्टर्स, जिनको पहले डिस्क्वालीफाई किया गया था, उनको श्री साहनी के कहने के मुताबिक श्री बंसी लाल द्वारा, निर्दे 1 दिए जाने पर, दोबारा परचेज आर्डर देने के लिए उचित समझा गया। श्री ए0आर0 सागर सेवानिवृत टैक्नीकल सर्विसेज हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड ने बताया कि हरियाणा कडक्टर्स के साथ पहले कारोबार खत्म करने और उसके बाद नये सिरे से दोबारा परचेज आर्डर देना, यह दोनो श्री बंसी लाल जी ने कहने पर की गई थी। श्री साहनी ने भी यह बताया कि इडियन एम्बूलियन केबल को जो कट्रैक्ट दिया गयाथा, वह भी श्री बंसी लाल जी के कहने पर दिया गया था। मैसर्ज हरियाणा इस्टीच्युट आफ इजनियरिंग कपनी, जो श्री अटवाल की कपनी थी, को भी फेवर करने के लिए श्री बंसी लाल द्वारा श्री साहनी को कहा गया था। यह रेडडी कम गिन कह रहा है। श्री जियालाल जैन, चीफ एकाउन्ट आफिसर, हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड ने बताया कि उन्हे परचेज कमेटी की सदस्यता से इसलिए हटाया गया था, क्योकि उन्होने प्रामिस किया था कि श्री अग्रवाल को 20 लाख रूपये का

लोन, खम्भे की फ़ैक्टरी स्थापित करने के लिए देंगे, और उसी कपनी से पोल खरीदना वैध होगा। मैसर्ज हरियाणा इस्टीच्युट आफ इजनियरिंग कपनी, जो श्री अटवाल की कपनी थी, को भी फ़ेवर करने के लिए श्री बंसी लाल द्वारा श्री साहनी को कहा गया था। यह रेडडी कम गीन कह रहा है। श्री जियालाल जैन, चीफ एकाउन्ट आफिसर, हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड ने बताया कि उन्हे परचेज कमेटी की सदस्यता से इसलिए हटाया गया था, क्योंकि उन्होने प्रामिस किया था कि श्री अग्रवाल को 20 लाख रूपये का लोन, खम्भे की फ़ैक्टरी स्थापित करने के लिए देंगे, और उसी कपनी से पोल खरीदना वैध होगा। मैसर्ज हरियाणा इस्टीच्युट आफ इजनियरिंग कपनी, जो श्री अटवाल की कपनी थी, को भी फ़ेवर करने के लिए श्री बंसी लाल द्वारा श्री साहनी को कहा गया था। यह रेडडी कम गीन कह रहा है। श्री जियालाल जैन, चीफ एकाउन्ट आफिसर, हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड ने बताया कि उन्हे परचेज कमेटी की सदस्यता से इसलिए हटाया गया था, क्योंकि उन्होने प्रामिस किया था कि श्री अग्रवाल को 20 लाख रूपये का लोन, खम्भे की फ़ैक्टरी स्थापित करने के लिए देंगे, और उसी कपनी से पोल खरीदना वैध होगा। यानि पहले 20 लाख रूपये देकर उसकी फ़ैक्ट्री लगवा दी और बाद मे, उसी फ़ैक्ट्री से पोल खरीदने की बात हो जाये, यह कहा की उचित बात है? फिर श्री एस0आर0 सुबह मणयम, भूतपूर्व सदस्य, फाईनांस एण्ड एकाउन्टस, हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड ने कहा कि जय हिन्दी इन्वैस्टीगे गन एण्ड इडस्ट्रीच से पोल खरीदने मे श्री बंसी लाल इच्छूक थे। ऐसे

ही हरियाणा कडक्टर्ज के साथी जो कार्यवाही की थी, और इंडियन एम्बुलैस के साथ जो पैकेज डील किया गया था। यह दोनो श्री बसी लाल की इच्छा मुताबिक किया गया था। श्री राम नारायण भूतपूर्व मंत्री और सचिव हरियाणा इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड ने यह कहा कि इंडियन केबल्ज जो पैकेज किया गया था, वह श्री बसी लाल ने निर्देशानुसार किया गया था, श्री बसी लाल इस कम्पनी की फेवर में इसलिये थे, क्योंकि वह उनकी मांग को पूरा करती थी। हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड के अनेक कार्यों के सम्बन्ध में भारत के राष्ट्रपति को दिये गये ज्ञापन में, दोशारोपण किया गया और भारत के आडिटर जनरल परीक्षक द्वारा एक विशेष लेखा परीक्षा कराई गई। इस विशेष परीक्षा का अनुरोध मुख्य सचिव द्वारा दिनांक 8 नवम्बर, 1972 किया गया। महालेखाकार पद के समकक्ष का एक विशेष कार्यभारी अधिकारी, इस लेखा परीक्षा के कार्य के लिये नियुक्त किया गया। उसने यह लेखा परीक्षक रिपोर्ट 31 अगस्त 1973 को प्रस्तुत की थी। इस लेखा परीक्षा में ग्रामीण विधुतिकरण स्कीम के तहत जो कडक्टर्ज, पोलज, मीटर्ज, ट्रांसफारमर्ज, तारे केबल्ज, इन्सुलेटर्ज खरीदे गये थे तथा अन्य दूसरे मुद्दों का परीक्षण किया गया। इस लेखा परीक्षा में, उपरोक्त चीजों की खरीद में गम्भीर वित्तीय एवम प्रारम्भिक अनियमितताएँ दर्शायी गई हैं। लेखा परीक्षा द्वारा निकाला गया सारा निष्कर्ष नीचे दर्शाया जाता है। कडक्टर्ज टैडर्ज में अनियमितताएँ आदेश जारी करने तथा माल प्राप्त करने के बीच अनियमितताओं के विषय में बताया गया है कि बोर्ड ने 1422.60 लाख रुपये यानी 14 करोड़

22 लाख 60 हजार रूपये का अतिरिक्त खर्च किया। पोल खरीद के आदे 1 एक प्राईवेट कम्पनी को दिए गये हालांकि इस कम्पनी ने इससे पहले टेडर के अन्दर भाग नहीं लिया था। इसके अलावा स्पैसिफिके गन्ज के अनुसार पोलज की जांच पडताल के बिना ही पोलज आपूर्ति के लिए गये थे। जिसके परिणामस्वरूप बोर्ड को सब स्टैंडर्ड माल प्राप्त हुआ तथा स्पैसिफिक कारणों के आधार पर क्षेत्रीय कार्यालयों में पोल का घटिया किस्म के बारे में जानकारी प्राप्त होने लगी। मीटर्ज के बारे में उन्होंने बताया है कि 34.35 लाख रूपये गलत तरीकें से दिये गये। इसी तरह से उन्होंने ट्रासफार्मर्ज की खरीद के बारे में हुई अनियमितताओं के बारे में रिपोर्ट दी है।

वायर्ज तथा केबल्ज ये भी कामोवे 1 रद्द कर दी गई तथा बिना आधारों के यह आदे 1 दिये गये था तथा जरूरत से अधिक मात्रा में खरीद की गई जो बिना आवश्यकता के अनुरूप थे। नीची दरों वाले पोलज के टैडर्ज को नजरअन्दाज किया गया तथा अधिक मात्रा में क्रय किया गया। यह सारी रिकार्ड की बात है। ऐसी बात नहीं है कि फर्जी बात हो। इस तरह आवश्यकता से अधिक सामान का क्रय किया गया। इसके अलावा दोशी फर्मा के खिलाफ सामान की आपूर्ति न करने के बारे में कोई कार्यवाही नहीं की गई। अन्य मुद्दे एक ऐसी फर्म को भी आदे 1 दे दिया गया। जिसके पास कोई कारखाना ही नहीं था। इस फर्म का सामान भी खराब पाया गया। नाईलोन की रस्सिया अनुपयुक्त नाईलोन की

रस्सियो का क्रय किया गया या बिना टैंडर इन्वॉइट किये क्रय किया गया। स्विच आदि यह सामान भी बिना जरूरतों तथा निरीक्षण परीक्षण तथा बिना स्पीकृति के खरीदा गया। उपरोक्त क्रय को भारत सरकार उपरोक्त जगमाहेन रेडडी जांच आयोग की विशय वस्तु बनाया गया, आयोग की अवधि के दौरान यह रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है लेकिन यह रिपोर्ट इगलि 1 में दी गई है। अगर मैं इसको पढ़ूंगा तो काफी टाइम लगेंगा। आडिटर जनरल ने यह होल्ड किया है कि बडा भारी घपला इस बसी लाल ने बिजली बोर्ड में किया है। दूसरे लोगों के बारे में ये कैसे कह सकते हैं? अध्यक्ष महोदय, अब आगे मैं और क्या कहूँ, बाकी बातों को तो मैं तब कहूँगा जब कभी यह हाउस में आयेगे। मैं फिर इनका इतिहास बताउंगा कि इनका अपना क्या इतिहास है जो लोगों के बारे में कहते फिरते हैं इनके बारे में एक बुक है जिसका पहले भी मैंने हवाला दिया है। इस बुक में यह कहा गया है कि इसको तो थानेदार होना चाहिए या फिर किसी स्कूल का मास्टर होना चाहिए। क्या ये रक्षा मंत्री के लायक थे?

अध्यक्ष महोदय, इन्होंने एस0वाई0एल की बात कही और यमुना के पानी के बारे में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी लाए। इस बारे में मैंने बार बार जवाब भी दिया है। स्पीकर साहब, ये लोग इस तरह की बात करके पजाब को होस्टाइल करना चाहते हैं ताकि यह नहर न बने और न ही हरियाणा में पानी आए। पजाब के मुख्यमंत्री ने कहा कि नहर बननी चाहिए और हरियाणा को

पानी मिलना चाहिए इस बात के लिए हम पजाब के मुख्यमंत्री के आभारी हैं। हम चाहते हैं कि नहर बननी चाहिए। हम तो यही आशा कर रहे हैं कि जब नहर बन जाएगी तो हरियाणा को पानी भी मिल जाएगा। चौधरी बसी लाल हरियाणा के काफी समय मुख्यमंत्री रहे, सैन्टर में भी डिफेंस मिनिस्टर रहे, लेकिन नहर का आधा काम भी इसने समय में नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, आप अच्छी तरह जानते हैं कि कितने अर्से तक ये हरियाणा के होलीसोली रहे और सामने बैठने वाला मेरे भाई भी सरकार में रहे। लेकिन इनके समय में भी कुछ काम नहीं हुआ। प्रकाश सिंह बादल, चौधरी देवी लाल के पगड़ी बदल भाई थे, लेकिन जितना नुकसान प्रकाश सिंह बादल ने एस0वाई0एल को पहुंचाया, किसी और ने नहीं पहुंचाया। चौधरी देवी लाल कहते थे कि प्रकाश सिंह बादल को पजाब का मुख्यमंत्री बनाओ। नहर के बनने में सबसे बड़ी रुकावट प्रकाश सिंह बादल ने डाली थी। मैं सदन को विश्वास दिलाता हूँ कि यह नहर अवश्य बनेगी, हर हालत में बनेगी। स्पीकर साहब, इस नहर के बनाने से कोई इन्कार नहीं कर सकता। अकाली भी इन्कार नहीं कर सकते, क्योंकि प्रकाश सिंह बादल ने और बरनाल साहब ने सैन्टर से पैसा लिया था, इसलिए इस नहर के बनने से कोई इन्कार नहीं कर सकता। पानी के बारे में फैसला ट्रिब्यूनल में किया हुआ है। जितना पानी ट्रिब्यूनल ने हमें दिया है, उससे एक बुंद भी कम पानी हमें नहीं मिलेगा। आज पजाब के हालात धीरे धीरे सुधर रहे हैं। इसके लिए मैं पजाब के मुख्यमंत्री को बधाई देना चाहता हूँ। सारे देश की नज़रे पजाब

की और लगी हुई है। अब पजाब के हालात कंट्रोल में आ रहे हैं। हमें इस समय संयम और तरीके से काम लेना चाहिए ताकि पजाब के हालात खराब न हों। उग्रवादियों ने किसी भी पानी की बात नहीं की थी और न ही चण्डीगढ़ की। उनके दिमाग में तो केवल खलिस्तान की बात थी। अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक अबोहर फाजिल्का का ताल्लुक है, हमारा अपने स्टैंड से हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। पानी हमें पूरा मिलेगा। जहाँ तक यमुना में हमारा पानी का सवाल है, 1954 के ऐग्रीमेंट के आधार पर जितना हमारा भोयर है यानी दो तिहाई हिस्सा ताजेवाले हैंड से मिलना चाहिए। इससे कम पानी आने का सवाल ही नहीं है। इससे एक बूंद भी कम पानी हो जाए तो आप हमें उलाहना दे सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा कि आपने कैसे कह दिया कि यह एक ऐतिहासिक फैसला है। स्पीकर साहब, यह बिल्कुल ऐतिहासिक फैसला है। हथनी कुज बैराज, जो क्रैक हो चुका है उसका बनना भी बहुत जरूरी है। वह गिर गया और हथनी कुज बैराज नहीं बना। डबल्यू जे०सी० से हरियाणा का जो हिस्सा सिंचित होता है, वह डूब जागा, इसलिए इसका बनना बहुत जरूरी है। जब यह बैराज बन जाएगा तो हम कुछ न कुछ पानी रोककर उसे कई दिन चला सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, ये लोगो को गुमराह कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा इन लोगो से कहना चाहता हूँ कि इन को कोई ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जिससे प्रदेश के हित को कोई आघात लगे। अध्यक्ष महोदय, लोग कहते हैं कि किसान को ठीक भाव नहीं मिलता, लोगो को बिजली नहीं मिलती। मैं

कहना चाहता हू कि चौधरी देवी लाल के समय मे एक भी थर्मल प्लाट चालू नही हुआ। सारे प्लाटस कांग्रेस के वक्त मे चालू हुए थे। जब वे बनकर चालू हुए, तब लोगो को बिजली मिली। ये लोग किसान का नाम लेकर जनता को गुमरहा करना चाहते है। अध्यक्ष महोदय, मे किसानो को कहना चाहता हू कि वे इन सियासीलोगो के हाथो मे न खेले। आप जानते है कि ये लोग किसानो को फिर यह भी कह देगे कि आपके साथ बडी ज्यादाती हो रही है, यह कोई बाडी बात नही है।

17.00 बजे

अध्यक्ष महोदय भारत सरकार ने एक प्रस्ताव पारित करके मीटिंग बुलाई थी, जिसमे हमारे प्रदे 1 के बिजली एवम सिचाई मंत्री श्री भाम ीर सिंह सुरजेवाला भी उपस्थित थे। उस मीटिंग मे सर्व सम्मति से यह फैसला हुआ था कि सारे मुल्क मे एक सार 50 पैसे पर यूनिट के हिसाब से बिजली के रेटस होने चाहिए। 11 प्रान्तो मे एक जैसे रेटस है लेकिन पजाब प्रान्त मे दूसरो की निस्बत कुछ कम रेटस जरूर है इसमे कोई दो राय नही है। केवल उस हालत मे मु ीकिल हो जाती है जब कभी वहा पर कोई ऐजीटे ीन हो जाए, लेकिन उन्होने यह वायदा किया है कि वे भी रेटस बढ़ाएगे और बाकी राज्यो मे भी बढ़ाये जा रहे है।

अध्यक्ष महोदय, आगे चलकर बिजली घरों मे 2 रूपए पर यूनिट के हिसाब से पडेगी लेकिन फिर भी हम किसानो को

सबसीडाइज्ड रेट पर बिजली देगे जबकि हमे 1 रूपए 30 पैसे पर यूनिट के हिसाब से पडती है और हम किसानो को 50 पैसे पर यूनिट के हिसाब से बिजली दे रहे है। इससे 80 पैसे प्रति यूनिट बिजली बोर्ड को घाटा हो रहा है। फिर भी यह लोग कहते है कि बिजली बोर्ड घाटे मे चल रहा है। हम इसको मानते है कि बिजली बोर्ड घाटे मे चल रहा है क्योकि किसानो को हम बिजली सबसीडाइज्ड रेटस पर देते है। इस वक्त सारे मुल्क मे 26 परसैन्ट के लगभग किसानो को बिजली दी जा रही है और हमारे हरियाणा 60 परसैन्ट दी जा रही है। 30 गुणा बिजली हम किसानो को ज्यादा दे रहे है और कारखानो को भी हम ज्यादा बिजली प्रोफिट लेकर के देगे। अध्यक्ष महोदय, आगे आगे बिजली की बहुत जरूरत है और अगर और बिजली के प्रोजैक्ट न लगे तो हम किसानो की बिजली कहा से देगे? कैसे हरियाणा मे उधोग लगेगे, कैसे इस मुल्क का राज चलेगा, काम चलेगा? इस बारे मे हमारी सरकार ने बाहर की कम्पनियो से बातचीत भी की है। एक यमुनानगर मे, एक हिसार और एक फरीदाबाद मे बिजली उत्पादन करने के प्लांट लगाने बारे हमारी बातचीत चल रही है। बहुत जल्दी ही इनसे एग्रीमेंट करके, हमे कोर्ि । । करेगे कि फरीदाबाद मे जो हमारा कांग्रेस का ए0आई0सी0 का सै ।न जो 27.28 तारीख को हाने जा रहा है, उस समय हम प्रधानमंत्री जी ने यमुनानगर के प्लाट का, रिमोल्ट कंट्रोल द्वारा आधार ि ।ला रखवाने की भरसक कोर्ि । । करेगे ताकि उचित समय पर काम चालू हो सके।

इसी तरह से अध्यक्ष महोदय, उधोगो के बारे मे भी इन्होने यहा पर जिकर किया कि कौन से उधोग हरियाणा के अन्दर लगे है। कितनी गैर जिम्मेदारना बात इन्होने कह दी। अध्यक्ष महोदय, इनको क्या बताउ, हमने आज हरियाणा के अन्दर अलग अलग तौर पर कितने प्रोजैक्ट लगाए है, अगर उनकी चर्चा मै कहने लगू तो सदन का काफी समय लग जाएगा। इसके साथ साथ चौधरी बंसी लाल जी ने यह भी कह दिया कि पुलिस की यूनियनज होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, ये अपना जमाना भूल गए है कि इन्होने अपने वक्त मे क्या किया था। इन्होने कह दिया था कि एस0पी0 की रिपोर्ट डी0सी0 लिखेगा और डी0आई0जी0 की रिपोर्ट कमि नर लिखेगा। लिखनी भुरु भी हो गई थी। हालात खराब हो गए थे, लेकिन आपको पता है, हमने आकर इन सभी बातो को ठीक किया था। फिर ये कहते है कि पुलिस की यूनियने बननी चाहिए। ये लोग पुलिस के बडे हमर्दद बनते है, क्योकि उनके डण्डे से इनको डर लगता है। इनको कहने से पहले थोडी बहुत गैरत तो होनी ही चाहिए और अपना जमाना इनको याद करना चाहिए था कि इन्होने अपने वक्त मे क्या हाताल कर रखे थे। अध्यक्ष महोदय, पुलिस की यूनियन तो अलग बात रही, आप प्रिसिपल रहे है, आप इस बात को अच्छी प्रकार से जानते होंगे कि हिसार के अन्दर टीचर्ज ने, मास्टर्ज ने यूनियन बनानी चाही थी। 1987 मे तीन लाख कर्मचारी दिल्ली गए और इन्होने हरियाणा की पुलिस से उनकी पिटाई करवायी, जिसका नतीजा यह हुआ कि आज जनता ने इनका तो फातिया पढ दिया। ये चीफ मिनिस्टर

होते हुए असैम्बली का मुह तक न देख सके, फिर ये मुकाबला करते हैं भजन लाल का। अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तारीफ अपने मुह से करता अच्छा नहीं लगता। 1952 से लेकर आज तक, मैं कभी कोई इलैक्शन नहीं हारा और मेरे घर वाली, जो एक घर से रोटी बनाने वाली साधारण औरत है, मेहमानों का आदर करना जानती है वह भी उस वक्त जब चौधरी देवी लाल की आंधी चल रही थी, इलैक्शन में पूरे 10 हजार वोटों से जीत कर यहाँ मैम्बर बनकर आई थी। फरीदाबाद के अन्दर, जहाँ पर जातपात का सिलसला चालू रहता है, वहाँ भजन लाल का कोई जातपात का नहीं था, फिर भी पूरे डेढ़ लाख वोटों से जीत कर आया। इतना होते हुए भी ये लोग फिर क्या भजन लाल का मुकाबला करेंगे? उल्टी सीधी बातें जितनी मर्जी ये लोग कर लें, लेनिक पब्लिक में इनको कोई मुह लगाने वाला नहीं है उनको इनकी हरकतों का भली भाँती पता है। मेरा चैलेज है जहाँ से चुनाव लड़ना चाहे, लड़ लें।

अध्यक्ष महोदय, चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी ने पानी के बारे में अच्छे सुझाव दिए और हम उनका स्वागत करते हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारे यह वि. व. बैंक की टीम आई थी, और हमने उनको अपने अच्छे काम दिखाए थे। मुझे खुशी है कि वि. व. बैंक के चेयरमैन ने हमारी बहुत तारीफ की कि हरियाणा में बहुत अच्छे काम हुए हैं। उन्होंने कहा कि अगर इसी तरह से दूसरे प्रान्तों में भी काम हो तो कहीं भी पानी की दिक्कत नहीं रह सकती। हमने

पीने का पानी गांव गाव मे पहुचाया है । जहा कोई छोटी मोटी दिक्कत है, जैसे टूटी बगैरहा नही है, उसको भी हम ठीक करवाएगे। चौधरी बंसी लाल ने कहा कि मै तो इन मे गया था। हा, मै गया था वहा लाखो आदमी इकटठे हुए थे और लोगो ने बडी भान्ति से हमारी बाते सुनी। हम उनकी जो जायज बाते है उनको मानेगे। चौधरी बसी लाल जी की तरह से नही कि एक मिनट मे लात मार देगे। सम्पत सिंह जी ने कहा हांसी उप मंडल और भटटू हल्के मे, पानी के कनैव इन काट दिए है। अध्यक्ष महोदय, बे बुसियाद बात तो मै नही कहूंग, ऐसी बाते करने की उनकी आदत है। हम हर जगह जहा तक भी हो सकता है पूरा पानी देने की कोशिश कर रहे है। इतनी बात जरूर है कि जो पुरानी स्कीमे बना हुई है उनकी कैपेसिटी कम हो गई है। उस वजह से कुछ दिक्कत हो सकती है और हम इस दिक्कत को भी दूर करेगे। उन्होने कहा कि पिछले डेढ वर्श मे हरियाणा मे कोई उदयोग नही लगा। अध्यक्ष महोदय, मै बताना चाहता हू कि हरियाणा वित्त निगम ने, 950 केसिज मे 245 करोड रूपए के कर्जे पिछले डेढ साल के दौरान दिए, जबकि उससे पिछले तीन वर्श मे, 170 करोड रूपए के कर्जे मन्जूर हुए थे। इसी तरह से पिछले डेढ साल मे हरियाणा राज्य उदयोग विकास निगम ने, 27 पार्टियो के साथ एम0ओ0यू0 साईन किए है जबकि पिछले तीन वर्शो मे 17 एम0ओ0यू0 साईन हुए थे। इसी तरह से हरियाणा कृशि उदयोग निगम ने, 11 एम0ओ0यू0 साइन किए, जबकि उससे पहले पिछले तीन वर्श मे एक भी साइन नही किया गया था। पिछले डेढ वर्शो

मे केवल 8 उदयोग लगे थे। इस सब की सूची मेरे पास है, और मैं दे सकता हूँ। इसी तरह से पिछले डेढ़ वर्षों में 12356 छोटे उदयोग लगे थे, और उससे पहले 18896 स्थापित हुए थे। जहाँ तक एन0आर0आईज0 का सम्बन्ध है पिछले डेढ़ वर्ष में उदयोग विभाग को 86 प्रार्थना पत्र प्लॉट्स की अलाटमेंट के लिए प्राप्त हुए थे, और उनमें 27 पार्टियों को प्लॉट अलाट किए जा चुके हैं। नवम्बर 1992 में मेरे विदेशों के दौरे के फलस्वरूप, 55 एन0आर0आईज0 से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें से तीन पार्टियों के साथ एम0ओ0यू0 साइन हो चुके हैं और पार्टियों ने अपने अपने प्रोजेक्ट लगाने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं बाकी की सभी पार्टियों के साथ बातचीत चल रही है।

अध्यक्ष महोदय, एक परिवार में एक रोजगार देने के बारे में हमने बहुत सी योजनाएँ बनाई हैं। इस बारे में हम कदम उठाने जा रहे हैं। इसी तरह से बेरोजगारी को दूर करने के लिए हम परिवहन में बेरोजगार लड़कों को रूट परमिट्स देंगे। इसी तरह से एजूकेटन के मामले में हमने बी0ए0 तक लड़कियों की शिक्षा फ्री की है। हमने उनको ट्रेनिंग देने की स्कीम भी बनाई है जिसके तहत उनको सात सौ रूपए महीना वजीफा देंगे। चौधरी बसी लाल जी ने रोडवेज के बारे में जिकर किया। उन्होंने कहा कि भिवानी में बसे नहीं दी गई है। हमने वहाँ पर 22 नई बसें भेजी हैं। अध्यक्ष महोदय, देवी लाल जी के राज के किस तरह से परिवहन का सत्यानाश किया गया था। हम परिवहन को बड़ी

मुक्ति कल से रास्ते पर लाए हैं और हमारी प्रोफिट की तरफ से आगे बढ़ी है। इसी तरह से हम प्रदेश में तकनीकी शिक्षा को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देंगे ताकि हमारे प्रदेश का नौजवान, तकनीकी शिक्षा प्राप्त करके अपने पैरो पर खड़ा हो सके। उन्होंने शिक्षा के बारे में एक बात कह दी कि यदि शिक्षा के बारे में कोई मीटिंग होती है तो उस मीटिंग में आदमी आते ही नहीं हैं। हिसार एजुकेशन के बारे में कोई फव्वान था, उसके लिए डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ने चिट्ठियां लिख करके आदमी बुलाए थे। अध्यक्ष महोदय, हिसार में युनिवर्सिटी का कैम्पस बनने जा रहा है रीजनल सेंटर बनने जा रहा है। एजुकेशन का कोई फव्वान हो तो उन्होंने लिखकर दिया होगा, मैं इस बात से इन्कार नहीं करता। उन्होंने एजुकेशन के बारे में एजुकेशन की बात लिख दी होगी, वहां पर बहुत बड़ी चीज बनने जा रही है तो यह कोई बुरी बात नहीं है।

अध्यक्ष महोदय उन्होंने आदमपुर मंडी में लगातार तीन महीने से बड़ा जोर लगाया और वहां पर उन्होंने एक मीटिंग की। उन्होंने कहा कि उस मीटिंग में एक लाख आदमी इकट्ठे हुए। अध्यक्ष महोदय, उस मीटिंग में आदमपुर हल्के के गिनती के 500 आदमी भी नहीं आएंगे। ये वहां पर सारी स्टेट से आदमी लेकर गए और मैं ईमानदारी से कहता हूँ कि उस मीटिंग में गिनती के टोटल 8372 आदमी आए थे। हमने एक एक आदमी को गिना है। उस जलसे में, ये उन लोगों से, भजन लाल के खिलाफ हाथ

खडे करवाते है और कहते है भजन लाल ने यह कर दिया, वह कर दिया। जिस भजन लाल ने 1972 मे इनके लीडर चौधरी देवी लाल को चुनाव मे रेत चटा रखी हो, धुल चटा रखी हो, उस भजन लाल के बारे मे ऐसी बाते कहते है इसके अलावा मैने उनको फरीदाबाद मे चैलेज किया लेकिन वे मैदान छोड कर भाग गए और आज फिर मै उनको चेलैज करता हू कि वे जहा से उनकी मर्जी हो, मेरे मुकाबले मे चुनाव लडना चाहे, लड ले। ये लोग भजन लाल की बात करते है।

अध्यक्ष महोंदय, एक बात यह कह दी कि पचायत समितियों के चुनाव हो गए लेकिन कुछ पचायत समितियों के चुनाव नही करवाए। सभी पचायत समितियों के चुनाव होने जा रहे है। कुछ पचायत समितिया ऐसी है जिनके बारे मे कोर्ट से स्टे है और कुछ पचायत समितिया अधूरी है पूरी नही हुई है, इस वजह से चुनाव बाकी होंगे। तीन महीने के अन्दर अन्दर सभी पचायत समितियों के चुनाव करवा दिए जाएंगे। सम्पत सिंह जी ने हमारे पंजु पालन मंत्री श्री निर्मल सिंह के बारे मे एक बात कह दी कि वे आस्ट्रेलिया चले गए, उसका उन्होंने उसी दिन जवाब दे दिया था। सीमन यहा पर रखा हुआ है। हो सकता है किसी अधिकारी की कोताही से उसमे कोई गडबड हो गई होगी, उसकी हम जांच कर रहे है ओर जांच के बाद जिस किसी भी अधिकारी का उसमे कसूर होगा उसके खिलाफ हम कार्यवाही करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से हमारे दोस्त अजमत खां जी ने कुछ मुद्दे उठाए और बुढापा पै ान के बारे मे बात कही। हम उनके सुझाव पर गौर करेगे। इसके अलावा चौधरी फूल चन्द मुलाना ने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पे ा करते हुए बहुत सी बाते कही और बहुत अच्छे अच्छे सुझाव दिए। उन सुझावो पर हम गौर करेगे और उनको पूरा करने की को ि ा ा करेगे। इसके अलावा अनुसूचित जाति और पिछडी वर्ग के बैकलाग के बारे मे भी बात की। हम बैकलोग को बहुत जल्दी ही पूरा करने की को ि ा ा करेगे। अध्यक्ष महोदय, सम्पत सिंह जी ने एक बात कलैण्डरो के बारे मे की कि कलैण्डर दो बार छपे और एक बात अखबार वालो के बारे मे कह दी। मेरी किसी भी अखबार वाले से कोई लडाई नही है। मै सभी का आदर और सम्मान करता हू। मै इनकी तरह से नही हू। इन्होने अखबार वालो को सिरसा मे किस तरह से पिटवाया था। मेहम मे इन्होने अखबार वालो को लाठियो से पिटवाया और उनके कैमरे तक तोड दिए थे। ये लोग अखबार वालो के हमदर्द बनते है। इनको भार्म आनी चाहिए, गैरत होनी चाहिए। अगर इनको जरा सी भी भार्म हो, तो ये ऐसी बात कह नही सकते। ये ला एड आर्डर की बात करते है। हमारा सबसे पहले नारा था कि दे ा के अन्दर कानून व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। अगर कानून व्यवस्था ठीक नही होगी तो विकास का क्या काम होगा? हमने दे ा के अन्दर सबसे पहला नारा दिया था कि हम अमन के साथ विकास करेगे और हमने अमन के साथ विकास करने की को ि ा ा की है। ये लोग बोलते

है छाज तो बोले सी बोले छलनी भी बोले, जिसमे सैकडो छेद। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार बने अभी 20 महीने का अर्सा हुआ है। कोई ज्यादा अर्सा नहीं हुआ। आज हर आदमी यह महसूस करता है कि प्रदेश के अन्दर अमन और भाति है। कोई आदमी जगा हुआ हो, उसको कोई जगा नहीं सकता। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि इनके समय में प्रदेश के अन्दर कैसे हालात थे? ये सोये हुए हैं लेनिक जानबुझ कर नहीं जागते। आज ये कानून व्यवस्था की बात करते हैं। इनके समय में दिन छिपने के बाद कोई आदमी अपने घर से बाहर नहीं निकल सकता था। कोई बहु बेटी अपने घर से बाहर नहीं निकल सकती थी। ऐसा वातावरण इन्होंने बनाया हुआ था। इनकी ग्रीन ब्रिगेड के बदमाशों ने किसी की जमीन, किसी का मकान और किसी की बहु, बेटी की इज्जत नहीं छोड़ी। आज क्या वातावरण इन्होंने बनाया हुआ था। मैं फरीदाबाद गया था और वहां पर मैंने एक मीटिंग ली थी। उस मीटिंग में लोगो ने मुझे कहा कि चौधरी साहब आपने 19-20 महीने में ऐसा अमन कायम कर दिया है कि हम अमन की नींद सोते हैं। अध्यक्ष महोदय, हम जहां पर भी जाते हैं वहां पर लोग एक ही बात कहते हैं कि चौधरी साहब चाहे काम कुछ कम करो, हमें कोई परवाह नहीं लेकिन उनका राज नहीं आना चाहिए। अगर इनका राज आ गया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। हमने बड़ी मुश्किल से पीडा छुडवाया है। मैंने उनसे कहा कि भाई यह बात मेरे बस में थोड़े ही है। यह तो तुम्हारे बस की बात है। यदि तुम उनको वोट नहीं डालोगे तो अपने आप ही उनका राज नहीं आएगा। लोग

कहते हैं कि सात जन्म में भी हम उनको वोट नहीं डालेंगे। इनको पता लगेगा जब ये इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग के दौरान लोगों के सामने जाएंगे कि ये कहाँ पर खड़े हैं अध्यक्ष महोदय इनकी सारी बातें बे बुनियाद हैं।

जहाँ तक ला एण्ड आर्डर का ताल्लुक है इसके लिए मैं सारी ऐडमिनिस्ट्रेशन को बधाई देता हूँ। जिला स्तर पर पुलिस का और सिविल ऐडमिनिस्ट्रेशन का बड़ा अच्छा तालमेल है। आई0जी0 और डी0आई0जी0 का बड़ा तालमेल है। इसी प्रकार से चीफ सैक्रेटरी और दूसरे सैक्रेटरियों का आपस में बहुत अच्छा तालमेल है। मेरे कहने का मतलब यह है हमारे सारे अधिकारियों ने मिलकर सारी स्थिति पर बड़े भानदार ढंग से कंट्रोल किया है। उग्रवादी उत्तर प्रदेश में, आसाम में, आन्ध्रप्रदेश में, गुजरात में, जाकर तो वारदात कर सकते हैं, लेकिन उनकी यह हिम्मत नहीं कि हरियाणा में वारदात करें। इक्का दुक्का तो घटनाएँ हो सकती हैं। सीता का राक के वक्त में रावण भी उठा ले गया था। ऐसे राक्षस वृत्ति के लोग तो उस समय भी थे। कहने का मतलब यह है कि हमारी फोर्स बहुत ही भानदार तरीके से काम कर रही है। ये बड़ी मेहनत और लगन से काम कर रहे हैं। कभी ये प्रिंसिपल सैक्रेटरी का नाम लेकर कहते हैं कि इनका मकान वहाँ है यहाँ है। यह अपने वक्त की बात याद करें तो इनको पता चले। हमारे अधिकारी बहुत भानदार तरीके से काम कर रहे हैं। इन्होंने अच्छा काम करके प्रदेश का नाम ऊँचा किया है। पालिसी नीतियों

कितनी ही अच्छी क्यो न बनो ले, जब तक उनको अधिकारी इम्पलीमेंट नहीं करेगे तो उन अच्छी पालिसियो को बनाने का कोई फायदा नहीं है। हमारे अधिकारियो ने इन पालिसियो को पूरी मेहनत और लगन के साथ इम्पलीमेंट करके हरियाणा प्रदे 1 का नाम सारे दे 1 मे ऊंचा किया है। इसलिए मुझे फरख है कि हमारे अधिकारी भविश्य मे भी इस मेहनत और लगन के साथ काम करते हुए हरियाणा का नाम ऊंचा करेगे।

अध्यक्ष महोदय, इन्होने कही पर बात बात मै भिवानी और नारनौद की वारदात का भी जिकर किया। अध्यक्ष महोदय, मै बताना चाहता कि यदि कही पर ऐसी कोई बात हुई है तो हमने सब जगह केस रजिस्टर किए है और हमारी फोर्स ने तुरत कार्यवाही की है। यह पर उन भाईयो की तरफ से कैथल जिले मे टीक गांव की जमीन के झगडे के बारे मे बात कही कि वहा पर कब्जा करना चाहते है। ऐसी बात हमारे सपने मे भी नहीं है और न हमने कभी ऐसा सोचा है। मुझे तो बिल्कुल पता नहीं है। मैने वहा के लोकल मंत्री जी से पूछा कि यह क्या झमेला है। इन्होने मुझे बताया कि किसी के डेरे की जमीन का आपस मे लोगो का झगडा था। उस झगडे के कारण पुलिस मे केस दर्ज हो गया है। इस केस मे इन लोगो की तरफ से कहा गया है कि यहा पर भजन लाल का भतीजा है। मै पूछना चाहता हू कि क्या भतीजा गुनाह है? मै उन भाईयो ने पूछना चाहता हू अगर उनमे जरा भी गैरत है या भार्म है तो यह अपनी सही बात कहे। अगर जरा सार

भी मेरे भतीजे का कसूर है मेरा हो और मेरा कोई हाथ हो, तो मैं इस्तीफा देकर चला जाऊंगा। वहा के लोकल मंत्री ने बताया कि कोई डेरे की जमीन है। उस पर गंदगी के ढेर लगा हुआ था। गाव वालो ने गंदगी उठानी चाही तो डेरे वाले ने पुलिस मे रिपोर्ट दर्ज करा दी कि मेरी जमीन पर कब्जा करना चाहते है। और कोई बात नहीं है। स्पीकर साहब, आपका भी वही जिला है। आप भी जानते है, ऐसी कोई चीज हमारे सपने मे भी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, अगर किसी की भैस दूध न दे तो कहेंगे कि इसमे भी भजन लाल का हाथ है। किसी मिया बिवी का झगडा हो जाये और बीबी रोटी ने दे तो भजन लाल का हाथ है। ऐसे आदमियो को बीबी भी क्या रोटी दे जो इनसे तग रहती है?

अध्यक्ष महोदय एक बात और उनकी तरफ से आयी कि परमो न नही करते। अध्यक्ष महोदय, जितनी भी सीटे खाली होती है, उतनी परमो न हम कर देते है। किसी की परमो न रोकने का सवाल ही पैदा नही होतां। अध्यक्ष महोदय, जसविन्दर सिंह की बात का जवाब तो सुबह दे ही दिया था।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं विकास की बात क्या करू, हमारा सूबा तो हर दि 11 मे बडी तेजी से आगे बढ रहा है। अब मैं और क्या इस बाबत पर चर्चा करू। यदि वे सामने बैठे होते तो बात कहने का मजा आता। तो अध्यक्ष महोदय, जब कभी मौका मिलेगा, तक बात करूंगां।

अध्यक्ष महोदय, बहुत सुन्दर अभिभाषण महामहिम राज्यपाल महोदय ने दिया है फूलचन्द मुलाना जी ने प्रस्ताव रखा है और जिसको राजेन्द्र सिंह बिसला जी ने सैकेण्ड किया है मैं आपसे प्रार्थना करता हू कि इस प्रस्ताव को यूनानिमसली पास करने की कृपा करे। राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया है वह बहुत ही सुन्दर है हम उसका स्वागत करते हैं।

राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान

Mr. Speaker: Hon'ble Members now, I will put the amendment givne notice of by Sarvshri Bansi Lal, Amar Singh, Ram Bhajan, Chattar Singh, Pir Chand, Karan Singh Dalal, Attar Singh to the vote of the House.

Question is-

That in the motion, the following be added at the end, namely:- "but regret that no mention has been made of-

1. Concrete steps which the Government proposes to take arrest Price rise and bring back the price line to January 1990-level.

2. Concrete steps which the Government proposes to streamline the detericrating Pubic Distribution System.

3. To facilitate the formation of Co Operative Societies of the unemployed edcuated youth in the State which would be preferred for the allotment of Bus-Route permit under the present policy of the Government private agencises

like gas, petrol, pumps, tractors, four wheelers, cement, kersene oil, Automeobiles etc. and contacts for developmental works like digging/desilting canals, construction of Govt Buildings and roads.

4. Fixing a time frame for clearing the back log in filling up the posts reserved for S.Cs. and B.Cs by time bound recruitment/promotion.

5. Declaration of Government intention to nationalise all the mines in the State to prevnenlocking of precicus resources of the State by the vested interests.

6. Intentions of Government to allow police personnel to form Assocition.

7. Declaration of the intention of the Govrnment to ban colonization by private parties and to have it done only though HUDA, Co Operative Societies of unemployed youth Housing Board to put step to exploiation of the public by the privated colonisers.

8. Scheme for giving employment to one member of each family in the State even though he or she may be unfortunate to have remained UN educated.

9. Concrete steps which the Government proposes to take to complete SYL Canal to facilitate the farmers to irrigation theri fields in the State.

10. Concrete steps which the Government proposes to take to give adequate price to the farmers of their crops and provide wheat and rice to the poor consumers weaker section

of the Society in the State on subsidised rates with in their approval.

11. Lowering of age for grant of old age pension to 55 year and provision of inclusion of old persons ignored or not included in revised system of old age pension.”

The Motion was lost.

Mr. Spekaer: Hon. Members, now I put the motion to the vote of the House.

Question is

That an Address be presented to the Governor in the following erms:-

“That the Members of the Haryana Vidhan Sabha assembled in this Session are deeply grateful to the Governor for the Address which he has been pleased to deliver to the House on the 23rd February, 1993.”

The Motion was carried

वर्ष 1992-93 के अनुपूरक अनुमानो पर चर्चा तथा
मतदान

1. राज्य के राज्सवो पर प्रभावित व्यय के अनुमानो पर
चर्चा

2. अनुपूरक अनुदानो की मागो पर चर्चा तथा मतदान।

Mr. Speaker: Hon'ble Members now the discussion and voting on the Supplementary Estimates for the Year

1992-93 will take place As per the pase practice and in order to say the time of the House, the demands on the order paper will be deemed to have been read and moved. The Hon'ble Members cna sisucss and demand but they must mention the demand No on which they wish to raise discussion.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 2908000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defary charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March 1993 in respect of Demand No. 1 Vidhan Sabha.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 5784800 for revenue expenditure be granted to the Governor to defary charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March 1993 in respect of Demand No. 2 General Administration.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 232941000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defary charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March 1993 in respect of Demand No. 3 Home.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 10007000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defary charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March 1993 in respect of Demand No. 4 Revenue.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 27645000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defary charges that will come in the course of payment for

the year ending 31st March 1993 in respect of Demand No. 5 Excise and Taxation.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 124444000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March 1993 in respect of Demand No. 6 Finance.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 37939000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March 1993 in respect of Demand No. 8 Buildings and Roads.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 256994200 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March 1993 in respect of Demand No. 9 Education

That a supplementary sum not exceeding Rs.14264000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March 1993 in respect of Demand No. 14 Food Supplies.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 7900000 for revenue expenditure and Rs. 185447000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March 1993 in respect of Demand No. 15 Irrigation.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 3783000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defary charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March 1993 in respect of Demand No. 16 Industries.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 356292000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defary charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March 1993 in respect of Demand No. 17 Agriculture.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 20431000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defary charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March 1993 in respect of Demand No. 18 Animal Husbandry.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 10417000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defary charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March 1993 in respect of Demand No. 22 Cooperation.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 205052900 for revenue expenditure be granted to the Governor to defary charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March 1993 in respect of Demand No. 23 Trasport.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 2301000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defary charges that will come in the course of payment for

the year ending 31st March 1993 in respect of Demand No. 24 Torusim.

(No member rose to speak)

Mr. Speaker: Question is-

That a supplementary sum not exceeding Rs. 2908000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March 1993 in respect of Demand No. 1 Vidhan Sabha.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 5784800 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March 1993 in respect of Demand No. 2 General Administration.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 232941000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March 1993 in respect of Demand No. 3 Home.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 10007000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March 1993 in respect of Demand No. 4 Revenue.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 27645000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for

the year ending 31st March 1993 in respect of Demand No. 5
Excise and Taxation.

That a supplementary sum not exceeding Rs.
124444000 for revenue expenditure be granted to the
Governor to defray charges that will come in the course of
payment for the year ending 31st March 1993 in respect of
Demand No. 6 Finance.

The Motion was carried.

Mr. Speaker: Question is-

That a supplementary sum not exceeding Rs.
37939000 for revenue expenditure be granted to the Governor
to defray charges that will come in the course of payment for
the year ending 31st March 1993 in respect of Demand No. 8
Buildings and Roads.

That a supplementary sum not exceeding Rs.
256994200 for revenue expenditure be granted to the
Governor to defray charges that will come in the course of
payment for the year ending 31st March 1993 in respect of
Demand No. 9 Education

The Motion was carried.

Mr. Speaker: Question is-

That a supplementary sum not exceeding
Rs.14264000 for revenue expenditure be granted to the
Governor to defray charges that will come in the course of
payment for the year ending 31st March 1993 in respect of
Demand No. 14 Food Supplies.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 7900000 for revenue expenditure and Rs. 185447000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March 1993 in respect of Demand No. 15 Irrigation.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 3783000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March 1993 in respect of Demand No. 16 Industries.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 356292000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March 1993 in respect of Demand No. 17 Agriculture.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 20431000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March 1993 in respect of Demand No. 18 Animal Husbandry.

The Motion was carried.

Mr. Speaker: Question is-

That a supplementary sum not exceeding Rs. 10417000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for

the year ending 31st March 1993 in respect of Demand No. 22 Cooperation.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 205052900 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March 1993 in respect of Demand No. 23 Transport.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 2301000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March 1993 in respect of Demand No. 24 Torusim.

The Motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the House is adjourned till 9-30 a.m tomorrow the 2nd March, 1993.

17.26 hrs.

(The Sabha then adjourned till 9.30 am on Tuesday, the 2nd March 1993.)